



The Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991

Act 25 of 1991

Keyword(s):

Alteration, Motor Vehicle, Token, Transport Check Post

Amendments appended: 1 of 2017, 19 of 2019, 4 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विषय-सूची

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

धाराएँ	पृष्ठ क्र.
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.	1
2. परिभाषाएँ.	1
3. मोटरयानों पर कर उद्ग्रहण.	1
4. व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर.	2
5. कर का संदाय.	2
6. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन.	3
7. स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान.	3
8. घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण.	4
9. कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना.	4
10. कर के संदाय की रीति.	4
11. कर के उद्ग्रहण से सामान्य छूट.	5
12. टोकन प्रदान करना.	5
13. कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति.	5
14. कर की वापसी.	6
15. कर, शास्ति की ब्याज सहित वसूली.	7
16. कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटरयान का अभिग्रहण करने या उसे निरुद्ध करने की शक्ति.	7
17. अपराध के दंड के लिए साधारण उपबंध.	9
18. अधिकारी लोक सेवक होंगे.	9
19. वाद या अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.	9
20. अपील.	9
20-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील.	10
20-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध शेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण.	10
20-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.	11
21. कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति.	11
22. कर की मांग और वसूली के रजिस्टर का रखा जाना.	11
23. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति.	11
24. नियम बनाने की शक्ति.	12
25. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.	12
26. निरसन और व्यावृत्ति.	12
प्रथम अनुसूची.	13-24
द्वितीय अनुसूची.	25-26
तृतीय अनुसूची.	27

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991

नियम	पृष्ठ क्र.
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	27
2. परिभाषाएँ	27
3. कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता	27
4. देय कर की प्रविष्टियाँ	27
5. घोषणा का फाइल किया जाना	28
6. मोटरयान परिवर्तित हो जाने पर घोषणा का फाइल किया जाना	28
6क. देय कर का अवधारण	29
7. कर आदि के संदाय की रीति	29
8. अन्य राज्यों के मोटरयानों के संबंध में कर का संदाय करने की रीति	30
8-क. बेड़ा स्वामी द्वारा घोषणा का फाइल किया जाना, कर का अवधारण और संदाय	32
9. टोकन	32
10. शास्ति आदि का अधिरोपण और संदाय	33
11. मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया	34
12. अनुज्ञापत्र का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया	35
13. अकल्पित परिस्थितियों में मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया आदि	36
13-क. मार्ग के भाग पर अनुज्ञा पत्र आदि का उपयोग न किए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया	38
14. वापसी के लिए प्रक्रिया	39
15. कर आदि की वसूली	41
16. प्रवेश और तलाशी के संबंध में प्रक्रिया	42
17. कर का संदाय न किए जाने की दशा में मोटरयान के अभिग्रहण और निरोध के लिए प्रक्रिया	42
18. अपील	42
18-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील	44
19. पूर्णांकन करना	44
20. मांग व वसूली का रजिस्टर	44
21. अभिलेखों आदि का परिरक्षण और नष्टकरण	44
प्ररूप-क	45
प्ररूप-ख	45
प्ररूप-ख-1	47
प्ररूप-ग	49
प्ररूप-घ	50
प्ररूप-ङ	51
प्ररूप ङ-1	52
प्ररूप ङ-2	54
प्ररूप-च	55

प्ररूप-छ	55
प्ररूप-ज	55
प्ररूप ज-1	56
प्ररूप ज-2	59
प्ररूप ज-3	61
प्ररूप-झ	62
प्ररूप-ञ	63
प्ररूप-ट	63
प्ररूप-“ट-1”	65
प्ररूप-ठ	65
प्ररूप-ड	66
प्ररूप-“ड-1”	67
प्ररूप-ढ	67
प्ररूप-ण	68
प्ररूप-“ण-1”	69
प्ररूप-त	70
प्ररूप-थ	70
प्ररूप-द	71
प्ररूप-ध	72
प्ररूप-न	73
प्ररूप-प-1	73
प्ररूप-प-2	74
प्ररूप-फ	75
प्ररूप-ब-1	75
प्ररूप-ब-2	76
प्ररूप-ब-3	81
प्ररूप-ब-4	81
प्ररूप-भ	83
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ	84-96
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ	97



**नवीनतम संशोधनों एवं न्याय-दृष्टांतों
के पृष्ठ क्रमांक**

वर्ष 2010 के संशोधनों के लिये देखें :-

पेज नं. : 14, 15, 16 एवं 19.

वर्ष 2010 के न्याय-दृष्टांतों के लिये देखें :-

पेज नं. : 7, 35 एवं 37.

वर्ष 2009 के संशोधनों के लिये देखें :-

पेज नं. : 5, 6 एवं 25.

वर्ष 2009 के न्याय-दृष्टांतों के लिये देखें :-

पेज नं. : 7, 35 एवं 37.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

(क्र. 25 सन् 1991)

[दिनांक 21 सितम्बर, 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 नवम्बर, 1991 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश राज्य में मोटरयानों पर कर उद्ग्रहण करने संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991' है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ -- इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "कराधान प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई अधिकारी जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ख) "स्वामी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम कोई मोटरयान, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसके अन्तर्गत है :-

(एक) कोई व्यक्ति, जो किसी मोटरयान का तत्समय कब्जा या नियंत्रण रखता है;

(दो) कोई व्यक्ति, जो ऐसे स्वामी के कारबार के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है; और

(तीन) अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले परिवहन यान की दशा में, अनुज्ञा पत्र का धारक या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन यान के कब्जे का और अनुज्ञा पत्र के लिए उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त कर लिया है;

(ग) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर;

(घ) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, "छहमाही" से अभिप्रेत है वर्ष के प्रथम छह मास या द्वितीय छह मास और "तिमाही" से अभिप्रेत है छहमाही के प्रथम तीन मास या द्वितीय तीन मास;

(ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं वही अर्थ होंगे जो उनके लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) में दिए गए हैं।

3. मोटरयानों पर कर का उद्ग्रहण -- (1) राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा :

[परंतु प्रत्येक मोटरयान पर जीवन-काल-कर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत किया जाएगा।]

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसी मोटरयान के संबंध में, जो किसी विनिर्माता से व्यापारी को एक मास से अनधिक की कालावधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन राज्य में होकर जा रही है, कर की दर किसी तिमाही के लिए देय कर की एक तिहाई होगी।

1. यह अधिनियम 1.1.1992 से प्रवृत्त हुआ। इस बाबत अधिसूचना क्रमांक एफ-8-2-90-आठ, दिनांक 28.12.1991 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28.12.1991 को किया गया।

2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा स्थापित।

(2) किसी परिवहन यान के बारे में, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र चालू है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि वह उपयोग में आ रहा है या उपयोग के लिए रखा गया है, भले ही ऐसे परिवहन यान के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का अवसान क्यों न हो गया हो।

टिप्पणी

धारा 3 के अधीन अधिरोपित कर -- विनियामक है -- यान जिनका उपयोग सड़क पर नहीं किया जाता -- रजिस्ट्रीकृत होने पर भी उन पर कर उद्ग्रहीत नहीं किया जा सकता। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू. 556।**

यदि कोई मोटर यान सड़क पर चलाये जाने योग्य है और सड़क पर चलाया जा सकता है -- कर अधिरोपित किया जा सकता है -- किंतु यदि कोई मोटरयान सड़क पर चलाये जाने योग्य नहीं है -- कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू. 556।**

प्रथम अनुसूची के खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण (7) के अधीन उपबंध -- असंवैधानिक है -- परमित-धारक के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह परमितधारी नहीं है -- 1988 के अधिनियम की धारा 192क के अधीन उल्लंघन दंडनीय बनाया गया है। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू. 556।**

और देखें - **केन्टोनमेन्ट बोर्ड बनाम मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, 1997 (2) एम.पी.जे.आर. 1 (सु.को.)। महाकौशल टूरिस्ट, नेपियर टाउन बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2002 (4) एम.पी.एच.टी. 355 (सु.को.) = ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 3130।**

4. **व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर** -- मोटरयान के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा ऐसे मोटरयानों के संबंध में, जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अधीन मंजूर किए गए व्यापार प्रमाण-पत्र प्राधिकार के अधीन ऐसे विनिर्माता या व्यापारी के रूप में उसके कारबार के अनुक्रम में उसके कब्जे में हैं, कर का संदाय प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के बजाय तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक दरों से किया जाएगा।

5. **कर का संदाय** -- (1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर का संदाय, मोटरयान के स्वामी द्वारा उसकी पसंद पर, या तो तिमाही, छहमाही या वार्षिक रूप में, यथास्थिति उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के प्रारंभ होने से पंद्रह दिन के भीतर उसके द्वारा उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के लिए, उसके द्वारा अभिप्राप्त किए जाने वाले टोकन पर अग्रिम में किया जाएगा। किसी छहमाही टोकन के लिए कर, तिमाही टोकन के लिए कर के दो गुने से और वार्षिक टोकन के लिए कर तिमाही टोकन के लिए कर के चार गुने से अधिक नहीं होगा :

परन्तु उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे गए किसी मोटरयान के संबंध में किसी तिमाही के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली किसी कालावधि के लिए जो दो मास से अनधिक है, कालावधि के एक मास से अधिक होने या अधिक न होने के अनुसार, ऐसे तिमाही कर के दो तिहाई या एक तिहाई कर का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरों में जब कभी वृद्धि की जाती है और मोटरयान का स्वामी बढ़ी हुई दर पर कर का संदाय करने का दायी हो जाता है तो ऐसा स्वामी कर की रकम का अंतर, उस मोटरयान की बाबत पश्चात्पूर्व कालावधि के लिए कर के संदाय के समय जमा करेगा :

¹[परन्तु यह भी कि किसी शहर मार्ग से भिन्न किसी मार्ग पर चलाई जाने वाली मंजिली गाड़ी या मोटर केब से भिन्न गाड़ी के संबंध में उद्ग्रहीत कर मोटरयान के जीवनकाल का संदाय यथास्थिति उस मास, तिमाही, छहमाही अथवा वर्ष के प्रारंभ में दस दिन के भीतर अग्रिम में मासिक, तिमाही, छहमाही या वार्षिक रूप में किया जाएगा।]

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन उद्ग्रहीत कर मोटरयान के जीवनकाल के लिए होगा और स्वामी द्वारा इसका एक मुश्त अग्रिम में संदाय किया जाएगा :

परंतु-

(एक) धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी मोटरयान के मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत होने की दशा में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व संदत्त कर की कुल रकम को द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन-काल कर की रकम में से घटा दिया जाएगा।

(दो) धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे यान की दशा में, जो किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत है और मध्यप्रदेश राज्य में लाया गया है, कर की वह रकम, जो उस यान के मूलतः मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत होने या उपयोग में लाए जाने की दशा में जीवन-काल कर के संदाय की तारीख तक, प्रथम अनुसूची के अधीन संदत्त किया जाना होता, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन-काल कर की रकम में से घटा दी जाएगी ऐसे यान का स्वामी उस राज्य के कराधान प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया "कोई बकाया नहीं" (नो ड्यूज) प्रमाण-पत्र देगा :

परन्तु यह और भी कि धारा 5 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन घटाई जाने वाली अधिकतम रकम किसी भी दशा में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन काल कर की रकम के 50% से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि यदि धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट मोटरयान की दशा में कर का संदाय इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कर दिया गया है तो जीवन-काल-कर का उद्ग्रहण उस कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् किया जाएगा, जिसके लिए इस प्रकार कर का संदाय किया गया था और ऐसे कर का संदाय उक्त कालावधि के अवसान होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा।

6. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन -- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी मोटरयान की बाबत ऐसा कोई कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस अधिरोपित नहीं करेगा या उसमें वृद्धि नहीं करेगा और यदि किसी स्थानीय प्राधिकरण ने 1 अप्रैल, 1942 के पूर्व से ऐसा कोई कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस अधिरोपित की है और वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय भी प्रवृत्त है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो ऐसा कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस का संदाय ऐसे प्राधिकरण को करने के लिए दायी है, यह समझा जाएगा कि उसने उसका संदाय कर दिया है।

टिप्पणी

मोटरयानों पर प्रवेश कर -- ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित नहीं किया जा सकता। **एस.एन. सुदर्शन एण्ड कंपनी बनाम ग्राम पंचायत पोनिया, 1998 (1) म.प्र.वी.नो. 155 (म.प्र.)**

और देखें - **केन्टोनमेन्ट बोर्ड बनाम मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, 1997 (2) एम.पी.जे.आर. 1 (सु.को.)**।

7. स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान -- (1) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक छावनी बोर्ड, नगरपालिका समिति तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति को, जो 1 अप्रैल, 1942 के मोटरयान के संबंध में कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस का अधिरोपण करती थी, उतनी ही राशि का अनुदान देगी, जितनी राशि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व ऐसे बोर्ड, समिति को संदाय की जा रही थी :

1. म.प्र. मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्र. 26 सन् 1991) द्वारा (1-1-1992 से) अन्तःस्थापित।

परन्तु किसी छावनी बोर्ड को कोई राशि तब तक देय नहीं होगी जब तक कि वह छावनी बोर्ड मोटरयानों की बाबत कोई कर, पथकर या अनुशुक्ति फीस वसूल नहीं करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय कर की राशि राज्य के संचित निधि पर भारत होगी।

1[8. घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण -- (1) प्रत्येक स्वामी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी है, कराधान प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, एक घोषणा फाइल करेगा जिसके साथ ऐसे कर, जिसका कि वह ऐसे यान की बाबत संदाय का दायी प्रतीत होता हो, का संदाय करने का सबूत होगा।

(2) जब कोई मोटरयान, जिसकी बाबत कर का संदाय कर दिया गया है ऐसी रीति में परिवर्तित किया जाता है कि जिससे वह यान एक ऐसा मोटरयान बन जाता है जिस पर कर की उच्चतर दर देय है तो ऐसे यान का स्वामी कराधान प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, एक अतिरिक्त घोषणा फाइल करेगा जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र होगा और ऐसे कर के अन्तर, जिसका कि वह ऐसे यान की बाबत संदाय का दायी प्रतीत होता हो, का संदाय करने का सबूत होगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) के अधीन घोषणा या उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् और स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश द्वारा ऐसे स्वामी के द्वारा देय कर का अवधारण करेगा तथा उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसे कि विहित किया जाए, सूचना देगा।

(4) जहाँ स्वामी उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा फाइल करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर और स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसे स्वामी द्वारा देय कर की रकम का स्वप्रेरणा से अवधारण कर सकेगा तथा उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सूचना दे सकेगा।

(5) यथास्थिति, उपधारा (3) या (4) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा देय कर का अवधारण किए जाए पर यथास्थिति देय कर और संदत्त किए गए कर की रकम का अंतर इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन संदाय करने या वापस करने के बारे में लागू रीति के अनुसार स्वामी द्वारा संदाय किया जाएगा अथवा उसे वापस किया जाएगा।

(6) जहाँ स्वामी कोई मिथ्या घोषणा फाइल करता है, वहाँ कराधान प्राधिकारी, स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा जो उपधारा (3) के अधीन अवधारित कर की रकम के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- "मोटरयान में परिवर्तन" में सम्मिलित है, ऐसे किसी अनुज्ञा पत्र, जिसके अन्तर्गत यान है, का अर्जन, समर्पण या उपयोग न किया जाना या उसमें कोई परिवर्तन किया जाना।]

9. कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना -- प्रत्येक स्वामी धारा 8 के अधीन घोषणा फाइल करते समय कराधान प्राधिकारी के समक्ष, मोटरयान के संबंध में एक विधिमान्य बीमा प्रमाण-पत्र पेश करेगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अध्याय 11 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो।

10. कर के संदाय की रीति -- इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रत्येक राशि, यदि वह 250 रुपए से अधिक है, का संदाय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अधिसूचित बैंक से अभिप्राप्त उतने मूल्य का मांगदेय ड्राफ्ट, जितने का संदाय अपेक्षित है, कराधान प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा ऐसी अन्य रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए।

अतिरिक्त, प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत रकम के 4 प्रतिशत की दर से शास्ति के लिए दायी होगा किंतु शास्ति कर की असंदत रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन जीवन-काल कर का संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी, शोष्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए जीवन-काल-कर के एक-दशमांश की दर से, किन्तु धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन देय जीवन-काल-कर से अनधिक, शास्ति के लिए दायी होगा।]

¹[(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 72, 74, 76, 79, 87 और 88(1), (9) तथा (11) के अधीन मध्यप्रदेश या किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले मोटरयान, यदि अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा या बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जाते हुए पाए जाएं तो ऐसे यान का स्वामी, कर के अतिरिक्त, प्रतिमास, शास्ति का दायी होगा, जो ऐसे यान के लिए इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यक्षविनिर्दिष्ट मासिक, तिमाही या वार्षिक कर की रकम की दुगुनी होगी।]

टिप्पणी

इस धारा से संबंधित निर्णयज विधि के लिये देखें - अजय कुमार शर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2005 (2) एम.पी.जे.आर. नोट 1।

14. कर की वापसी -- (1) जहाँ :-

(एक) किसी मोटरयान के लिए किसी ²[मासिक, तिमाही, छः माही या किसी वर्ष] की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है और उस मोटरयान का, उस संपूर्ण मासिक, तिमाही, छः माही या वर्ष के दौरान या उसके ऐसे निरंतर भाग के दौरान जो एक मास से कम का न हो, उपयोग नहीं किया गया है और ऐसा उपयोग न किए जाने की विहित प्ररूप में सूचना कराधान प्राधिकारी को ऐसा उपयोग न किए जाने की कालावधि के प्रारंभ होने के पूर्व विहित रीति में दे दी गई हो; या

(दो) यान को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया हो कि जिससे स्वामी उस कर के जिसका कि पहले ही संदाय किया जा चुका है, किसी भाग की वापसी के लिए हकदार हो जाए वहाँ कर की वापसी,

ऐसी दरों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए की जाएगी जैसी कि विहित की जाए :

³[परन्तु यदि राज्य सरकार विहित किए जाने वाले कारणों से किसी लोक सेवायान को जो नियमित अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आता है, मार्ग पर चलाया जाना संभव नहीं हो तो कर की वापसी एक मास से कम कालावधि के लिए ऐसी सीमा तक और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर की जा सकेगी जैसा कि विहित किया जाए।]

(2) जहाँ धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन जीवन-काल कर का संदाय उसमें विनिर्दिष्ट किसी यान के संबंध में किया जा चुका है, वहाँ स्वामी उस जीवन काल कर की वह रकम जो प्रथम अनुसूची के अधीन देय होती, घटाने के पश्चात् बचने वाली शेष रकम की वापसी का हकदार होगा, यदि वह कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसा मोटरयान :-

(क) स्थाई रूप से राज्य के बाहर हटा दिया गया है और उसे किसी अन्य राज्य के कराधान प्राधिकारी के अभिलेख पर ले आया गया है; या

(ख) नष्ट हो चुका है या उपयोग में लाए जाने के लिए स्थाई रूप से अयोग्य हो गया है और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन रद्द कर दिया गया है और ऐसे मोटरयान का उपयोग राज्य में नहीं किया गया है; या

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009) द्वारा उपधारा (2) अन्तःस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 पृष्ठ 1263-1264 पर प्रकाशित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्र. 26 सन् 1991) द्वारा (1-1-1992 से) अन्तःस्थापित।

- (ग) परिवहन यान के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है या उसका उपयोग उस रूप में किया गया है और ऐसे मोटरयान का स्वामी उस कर को संदाय करने के लिए दायी हो गया है जो ऐसे परिवहन यान को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन लागू है।
- (3) यदि ऐसी वापसी जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन कोई हकदार हो गया है, वापसी के लिए आवेदन अपेक्षित सबूत के साथ किए जाने से एक भाग के भीतर नहीं की जाती है तो स्वामी वापसी की रकम पर ब्याज ऐसी दर से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

टिप्पणी

इस धारा से संबंधित निर्णयज विधि के लिये देखें - राजकुमार गुप्ता और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2010 (1) A.C.T. 111 (CG) = 2009 (2) CGLJ 448 (DB).

15. कर, शास्ति की ब्याज सहित वसूली -- (1) जहाँ कोई स्वामी इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या दोनों का संदाय करने में असफल रहता है, वहाँ कराधान प्राधिकारी, राज्य सरकार को देय राशि के लिए, विहित प्ररूप में एक सूचना की तामील ऐसे स्वामी पर करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई कर, शास्ति या ब्याज उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

(3) कर, उस यान पर, जिसके कि संबंध में वह शोध्य है, साथ ही उसके उपसाधनों पर भी, प्रथम प्रभार होगा और ऐसे मोटरयान और उसके उपसाधनों को भू-राजस्व की वसूली से संबंधित समुचित विधि के अधीन, कर, शास्ति या ब्याज की वसूली के लिए कुर्क किया जा सकेगा तथा बेचा जा सकेगा।

16. कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटरयान का अभिग्रहण करने या उसे निरुद्ध करने की शक्ति -- (1) कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी मोटरयान में या ऐसे परिसर में, जहाँ कि उसे किसी मोटरयान के रखे होने का विश्वास करने का कारण हो, यह सत्यापित करने के प्रयोजन से कि क्या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है, समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिकारी मोटर साइकिलों और मोटरकारों के संबंध में प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

(2) सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति, कराधान प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाने पर :-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;

(ख) कर का संदाय के साक्ष्य में टोकन; और

(ग) यान के उपयोग के संबंध में बीमा प्रमाण-पत्र,

प्रस्तुत करेगा और उस यान को इतने समय तक के लिए खड़ा रखेगा जितना कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वयं का यह समाधान करने के लिए अपेक्षित किया जाए कि ऐसे मोटरयान के संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है :

परन्तु परिवहन यानों से भिन्न किसी भी यान के संबंध में इस प्रकार अपेक्षित किए गए प्रमाणपत्रों के निरीक्षण के लिए ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130 की उपधारा (4) के अधीन विहित किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मोटरयान का उपयोग, शोध्य कर, शास्ति या ब्याज का संदाय किए बिना, किया गया है या किया

जा रहा है तो वह ऐसे मोटरयान को अधिग्रहीत कर सकेगा तथा उसे निरुद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा जो ऐसे मोटरयान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और शोध्य कर की वसूली के लिए उचित समझी जावे।

¹[(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किसी मोटरयान को अभिग्रहीत तथा निरुद्ध कर लिया गया हो, वहाँ ऐसे यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सुसंगत दस्तावेजों के साथ यान को निर्मुक्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी का ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उस यान की बाबत कर की कोई रकम शोध्य नहीं है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे यान को निर्मुक्त कर सकेगा।]

²[(5) जहाँ किसी मोटरयान को उपधारा (3) के अधीन अभिग्रहीत तथा निरुद्ध कर लिया गया हो, वहाँ अपराध का संज्ञान लेने वाला न्यायालय ऐसे यान को निर्मुक्त नहीं करेगा।

(6) उपधारा (8) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, जहाँ कराधान प्राधिकारी का उपधारा (3) के अधीन यान के अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि स्वामी ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192क के साथ पठित धारा 66 के अधीन अनुज्ञा-पत्र के बिना यान चलाने का अपराध किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उक्त उपधारा के अधीन अभिग्रहीत यान का अधिहरण कर सकेगा। अधिहरण के आदेश की एक प्रति बिना किसी असम्यक् विलंब के परिवहन आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन यान के अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कराधान प्राधिकारी :-

(क) उस अपराध जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को यान के अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करने के बारे में विहित प्ररूप में सूचना न भेज दे;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जिससे कि यान अभिग्रहीत किया गया है, तथा रजिस्ट्रीकृत स्वामी को, लिखित सूचना जारी न कर दे;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न कर दे; और

(घ) अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की जिनको कि खण्ड (ख) के अधीन सूचना जारी की गई है, ऐसी तारीख को, जो इस प्रयोजन के लिए नियत की जाए, सुनवाई न कर दे।

(8) उपधारा (6) के अधीन किसी यान के अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि उपधारा (7) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसा यान अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमाम्य दस्तावेजों के अधीन उपयोग में लाया गया था।]

टिप्पणी

उपधारा (3) -- मोटर यान का अभिग्रहण -- प्राधिकारियों द्वारा कर का उद्ग्रहण और वसूली -- यान के अभिग्रहण के समय कोई भी औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गई थीं -- अभिनिर्धारित, यान का अभिग्रहण विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल था; कार्यवाहियाँ अभिखण्डित की गईं -- उनके दिशा-निर्देशों का वर्णन किया गया। **योगेश पिता श्री चन्द्रशेखर जोशी बनाम परिवहन आयुक्त एवं अन्य, 2007 (1) मनिसा 1 (म.प्र.हा.को.)।**

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा अंतःस्थापित।

2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्र. 26 सन् 1991) द्वारा प्रतिस्थापित।

11. कर के उद्ग्रहण से सामान्य छूट -- (1) कोई भी कर ऐसे मोटरयान पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा जिसे किसी नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति, या छावनी बोर्ड या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा अनन्यतः सफाई तथा आग बुझाने के प्रयोजनों के लिए या रोगी वाहन (एम्बुलेंस) के रूप में उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के लिए रखा जाता है और कोई भी कर किसी ऐसे मोटरयान पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा जो सरकार के स्वामित्व में हो।

¹[(2) कोई कर किसी भी मोटरयान पर, उद्ग्रहणीय नहीं होगा जो अनन्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग के लिए रखा जाता है।

स्पष्टीकरण (1) -- उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, वास्तविक कृषक के किसी ऐसे ट्रेक्टर अनुदान संयोजन के संबंध में जो स्वयं उस वास्तविक कृषक द्वारा खेती की गई भूमि तथा उसके निवास स्थान, गोदाम या ऐसी कृषि उपज या ऐसी सामग्री के किसी मण्डी स्थान के बीच --

(एक) ऐसी कृषि उपज के, जो स्वयं उस वास्तविक कृषक द्वारा खेती की गई भूमि पर उगाई गई हो; या

(दो) किसी ऐसी सामग्री के, जो कृषि के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो,

परिवहन के लिए उपयोग में लाया गया हो, यह समझा जाएगा कि वह अनन्यतः कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया है किन्तु कृषि उपज के परिवहन के लिए उपयोग में लाए गए किसी अन्य मोटरयान के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अनन्यतः कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया है।

स्पष्टीकरण (2) -- स्पष्टीकरण (1) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक", "स्वयं खेती करना" और "कृषि" के वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिए गए हैं।]

12. टोकन प्रदान करना -- (1) जहाँ किसी मोटरयान के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट कालावधि के लिए कर का संदाय किया जाता है या यदि उसके लिए ऐसा कोई कर देय नहीं है तो कराधान प्राधिकारी :-

(क) ऐसे व्यक्ति को, उक्त कालावधि के दौरान राज्य में मोटरयान का उपयोग करने के लिए टोकन ऐसे प्ररूप में प्रदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए; और

(ख) मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यह अभिलिखित करेगा कि मोटरयान के संबंध में उक्त कालावधि के लिए कर का संदाय किया जा चुका है अथवा कोई कर देय नहीं है:

परन्तु जहाँ इस अधिनियम के अधीन काल-कर देय है वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कर के संदाय का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लेख कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को कोई टोकन प्रदान नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक टोकन संपूर्ण राज्य में विधिमान्य होगा।

(3) कोई मोटरयान राज्य में किसी भी समय तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि ऐसी कालावधि के दौरान उसके उपयोग के लिए अनुज्ञा देने का टोकन अभिप्राप्त करके यान पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है और जो कोई ऐसा करने में असफल रहता है जुर्माने से, जो 50 रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

²[13. कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति -- ³[(1)] यदि किसी मोटरयान के संबंध में शोध्य कोई कर, धारा 5 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदत्त नहीं किया गया है, तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के

1. मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक 3 सन् 2005 द्वारा उपधारा (2) को 5-9-2005 से विलोपित किया गया था परंतु इसे मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2006 द्वारा पुनःस्थापित किया गया, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 1-2-2006 को पृष्ठ 110-110(3) पर प्रकाशित किया गया।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा स्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009) द्वारा धारा 13 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 पृष्ठ 1263-1264 पर प्रकाशित।

उपधारा (3) -- यान का अभिग्रहण -- यान का अभिग्रहण करने वाले प्राधिकारी को स्वामी को अभियोजित करना होगा -- उपबंध में यान के अधिहरण की शक्ति उपबंधित नहीं है। **ब्रह्मानंद बनाम म.प्र. राज्य, 1994 (1) म.प्र.वी.नो. 126।**

उपधारा (6) -- दो अधिनियमितियों में स्पष्ट विरोध है -- अधिनियम 1991 की धारा 16 (6) का उपबंध एवं उसके पारिणामिक उपबंध मोटरयान अधिनियम की धारा 192क के साथ पठित धारा 66 के संदर्भ में विरुद्ध है और इसलिये अविधिमान्य है क्योंकि राज्य विधि हेतु राष्ट्रपति की सहमति लिये जाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अधीन राज्य विधि से अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया। **एम.पी.एआईटी परमिट ओनर्स असो. बनाम म.प्र. राज्य, 2004 (2) एम.पी.एल.जे. 210 (सु.को.) = 2005 (1) जे.एल.जे. 285 (उच्चतम न्यायालय) = ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 981 = (2004) 1 एस.सी.सी. 320 = 2004 (3) जे.टी. 540 = 2004 (3) एम.पी.एच.टी. 175 (सु.को.)।**

17. अपराध के दंड के लिए साधारण उपबंध -- जो कोई इस अधिनियम या इसके बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, प्रथम अपराध के लिये, जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और किसी द्वितीय या पश्चात्पूर्वी अपराध के लिये जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

18. अधिकारी लोक सेवक होंगे -- इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले समस्त अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

19. वाद या अन्य कार्यवाहियों का वर्जन -- किसी भी ऐसे विषय की बाबत, जिसके लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंध किया गया है, कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियाँ किसी सिविल न्यायालय में नहीं होंगी और किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध उसके द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।

20. अपील -- कोई व्यक्ति :-

(क) जो कर के उद्ग्रहण अथवा धारा 13 के अधीन अधिरोपित शास्ति के लिए किए गए किसी आदेश से व्यथित है, या

(ख) धारा 16 के अधीन किए गए मोटरयान के अभिग्रहण से व्यथित है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है,

विहित समय के भीतर और विहित रीति में, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और ऐसे कराधान प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उक्त अपील का निपटारा करेगा और उस पर किया गया विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम का, जिसके संबंध में वह अपील प्रस्तुत की गई है, संदाय न कर दिया गया हो।

टिप्पणी

कराधान प्राधिकारी ने वाहन जब्त किया एवं कर भुगतान किये जाने का दायित्व आरोपित किया -- उसके विरुद्ध याचिका को इस आधार पर खारिज किया गया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अधीन अपील का उपचार उपलब्ध है। **राजेन्द्र सिंह छाबड़ा बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2003 (3) एम.पी.एल.जे. 426 = 2003 (5) एम.पी.एच.टी. 567।**

120-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील -- (1) अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर या यदि ऐसे आदेश का तथ्य उसे संसूचित नहीं किया गया हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में देय ऐसी फीस जैसी कि विहित की जाए तथा अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लिखित में अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की गणना करते समय अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी अपील दाखिल किए जाने की प्रज्ञापना लिखित रूप में कराधान प्राधिकारी को भेजेगा।

(3) अपील प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो अधिहृत यान की अभिरक्षा या उसके व्ययन के लिए अंतरिम प्रकृति का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में इसे न्याय संगत प्रतीत हो।

(4) अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या ऐसी तारीख को, जिसको कि सुनवाई स्थगित की जाए, अपील प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों को, यदि वे स्वयं या उनके विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित हों, सुनेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश के पुष्टिकरण, उलटाव या उपांतरण का आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(6) अंतिम आदेश या पारिणामिक स्वरूप के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए कराधान प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

टिप्पणी

दो अधिनियमितियों में स्पष्ट विरोध है -- अधिनियम 1991 की धारा 16 (6) का उपबंध एवं उसके पारिणामिक उपबंध मोटरयान अधिनियम की धारा 192क के साथ पठित धारा 66 के संदर्भ में विरुद्ध है और इसलिये अविधिमान्य है क्योंकि राज्य विधि हेतु राष्ट्रपति की सहमति लिये जाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अधीन राज्य विधि से अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया। एम.पी.एआईटी परमिट ओनर्स असो. बनाम म.प्र. राज्य, 2004 (2) एम.पी.एल.जे. 210 (सु.को.) = 2005 (1) जे.एल.जे. 285 (उच्चतम न्यायालय) = ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 981 = (2004) 1 एस.सी.सी. 320 = 2004 (3) जे.टी. 540 = 2004 (3) एम.पी.एच.टी. 175 (सु.को.)।

20-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण --

(1) अधिहृत यान के संबंध में अपील प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश या पारिणामिक स्वरूप के आदेश के द्वारा यदि यान का स्वामी व्यथित है तो वह आदेश के, जिसे आक्षेपित किया जाना चाहा गया है, तीस दिन के भीतर विधि के प्रश्न पर उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित है।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की गणना करने में अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी अंतिम आदेश या पारिणामिक स्वरूप के किसी आदेश की सेशन न्यायालय पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित आदेश की प्रतियाँ अपील प्राधिकारी को तथा कराधान प्राधिकारी को अनुपालन के लिए अथवा ऐसी और कार्यवाही करने के लिए, जैसी कि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाएँ, भेजी जाएंगी।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के लिए सेशन न्यायालय, यथाशक्य, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन पुनरीक्षण की सुनवाई करने तथा विनिश्चय करने के लिए विहित है।

टिप्पणी

देखें धारा 20-क की टिप्पणी।

20-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन -- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु धारा 20-क की उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए (कराधान प्राधिकारी से भिन्न), किसी भी न्यायालय, अधिहरण या प्राधिकारी को किसी ऐसे याने के कब्जे, परिदान या व्ययन के बारे में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके कि संबंध में धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिहरण किए जाने की कार्रवाही शुरू की गई है।

21. कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति -- ¹[(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसे निर्बंधों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ, किन्हीं मोटरयानों या मोटरयानों के किसी वर्ग को, कर, शास्ति और ब्याज के संदाय से पूर्णतः या भागतः छूट ऐसी तारीख से दे सकेगी जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।]

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई कोई भी अधिसूचना किसी भी समय विखण्डित की जा सकेगी और ऐसे विखण्डन पर ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त नहीं रह जाएगी। किसी पूर्ववर्ती अधिसूचना को विखण्डित करने वाली किसी अधिसूचना का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24-क के उपबंध उसे उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार कि वे किसी नियम को लागू होते हैं।

22. कर की मांग और वसूली के रजिस्टर का रखा जाना -- प्रत्येक कराधान प्राधिकारी ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा जो विहित किए जाएँ।

23. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति -- ²[(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट मदों तथा कर की दरों को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूचियाँ तदनुसार संशोधित हो जाएंगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना राजपत्र में ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के अपने आशय की ऐसी पूर्व सूचना दिये बिना जारी नहीं की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे।]

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24-क के उपबंध को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के किसी नियम को लागू होते हैं।

टिप्पणी

इस धारा से संबंधित निर्णयज विधि के लिये देखें - कैलाश नारायण राय बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2003 (1) एम.पी.एल.जे. 482।

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2003) द्वारा स्थापित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा स्थापित।

24. नियम बनाने की शक्ति -- (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यावित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-

¹[(क) धारा 8 की उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा का प्ररूप तथा वह समय जिसके भीतर घोषणा फाइल की जाएगी तथा धारा 8 की उपधारा (3) या (4) के अधीन वह प्ररूप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कर के अवधारण की सूचना दी जाएगी;]

(ख) वह रीति जिसमें धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया जाएगा;

(ग) उस टोकन का प्ररूप जो धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदान किया जाएगा;

²[(घ) ***]

²[(ङ) ***]

(च) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें वे दरें, जिन पर और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन वापसी की जाएगी तथा धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन देय ब्याज की दर;

(छ) वह प्ररूप जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की जाएगी;

(छ-एक) धारा 16 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन मजिस्ट्रेट की प्रज्ञापना का प्ररूप;

(ज) वह समय जिसके भीतर, वह रीति जिसमें और वह प्राधिकारी जिसको धारा 20 के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकेगी;

(झ) वह रीति जिसमें धारा 22 के अधीन रजिस्टर रखा जाएगा;

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाए।

25. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति -- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

26. निरसन और व्यावृत्ति -- (1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1947 (क्रमांक 6 सन् 1947) और मध्यप्रदेश मोटरयान (माल कराधान) अधिनियम, 1962 (क्रमांक 19 सन् 1962) (जो इस धारा में इसके पश्चात् निरसित अधिनियमितियों के नाम से निर्दिष्ट है) एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन के होते हुए भी उन निरसित अधिनियमितियों के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, नियम, आदेश, सूचना जारी किया गया प्रमाण-पत्र या टोकन, या की गई कोई नियुक्ति या घोषणा या प्रदान की गई कोई छूट या किया गया कोई समपहरण, रद्दकरण या की गई कोई अन्य बात या की गई कोई अन्य कार्यवाही जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहाँ तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी, उपबंधों के अधीन जारी किए गए, की गई, प्रदान किए गए या की गई समझी जाएगी।

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2003) द्वारा विलोपित।

प्रथम अनुसूची
[धारा 3 की उपधारा (1)]

मोटरयान का वर्ग (1)	मोटरयानों के लिये तिमाही कर की दर (2)
1। एक. मोटर साइकिल -- जिसका लदान रहित वजन-	रुपये
(क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है	18.00
(ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिनका उपयोग चाहे अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया जाता है या नहीं	28.00
दो. मोटरकार -- जिसका लदान रहित वजन-	
(क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	64.00
(ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	94.00
(ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	112.00
(घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	132.00
(ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर जिसका लदान रहित वजन :-	150.00
(क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	28.00
(ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है।	66.00
तीन. अशक्त यात्री गाड़ी :	9.00
चार. लोक सेवा यान :	
किराए या पारिवारिक (रिवाइड) के लिए चलाए जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान-	
² [(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (मोटर साइकिल/ऑटोरिक्शा)	रु. 40.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही
³ [(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	रु. 150.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही या निम्नलिखित दर पर जीवन-काल-कर --
	(एक) नये यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत।
	(दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 2 प्रतिशत जिसका जीवन-काल-कर पूर्व में ही जमा कर दिया गया हो।]

1. अधिसूचना क्र. एफ. 16-3-92-आठ, दिनांक 30-9-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. 1997 के म.प्र. अधिनियम क्र. 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।

- ¹[(ग) तीन से अधिक यात्रियों को ले जाने तथा शहर मार्गों पर/ उससे लगे हुए क्षेत्रों पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए मंजिली गाड़ी (स्टेज कैरिज) टेका गाड़ी (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के रूप में चलाये जाने के लिये अनुज्ञात यान --
- | | |
|---|------------------------------------|
| (एक) एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिये अनुज्ञात यान की बाबत | रु. 80/- प्रति सीट, प्रति तिमाही |
| (दो) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यान की बाबत | रु. 60/- प्रति सीट, प्रति तिमाही]] |
- ²[(घ) छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात तथा शहर मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान --
- | | |
|--|------------------------------|
| (1) वातानुकूलित सेवा या डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहाँ एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी :- | |
| ³ [(एक) 100 कि.मी. से अनधिक-- | |
| (क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए | रु. 250.00 प्रतिसीट प्रतिमास |
| (ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए | रु. 200.00 प्रतिसीट प्रतिमास |
| (दो) उसके पश्चात् प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये-- | |
| (क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए | रु. 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास |
| (ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए | रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास] |
| (2) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहाँ एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी :- | |

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा खण्ड (ग) के स्थान पर स्थापित (दिनांक 1 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त)। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18-7-2008 पृष्ठ 853-854 पर प्रकाशित।
2. म.प्र. मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1995 (क्र. 13 सन् 1995) द्वारा (10-5-1995 से) प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6/2009-आठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 पृष्ठ 1195-1196(1) पर प्रकाशित। इससे पूर्व इसे अधिसूचना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा (दिनांक 1 जून, 2008 से) प्रतिस्थापित किया गया था जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15-5-2008 पृष्ठ 473-474(1-2) पर प्रकाशित किया गया था।

1[(एक) 100 कि.मी. से अनधिक	₹. 160.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(दो) उसके परचाट् प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए	₹. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास]

स्पष्टीकरण--

1. **प्रमुख मार्ग** -- प्रमुख मार्ग से अभिप्राय ऐसे मार्गों से है जो शासन द्वारा या शासन के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जावें।
2. **साधारण मार्ग** -- साधारण मार्ग से अभिप्राय ऐसे मार्गों से है जिसमें प्रमुख मार्ग एवं दूरस्थ मार्ग समावेशित न हों।
3. **दूरस्थ मार्ग** -- दूरस्थ मार्ग से अभिप्राय ऐसे मार्ग से है जो किसी ग्राम को नगर निगम, नगरपालिका अथवा नगर पंचायत में से किसी एक को जोड़ते हों तथा एकल फेरे में नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत एक बार से अधिक न आयें।
4. उक्त श्रेणी के मार्गों में से किसी एक मार्ग का प्रचालक दूसरे मार्ग पर अधिकतम 25 कि.मी. तक संचालन इस शर्त के साथ कर सकता है उसके द्वारा संचालित मूल मार्ग दूरी छूट सीमा से दो गुनी हो।
5. दूरस्थ श्रेणी के मार्ग का प्रचालक यदि साधारण श्रेणी अथवा प्रमुख श्रेणी के मार्गों के भाग पर 25 कि.मी. की निर्धारित सीमा से अधिक प्रचालन करता है तो उस स्थिति में ऐसे प्रचालक को उच्च श्रेणी के मार्ग जैसी भी स्थिति हो, के लिये देय मोटरयान कर की दर से कर संदेय होगा। इसी प्रकार साधारण श्रेणी के मार्ग का प्रचालक यदि प्रमुख श्रेणी के मार्ग के भाग पर 25 कि.मी. की निर्धारित सीमा से अधिक प्रचालन करता है तो उस स्थिति में ऐसे प्रचालक को उच्च श्रेणी के मार्ग के लिये देय मोटरयान कर की दर से संदेय होगा।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6/2009-आठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 पृष्ठ 1195-1196(1) पर प्रकाशित। इससे पूर्व इसे अधिसूचना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा (दिनांक 1 जून, 2008 से) प्रतिस्थापित किया गया था जिसे मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) दिनांक 15-5-2008 पृष्ठ 473-474(1-2) पर प्रकाशित किया गया था।

- (3) वातानुकूलित/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहाँ अनुज्ञापत्र :-

¹[(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन--

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए

प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए

प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(दो) पारस्परिक करार के बिना--

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए

रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए

रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास.]

- (4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहाँ अनुज्ञापत्र -

¹[(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन

प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(दो) पारस्परिक करार के बिना

रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास.]

¹[(ड) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो परिवहन/आरक्षित परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए रखे गए हैं--

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6/2009-आठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 पृष्ठ 1195-1196(1) पर प्रकाशित। इससे पूर्व इसे अधिसूचना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा (दिनांक 1 जून, 2008 से) प्रतिस्थापित किया गया था जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15-5-2008 पृष्ठ 473-474(1-2) पर प्रकाशित किया गया था।

(एक) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	₹. 230.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(दो) एक्सप्रेस/डीलक्स बस के लिए	₹. 180.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(तीन) साधारण बस के लिए	₹. 160.00 प्रतिसीट प्रतिमास ।]
(च) ठेका गाड़ी (कांटेक्ट कैरेज)	
¹ [(1) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए "ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट" के अन्तर्गत ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं,	
(क) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता वाले मैक्सी कैब यान के लिए	रुपये 150 प्रतिसीट, प्रतिमाह या निम्नलिखित दर पर जीवन-काल-कर -- (एक) नए यान के मूल्य (कास्ट) का 10 प्रतिशत; (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 5 प्रतिशत जिनका जीवन-काल-कर पूर्व में ही संदत्त कर दिया गया हो ।
(ख) 12 से अधिक सीटों (चालक को छोड़कर) वाले यानों के लिये	रुपये 800.00 प्रतिसीट प्रतिमाह]
² [(2) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और राज्य के भीतर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है -	
(एक) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता वाले मैक्सी कैब यान के लिए	³ [₹. 300.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही]
(दो) 12 से अधिक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता के यान के लिए -	
(क) साधारण बस के लिए	₹. 500.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(ख) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	₹. 600.00 प्रतिसीट प्रतिमास

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा स्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[(3) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए "ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट" के अन्तर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, प्रत्येक सीट (चालक को छोड़कर) के लिए जिसको ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है--

(एक) वातानुकूलित यान के लिए

रुपये 50 प्रतिसीट प्रतिदिन

(दो) गैर वातानुकूलित यान के लिए

रुपये 40 प्रतिसीट प्रतिदिन]

¹[(4) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा मंजूर किए गए ऐसे विशेष अनुज्ञा-पत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, प्रत्येक सीट (चालक को छोड़कर) के लिए जिसको ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है--

(एक) वातानुकूलित यान के लिए

रुपये 50 प्रतिसीट प्रतिदिन

(दो) गैर वातानुकूलित यान के लिए

रुपये 40 प्रतिसीट प्रतिदिन]

²[(4-क) ऐसे यान, जो तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) तथा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा दिये गए विशेष अनुज्ञापत्र या "ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट" पर ठेका गाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं, प्रत्येक सीट, चालक को छोड़कर जिसको ले जाने के लिये वह यान अनुज्ञात है, जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है--

(एक) वातानुकूलित मोटर कैब के लिए

रु. 50/- प्रति सीट, प्रतिदिन

(दो) साधारण मोटर कैब के लिए

रु. 40/- प्रति सीट, प्रति तीन]

(5) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा

अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 किलोमीटर या उसके भाग

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा स्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 1 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त)। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18-7-2008 पृष्ठ 853-854 पर प्रकाशित।

(8) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा मंजूर किए गए विशेष अनुज्ञापत्र पर टेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है-

- (6) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्र पर टेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, (चालक को छोड़कर) प्रति सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है

- ³[(7) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्र पर टेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है - (एक) साधारण बस के लिये

(दो) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिये

- ⁴[(8) "ग्रामीण सेवा यान" से अभिप्रेत है ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 6 से 21 यात्रियों की है तथा जो राज्य के कराधान प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम,

के लिये साधारण बस के लिये ¹[50 पैसे] प्रति सीट और डीलक्स/वातानुकूलित बस के लिये ¹[एक रुपया] प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा।

अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये साधारण बस के लिये ²[50 पैसे] प्रति सीट और डीलक्स/वातानुकूलित बस के लिये ²[एक रुपया] प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा।]

उपमद (ङ) के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त रु. 7.00 प्रतिसीट प्रतिदिन;

उपमद (ङ) के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिदिन।]

रु. 60.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही.]

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
 4. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6/2009-आठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 द्वारा जोड़ा गया। मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 पृष्ठ 1195-1196(1) पर प्रकाशित।

1988 (1988 का 59) की धारा 72 या 87 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञा- पत्र के अधीन केवल "ग्रामीण मार्ग" पर अनन्यरूप से प्रक्रम मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, चालक तथा परिचालक को छोड़कर प्रतिसीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है।

1[(छ) बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जा रहे मोटरयान,

(क) 12 यात्रियों तक को ले जाने के लिये अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)

(ख) 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)

₹. 1000.00 प्रतिसीट प्रतिमास सम्पूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता के अनुसार;

₹. 1500.00 प्रतिसीट प्रतिमास सम्पूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता के अनुसार।]

स्पष्टीकरण (1) -- यान में, ले जाने के लिए अनुज्ञात यात्रियों की संख्या जिसमें ऐसे यान के चालक तथा परिचालक सम्मिलित नहीं होंगे, और :-

(एक) किसी मोटरयान की दशा में, जिसके संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञा पत्र मंजूर किया गया है, यात्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि मोटरयान में ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत है।

(दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र के बिना किराए या पारिश्रमिक पर चलाए जा रहे किसी मोटरयान की दशा में, व्यक्तियों अथवा यात्रियों की अधिकतम वह संख्या होगी जो यदि अनुज्ञापत्र पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मंजूर किया जाता तो यान में ले जाने के लिए अनुज्ञात की जाती :

परन्तु किसी ऐसी मोटर केब या मोटरकार की दशा में, जिसका कि मंजिली गाड़ी के रूप में दुरुपयोग किया गया है, यात्रियों की संख्या वही होगी जो ऐसे दुरुपयोग के समय वस्तुतः ले जा गए व्यक्तियों या यात्रियों की संख्या है।

स्पष्टीकरण (2) -- मद (ग) (एक) तथा (घ) (एक) के प्रयोजनों के लिए "एक्सप्रेस सेवा" से अभिप्रेत है ऐसी सेवा जो परिवहन प्राधिकारी द्वारा उस रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है।

स्पष्टीकरण (3) -- किसी यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात दूरी किसी ऐसे मोटरयान की दशा में, जिसके कि संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापत्र मंजूर

किया गया है, वह दूरी होगी जो ¹[मध्यप्रदेश में अनुज्ञापत्र के अनुसार] तय की जाने के लिए प्राधिकृत की गई है।

स्पष्टीकरण (4) -- जहाँ मध्यप्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य की सरकार के बीच के किसी करार के अनुसरण में, किसी ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में, जो किसी ऐसे मार्ग पर चलाई जा रही है जो भागतः मध्यप्रदेश में और भागतः किसी अन्य राज्य में आता है, कर केवल मध्यप्रदेश सरकार को ही देय है वहाँ ऐसे यान के संबंध में कर की संगणना, ऐसी मंजिली गाड़ी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे मार्ग पर तय की गई कुल दूरी पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण (5) -- जहाँ किसी मंजिली गाड़ी में परिचालक को ले जाने से छूट दी गई वहाँ स्पष्टीकरण (1) में आने वाले शब्द "चालक तथा परिचालक" का अर्थ केवल "चालक" लगाया जाएगा।

²स्पष्टीकरण (6) -- खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिए, मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र धारक की आरक्षित मंजिली गाड़ियों/ अतिरिक्त बसों की संख्या उस अन्तर के बराबर होगी, जो स्वामित्व के कुल यानों की संख्या तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अपेक्षित कुल यानों की संख्या के बीच हो।

स्पष्टीकरण (7) -- खण्ड (छ) में के शब्द "बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जा रहे" के अन्तर्गत आता है किसी अप्राधिकृत मार्ग पर किसी लोक सेवा यान का चलाया जाना या मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत न की गई कोई ट्रिप करना, किन्तु उसके अन्तर्गत किसी लोक सेवा यान का ³[***] मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) में अधिकथित परिस्थितियों के अधीन चलाया जाना नहीं आता है।

स्पष्टीकरण (8) -- खण्ड (छ) के अधीन उद्ग्रहणीय कर का संदाय निम्नलिखित बातों के होते हुए भी किया जाएगा :-

(1) चाहे मोटरयान के स्वामी का अभियोजन किया गया हो या नहीं, और

(2) जहाँ मोटरयान बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जाने या अप्राधिकृत मार्ग पर चलाए जाने या उसके द्वारा अप्राधिकृत ट्रिप जाने के लिए चालान फाइल किए जाने के पश्चात् चाहे दण्डिक कार्यवाहियाँ समाप्त हो गई हों या नहीं हुई हों।]

⁴स्पष्टीकरण (9) -- मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्र पर चलाने के लिए प्राधिकृत बसों की बाबत देय कर :-

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 26 सन् 1991) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 26 सन् 1991) द्वारा (1-1-1992 से) अंतःस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) द्वारा (10-10-1992 से) विलोपित।
4. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) द्वारा (10-10-1992 से) अन्तःस्थापित।

- (एक) बसों की ऐसी संख्या के लिए जो धारित पत्रों के अन्तर्गत आने वाले समस्त मार्गों पर किसी भी दिन सेवा बनाए रखने हेतु चलाने के लिए अपेक्षित हो, उप-मद (घ) के अधीन, तथा
- (दो) बसों की शेष संख्या के बावत उप-मद (ङ) के अधीन, ऐसी बसों की औसत बैठने की क्षमता के आधार पर संगणित किया जाएगा।]

पाँच. मालयान -

¹[(क) जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान वजन--

(एक)	2000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 600.00 प्रति तिमाही।
(दो)	2000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 4000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 900.00 प्रति तिमाही।
(तीन)	4000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 6000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 1300.00 प्रति तिमाही।
(चार)	6000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 8000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 1700.00 प्रति तिमाही।
(पाँच)	8000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 10000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 2100.00 प्रति तिमाही।
(छह)	10000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 2500.00 प्रति तिमाही।
(सात)	12000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 14000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 2900.00 प्रति तिमाही।
(आठ)	14000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 16000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 3300.00 प्रति तिमाही।
(नौ)	16000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 18000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 3700.00 प्रति तिमाही।
(दस)	और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 2000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए।	रुपये 500.00 प्रति तिमाही।]

(ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन किसी अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए नेशनल परमिट के अन्तर्गत आने वाले मालयानों के संबंध में कर ²[रुपए 5000] प्रतिवर्ष होगा।

(ग) अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में जो अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के अधिकार पर चल रहे हैं, कर का संदाय, खण्ड पाँच के उपखण्ड (क) में तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट कर के ²[पिच्चासी प्रतिशत] की दर से किया जाएगा।

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा (5-1-2005 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 13 सन् 1993) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (घ) अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो एक मास से अनधिक कालावधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में चल रहे हैं, कर की दर, (खण्ड पाँच) के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट तिमाही के लिए देय कर की एक तिहाई होगी।

¹[²छह. ओमनी बस निजी उपयोग के लिए]-

छह से अधिक व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) के बैठने की क्षमता वाले और व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मोटरयान की प्रत्येक सीट के लिये-

- | | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| (क) | जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 तक है। | ₹. 100.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही। |
| (ख) | जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 से अधिक है। | ₹. 350.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही।] |

¹[सात. प्राइवेट सेवा यान -

चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से उसके अपने व्यापार या कारबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को किराये अथवा पारितोषिक पर न होकर अन्यथा ले जाने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्राइवेट सेवा यान--

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ³ [(एक) जहाँ कि यान स्वामी के नाम से रजिस्ट्रीकृत है | ₹. 450.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही। |
| (दो) जहाँ कि यान स्वामी द्वारा पट्टा करार के अधीन भाड़े पर अर्जित किया गया है। | ₹. 600.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही।] |

आठ. शैक्षणिक संस्था बस-

चालक को छोड़कर छह व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाली शैक्षणिक संस्था बस जो साधारणतया किसी महाविद्यालय, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से उपयोग में लाई जाती है और जिसका उपयोग संस्था के क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारीवृन्द के परिवहन के लिए ही किया जाता है।

₹. 30.00 प्रतिसीट।

¹[नौ. इस अनुसूची के विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग में से किसी वर्ग के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मोटरयान

जिसका लदान रहित वजन-

- | | |
|---|-------------------------|
| (एक) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | ₹. 152.00 प्रति तिमाही। |
| (दो) 1000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 2000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | ₹. 200.00 प्रति तिमाही। |

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 11 सन् 1997) द्वारा (1-4-1997 से) प्रतिस्थापित।
 2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
 3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित।

(तीन)	2000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 290.00 प्रति तिमाही।
(चार)	3000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 4000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 382.00 प्रति तिमाही।
(पाँच)	4000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 5000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 527.00 प्रति तिमाही।
(छह)	5000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 6000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 690.00 प्रति तिमाही।
(सात)	6000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 7000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 871.00 प्रति तिमाही।
(आठ)	और तत्परचात् प्रत्येक अतिरिक्त 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	रुपये 254.00 प्रति तिमाही।
(नौ)	प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर	रुपये 73.00 प्रति तिमाही।
[(दस)	ऐसे यान, जो क्रेन, क्रेशर, बुलडोजर, डम्पर, लोडर ट्रक, पेलोडर, अर्थमूवर, मोटर ग्रेडर, यांत्रिक फावड़ा (मैकेनिक शोवल) तथा हार्वेस्टर के नाम से आशयित हैं, और जिनका लदान रहित भार--	
(एक)	700 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 3700/- प्रति तिमाही
(दो)	और तत्परचात् प्रत्येक 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए	रु. 500/- प्रति तिमाही।]

टिप्पणी -- (1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कर की दरें, संबंधित वर्ग के मोटरयानों को तभी लागू होंगी जब उनमें हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुए हों।

(2) गैर हवादार (नान न्यूमेटिक) टायर लगे हुए किसी मोटरयान की बाबत कर की दरें उसी वर्ग के हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुए यान के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों का डेढ़ गुना होंगी।]

टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम अनुसूची का स्पष्टीकरण (7) के साथ पठित म.प्र. मोटरयान संशोधन अधिनियम, 2004 द्वारा यथा संशोधित म.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार के खण्ड (छ) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की विधि को असंवैधानिक घोषित किया -- लंबित मामलों पर परिणाम -- असंवैधानिकता के प्रश्न पर विचार करने एवं लंबित मामलों पर उसे लागू करने के संबंध में विचार करने हेतु उच्च न्यायालय स्वतंत्र है। **अपील प्राधिकारी/परिवहन आयुक्त बनाम विभागीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य परिवहन निगम, 2008 (1) एम.पी.एल.जे. 294।**

प्रथम अनुसूची के खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण (7) के अधीन उपबंध -- असंवैधानिक है -- परमिट-धारक के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह परमिटधारी नहीं है -- 1988 की धारा 192क के अधिनियम के अधीन उल्लंघन दंडनीय बनाया गया है। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू. 556।**

1. अधिसूचना क्र. एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा उप मद जोड़ी गई। (दिनांक 1 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त)। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18-7-2008 पृष्ठ 853-854 पर प्रकाशित।

द्वितीय अनुसूची

[धारा 3 की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक]

मोटर यानों का वर्णन (1)	जीवन काल कर की दर (2)
1. संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलें जिनका लदान रहित वजन- (एक) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (दो) 70 किलोग्राम से अधिक है।	यान के मूल्य (कास्ट) का ² [7 प्रतिशत] यान के मूल्य (कास्ट) का ² [7 प्रतिशत]
2. मोटर कारें जिनका लदान रहित वजन - (एक) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (दो) 800 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (तीन) 1600 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (चार) 2400 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (पाँच) 3200 किलोग्राम से अधिक है।	यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]। यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]।
स्पष्टीकरण -- (1) यान का मूल्य (कास्ट) से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मूल्य (कास्ट)। (2) उपरोक्त वर्ग के यानों के मूल्य (कास्ट) के आधार पर जीवन-काल-कर की संगणना करने के लिए, यान के स्वामी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा जारी की गई विक्रय रसीद प्रस्तुत करे।]	
3. निजी उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) है।	यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत]
4. अशक्त यात्री गाड़ी	360]
5. 3 + 1 तक की बैठक की क्षमता वाले ऑटोरिक्शा।	बाजार मूल्य का 6 प्रतिशत।]
6. क्रेन, क्रेशर, बुलडोजर, 7[***] ट्रक, लोडर ट्रक, अर्थमूवर/पेलोडर, मोटर ग्रेडर तथा यांत्रिकी फावड़ा (मैकेनिकल शोवल)।	यान की लागत का 6 प्रतिशत।]

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 11 सन् 1997) द्वारा (1-4-1997 से) प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-31-2009-आठ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा अंक और शब्द "5 प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 पृष्ठ 1037 पर प्रकाशित। इससे पूर्व मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) द्वारा "5 प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किये गए थे।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-2-2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।
4. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
5. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) द्वारा अन्तःस्थापित।
6. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा (5-1-2005 से) अन्तःस्थापित।
7. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा शब्द "डम्पर ट्रक" विलोपित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-2-2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।

- 1[7. माल यान, जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार 2000 किलोग्राम या कम है। यान के मूल्य (कास्ट) का 10 प्रतिशत जीवन-काल-कर।
8. डम्पर ट्रक यान के मूल्य (कास्ट) के 10 प्रतिशत की दर पर जीवन-काल-कर।]

तृतीय अनुसूची

[धारा 4 देखिए]

यानों का वर्णन	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के प्रथम सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के अतिरिक्त सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर
	रुपये	पैसे
(1) मोटर साइकिलें	400.00	400.00
(2) भारी मोटरयानों के चेसिस	600.00	600.00
(3) अन्य यान	500.00	500.00

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा जोड़ा गया। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991

क्र. एफ. 8-3-91-आठ, दिनांक 24 दिसम्बर, 1991 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 है।

(ख) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसको कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रवृत्त किया जाए।

2. परिभाषाएँ -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991);

(ख) "मोटरयान में परिवर्तन" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या अनुज्ञा पत्र की, जिसके अन्तर्गत मोटरयान आता है, विशिष्टियों में किया गया कोई परिवर्तन;

(ग) "बेड़ा स्वामी" से अभिप्रेत है, मंजिली गाड़ियों या ठेका गाड़ियों या दोनों को मिलाकर एक सौ या उससे अधिक के एक अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञा पत्रों को धारण करने वाला कोई स्वामी;

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ङ) "मास" से अभिप्रेत है ब्रिटिश कलैण्डर के अनुसार संगणित मास;

(च) "टोकन" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया टोकन;

(छ) अभिव्यक्ति "राज्य में अस्थायी रूप से उपयोग के लिए लाया गया मोटरयान" से अभिप्रेत है, अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य में उपयोग हेतु लाया गया या उपयोग हेतु रखा गया कोई मोटरयान;

(ज) "परिवहन जांच चौकी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश मोटर परिवहन यानों पर पथकर का उद्ग्रहण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अधीन स्थापित किया गया कोई नाका;

(झ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए हैं।

3. कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता -- अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किए गए कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता वही होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परन्तु यदि एक से अधिक अधिकारी कराधान प्राधिकारी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तो परिवहन आयुक्त लिखित आदेश द्वारा उनकी अधिकारिता और उनमें से प्रत्येक के द्वारा किये जाने वाले कृत्यों का अवधारण कर सकेगा।

4. देय कर की प्रविष्टियाँ -- (1) जहाँ कोई मोटरयान राज्य में रजिस्ट्रीकृत है या कोई मोटरयान राज्य में लाया जाता है तो कराधान प्राधिकारी उस मोटरयान के संबंध में देय मासिक, तिमाही, छहमाही, वार्षिक या जीवन काल कर की रकम से संबंधित प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में करेगा और नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन विहित किए गए "भाग और वसूली के रजिस्टर" में भी करेगा।

(2) किसी मोटरयान को लागू होने वाली कर की दर की शुद्धता अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कराधान प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मोटरयान के स्वामी या चालक या किसी अन्य भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यथास्थिति ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करे।

1]5. घोषणा का फाइल किया जाना -- (1) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन फाइल किए जाने हेतु अपेक्षित घोषणा-

(एक) परिवहन यान से भिन्न यान के लिए प्ररूप "क" में;

(दो) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले मोटरयान से भिन्न परिवहन यान के लिए प्ररूप "ख" में;

(तीन) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले परिवहन यान के लिए प्ररूप "ख-1" में; और

(चार) मोटरयान के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा प्ररूप "ग" में,

होगी और उसमें कथित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा :-

(एक) यदि कर किसी यान के जीवन काल के लिए देय है तो जीवनकाल कर के संदाय के लिए नियत अंतिम तारीख को या उसके पूर्व;

(दो) यदि कर किसी तिमाही के लिए देय है तो तिमाही प्रारंभ होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर;

(तीन) यदि कर एक मास के लिए देय है तो मास प्रारंभ होने के पश्चात् 10 दिन के भीतर;

(चार) यदि कर एक तिमाही या एक मास की कालावधि से कम कालावधि के लिए देय है तो उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको कि कर शोध्य हो जाता है,

फाईल की जाएगी :

परन्तु किसी ऐसे मोटरयान के संबंध में, जिसका राज्य में रजिस्ट्रीकरण होना है, प्रथम घोषणा उस तारीख को या उसके पूर्व जिसको कि उसका रजिस्ट्रीकरण होना है, फाइल की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 47, 49 या 50 के अधीन क्रमशः नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने, निवास या व्यापार के स्थान में परिवर्तन करने या स्वामित्व का अंतरण करने के लिए राज्य में लाए गए मोटरयान की बाबत् प्रथम घोषणा, राज्य में प्रवेश के समय फाईल की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि मासिक दर पर कर संदाय कर रहे मोटरयान की बाबत् प्रथम घोषणा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 के प्रवृत्त होने के दस दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(3) घोषणा के साथ कर के संदाय के साध्य स्वरूप रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, "मूल प्रति" अंकित किया हुआ भुगतान शुदा कोषालय चालान या नकद रसीद या तो स्वामी द्वारा व्यक्तिशः या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कराधान प्राधिकारी को परिदत्त की जाएगी।

(4) यदि किसी मोटरयान का स्वामी टोकन प्राप्त करने के लिए स्थान परिवर्तन का इच्छुक है तो यह एक घोषणा प्ररूप "घ" में, दो प्रतियों में उस कराधान प्राधिकारी के समक्ष, जहाँ वह नियमित रूप से कर का संदाय कर रहा है, फाईल करेगा।

(5) प्ररूप "घ" में घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि मोटरयान के स्वामी से कोई कर, शास्ति या ब्याज शोध्य नहीं है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में तथा "मांग और वसूली के रजिस्टर" में, आवश्यक पृष्ठांकन करेगा और घोषणा की दूसरी प्रति अन्य कराधान प्राधिकारी को अप्रेषित करेगा।]

1]6. मोटरयान परिवर्तित हो जाने पर घोषणा का फाइल किया जाना -- (1) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में अपेक्षित अतिरिक्त घोषणा :-

(एक) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले यान से भिन्न यान के लिए प्ररूप "ङ" में, और

(दो) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले यान के लिए प्ररूप "ङ-1" में,

उस तारीख को जिसको कि यान में परिवर्तन किया जाता है, फाइल की जाएगी और उसमें कथित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।]

(2) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले मोटरयान के संबंध में उस तिमाही, छहमाही या वर्ष की बाबत्, जिसमें कि परिवर्तन किया गया है, देयकर के अन्तर की रकम का पूर्व से ही संदत्त की गई रकम और उस

तिमाही, छहमाही या वर्ष के लिए उच्चतर दर पर देय रकम के अन्तर के साथ वही अनुपात होगी जो कि उसे तिमाही, छहमाही या वर्ष के अनवसित भाग के तिमाही, छहमाही या वर्ष के साथ होता है :

परन्तु यदि धारा 5 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट किया गया कोई मोटरयान परिवर्तित किया जाता है तो कर का अन्तर उस संपूर्ण मास के लिए जिसमें कि ऐसा परिवर्तन किया गया है, संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि ऐसे मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र या किसी ठेका गाड़ी अनुज्ञा पत्र के जिसके लिए कर का उच्चतर स्लेब लागू होता है, स्वीकृत होने के कारण कोई मोटरयान परिवर्तित किया जाता है तो कर का अन्तर उस मास के, जिसमें कि ऐसा परिवर्तन किया गया है, अनवसित भाग के लिए अनुपातिक दर के आधार पर संदत्त किया जाएगा ।

(3) जहाँ किसी मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र या किसी ठेका गाड़ी अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी लोक सेवा यान के स्थान पर, अनुज्ञा पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्रदत्त करने के पश्चात् किसी अन्य यान को स्थापित किया जाता है, वहाँ पूर्व में संदत्त किए गए कर के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसी तारीख जिसको कि यान प्रतिस्थापित किया गया है, के पश्चात् आने वाली कालावधि के लिए ऐसे अन्य यान के संबंध में संदत्त कर दिया गया है, अनुज्ञा पत्र से हटा दिया गया यान, ऐसे प्रतिस्थापन की तारीख के पश्चात् आने वाली तारीख से अधिनियमित तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

1[(4) जब किसी यान का, जो मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा पत्र के ऐसे मार्ग पर जिस पर ऐसा यान ऐसे अनुज्ञापत्र द्वारा संचालन हेतु प्राधिकृत है, सेवा बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उस यान की बाबत कोई अतिरिक्त कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा यदि ऐसे अनुज्ञा पत्र की बाबत प्रथम अनुसूची के मद चार की उप मद (घ) के अधीन युक्तियुक्त स्लेब के अनुसार शोधकर का संदाय सम्यक् रूप से कर दिया गया है ।]

स्पष्टीकरण -- (1) तिमाही, छहमाही या वर्ष के अनवसित भाग की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी मास के भाग को संपूर्ण मास के रूप में समझा जाएगा ।

(2) यह नियम ऐसे लोक सेवा यान को भी लागू होगा, जो ऐसे अनुज्ञा पत्र के, जिसके लिए कर का उच्च स्लेब लागू होता है, स्वीकृत होने के कारण उच्चतर स्लेब में कर का संदाय करने का दायी हो जाता है, किन्तु ऐसे मामले में लागू नहीं होगा, जहाँ उस मोटर कार का, जिसके संबंध में जीवन काल कर का संदाय किया जा चुका है, दुरुपयोग मालयान, मोटर केब या मंजिली गाड़ी के रूप में किया गया है ।

2[6क. देय कर का अवधारण -- (1) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी, विलंब किए बगैर देय कर की रकम का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा और उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन यथाशीघ्र आदेश पारित करेगा ।

(2) जहाँ स्वामी द्वारा कर का संदाय करने के लिए नियत अंतिम तारीख तक कोई घोषणा फाइल नहीं की जाती है, तो कराधान प्राधिकारी, विलंब किए बगैर देय कर की रकम का अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन स्वप्रेरणा से अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा और उस उपधारा के अधीन यथाशीघ्र आदेश पारित करेगा ।

(3) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) या (4) के अधीन आदेश पारित करते समय कराधान प्राधिकारी ऐसे आदेश की उसी समय प्ररूप "ड-2" में सूचना जारी करेगा जो स्वामी पर नियम 15 के उपनियम (2) में अधिकथित रीति में तामील की जाएगी ।]

3[स्पष्टीकरण -- उपनियम (1) या (2) के अधीन पारित आदेश तब तक वैध रहेगा जब तक कि कर की दर या यान परिवर्तित न कर दिया जाए और कर का नया अवधारण कर की दर या यान में किसी परिवर्तन के पश्चात् ही आवश्यक होगा ।]

7. कर आदि के संदाय की रीति -- (1) अधिनियम की धारा 3 या 4 के अधीन देय कर का संदाय यथास्थिति स्वामी, व्यापारी या विनिर्माता द्वारा कराधान प्राधिकारी को निम्नानुसार किया जाएगा :-

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा अंतःस्थापित ।
3. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (क) यदि किसी तिमाही के लिए कर देय हो तो उस तिमाही के प्रारंभ होने के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर;
 (ख) यदि किसी मास के लिए कर देय हो तो उस मास के प्रारंभ होने के पश्चात् दस दिन के भीतर;
 (ग) यदि एक तिमाही या एक मास से कम की कालावधि के लिए ¹[या यान के जीवनकाल के लिए] कर देय हो तो उस तारीख को या उसके पूर्व जिसको की कर देय होता है :

²[परन्तु किसी ऐसे मोटरयान के संबंध में, जिसका राज्य में रजिस्ट्रीकरण होना है, कर उस तारीख को, जिसको कि उसका रजिस्ट्रीकरण होना है, संदत्त किया जाएगा।]

परन्तु यह और भी कि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र चलाए जाने वाले लोक सेवा यान द्वारा ²[देय कर का अन्तर] यथास्थिति, अस्थायी अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र जारी होते समय संदत्त किया जाएगा।

- (2) कर का संदाय दो या अधिक तिमाहियों के लिए अग्रिम में संदत्त किया जा सकेगा।
 (3) अधिनियम के अधीन प्रत्येक रकम का संदाय :-
 (क) उस स्थान के, जहां कि कराधान, प्राधिकारी अवस्थित है, ¹[किसी अधिसूचित बैंक] के नाम पर लिखे गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।
 (ख) कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर अवस्थित कोषालय या उपकोषालय में कोषालय चालान द्वारा जमा करके किया जाएगा :

परन्तु कराधान प्राधिकारी, परिवहन यान से भिन्न किसी यान के स्वामी को अपने कार्यालय में नकद रकम जमा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे मामले में रकम जमा करने वाले व्यक्ति को धन रसीद जारी की जाएगी।

(4) कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में शोध्य रकम नगद जमा करने के लिए अनुज्ञात किए जाने की दशा में नकद रकम प्राप्त करने के लिए कराधान प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति :-

- (क) यदि संदाय जीवन-काल कर के संबंध में है तो प्ररूप-च में;
 (ख) अन्य मामलों में प्ररूप "छ" में,

तीन प्रतियों में धन रसीद तैयार करेगा; और दूसरी प्रति रकम जमा करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी तथा प्रथम प्रति, यथास्थिति नियम 5 या 6 के अधीन विहित की गई घोषणा के साथ चस्या की जाएगी।

(5) कर का संदाय करने की तारीख वही होगी जो कि यथास्थिति कराधान प्राधिकारी द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने की तारीख है या कोषालय में रकम जमा करने की तारीख है या कराधान प्राधिकारी कार्यालय में रकम जमा करने की तारीख है :

³[परन्तु नियम 14 के उपनियम (9) के अनुसार वापसी के दावे के समायोजन द्वारा कर के संदाय करने की तारीख, उस नियम के उपनियम (2) के अधीन कर की वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख समझी जाएगी।]

(6) कराधान प्राधिकारी, स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि मोटरयान के संबंध में शोध्य कर संदत्त किया जा चुका है, रजिस्ट्रीकरण में प्रमाण-पत्र के संदाय की गई कर की रकम को और उस कालावधि को, जिसके लिए उसका संदाय किया गया है, विनिर्दिष्ट करते हुए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और कार्यालय की मुद्रा से मुद्रांकित करके पृष्ठांकन करेगा, साथ ही साथ नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन विहित किए गए "मांग और वसूली रजिस्टर" में पृष्ठांकन किया जाएगा जिसे स्वयं कराधान प्राधिकारी के द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा, जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, हस्ताक्षरित किया जाएगा।

8. अन्य राज्यों के मोटरयानों के संबंध में कर का संदाय करने की रीति -- (1) इस नियम में इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय राज्य में अस्थायी उपयोग से अन्यथा लाया गया कोई मोटरयान यथास्थिति, अधिनियम की प्रथम या द्वितीय अनुसूची के अनुसार, कर संदाय करने का दायी होगा।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा अंतःस्थापित।
 2. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के अन्तर्गत कोई मोटरयान मध्यप्रदेश में चलाए जाने के लिए वैध प्राधिकार पत्र सहित मध्यप्रदेश में प्रवेश के समय, परिवहन जांच चौकी पर कर का संदाय करेगा। संदाय नकद या परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश को ग्वालियर में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा और उसका पृष्ठांकन जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 87 के उपनियम (2) के अधीन राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रथम अनुसूची की मद पाँच की उपमद (ख) के अधीन देय कर [प्राधिकार पत्र की मंजूरी के समय एक मुरत एक बार में या दो छः माही किस्तों में देय होगा]।

(4) यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रारंभिक प्राधिकार पत्र वर्ष की पहली तिमाही के पश्चात् किसी भी समय मंजूर किया गया हो तो रकम, वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए, उस तिमाही को सम्मिलित करते हुए जिसको प्राधिकार पत्र मंजूर किया गया हो, अनुपातिक दर के आधार पर देय होगी।

²[(5) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले कोई मोटरयान मध्यप्रदेश में चलाए जाने के लिये वैध प्राधिकार पत्र सहित मध्यप्रदेश में प्रवेश के समय, परिवहन जांच चौकी पर कर का संदाय करेगा। संदाय नकद में या परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश को ग्वालियर में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा और उसका पृष्ठांकन जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया जाएगा तथा इस प्रकार पृष्ठांकित प्राधिकार पत्र सदैव ही मालयान के साथ रखा जाएगा और निरीक्षण के लिए परिवहन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो सहायक परिवहन उपनिरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।]

(6) प्रथम अनुसूची की मद पाँच की उपमद (ख) के अधीन संदत्त किया गया कर और नियम 20 के उपनियम (4) के अधीन संदत्त की गई अतिरिक्त रकम वापसी योग्य नहीं होगी, किन्तु जहां प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत आने वाला कोई यान, अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, दूसरे यान से बदला जाता है तो पूर्व में संदत्त किए गए कर के बारे में यह समझा जाएगा कि यान को बदले जाने की तारीख के पश्चात् की कालावधि के लिए, बदले गए यान के लिए कर का संदाय किया गया है।

(7) राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए लाया गया मोटरयान, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम अनुसूची के अनुसार, निम्नलिखित रीति में कर के संदाय का दायी होगा :-

(एक) परिवहन यान के मामले में कर का संदाय, कराधान प्राधिकारी, को ऐसे यान के स्वामी द्वारा यथास्थिति :-

(क) राज्य में, अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन करते समय किया जाएगा; या

(ख) अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी को अस्थायी अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए आवेदन करते समय किया जाएगा।

(दो) परिवहन यान से भिन्न किसी यान के मामले में कर का संदाय, मोटरयान के स्वामी द्वारा, राज्य में यान के आगमन पर कराधान प्राधिकारी या परिवहन जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी को किया जाएगा : परन्तु राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए लाई गई मोटर साइकिल या मोटर कार या अशक्त यात्री गाड़ी के मामले में यदि उस मोटरयान की बाबत राज्य कर का संदाय अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पूर्व में किया जा चुका है या कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(तीन) राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए लाए गए मोटरयान का वह स्वामी, जो कर का संदाय करने का दायी है, राज्य में आगमन पर कर का संदाय करते समय कराधान प्राधिकारी या परिवहन जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्ररूप-ज में एक घोषणा फाइल करेगा।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-8-3-93-आठ, दिनांक 8-10-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ-8-2-99-आठ, दिनांक 20-8-1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चार) जहाँ यान के ऐसे स्वामी द्वारा कर का संदाय कर दिया गया हो वहाँ यथास्थिति कराधान प्राधिकारी या भारसाधक अधिकारी द्वारा प्ररूप-छ: में रसीद दी जाएगी।

1[8-क. बेड़ा स्वामी द्वारा घोषणा का फाइल किया जाना, कर का अवधारण और संदाय
--(1) नियम 5, 6, 6-क, 7 या 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बेड़ा स्वामी द्वारा उसके स्वामित्व की मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की जाने वाली अपेक्षित की गई घोषणा प्ररूप-ज-1 में होगी और मास के प्रारंभ होने के दस दिनों के भीतर सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कराधान प्राधिकारी को परिदत्त की जाएगी।

(2) बेड़ा स्वामी द्वारा मास के दौरान परिवर्तित की गई मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित की गई अतिरिक्त घोषणा प्ररूप ज-2 में होगी और मास के समाप्त होने के दस दिन के भीतर सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कराधान प्राधिकारी को परिदत्त की जाएगी।

(3) यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन घोषणा या उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा के साथ ऐसे कर के जिसका संदाय करने के लिए वह बेड़ा स्वामी ऐसी घोषणा या अतिरिक्त घोषणा द्वारा दायी होना प्रतीत होता है, संदाय करने के साक्ष्य स्वरूप रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या "मूल प्रति" अंकित किया हुआ भुगतान शुदा कोषालय चालान, संदाय किया जाएगा।

(4) मास के लिए उपनियम (1) के अधीन घोषणा तथा उपनियम (2) के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी घोषणा तथा अतिरिक्त घोषणा ठीक होने के संबंध में स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे एक लिखित आदेश द्वारा बेड़ा स्वामी द्वारा उसकी मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में मास के लिए देय कर की रकम का अवधारण करेगा तथा नियम 15 के उपनियम (2) में अधिकथित रीति में प्ररूप ज-3 में ऐसे आदेश की सूचना बेड़ा स्वामी पर तामील की जाने के लिए जारी करेगा।

(5) यदि बेड़ा स्वामी उपनियम (1) के अधीन घोषणा या उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा फाइल करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी अविलंब उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर बेड़ा स्वामी द्वारा देय मासिक कर की रकम का स्वप्रेरणा से अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा अधिनियम और इन नियमों के अनुसार इस प्रकार अवधारित कर की वसूली करने हेतु अग्रसर होगा।

(6) जब, बेड़ा स्वामी द्वारा उसकी मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में देय मासिक कर की रकम का यथास्थिति उपनियम (4) या (5) के अधीन अवधारण किया जाता है तो संदत्त किए गए कर का अन्तर, इन नियमों में अधिकथित रीति के अनुसार बेड़ा स्वामी द्वारा संदाय किया जाएगा या उसे वापस किया जाएगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए कराधान प्राधिकारी बेड़ा स्वामी से उसके समक्ष कोई यान का कोई लेखा, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा अथवा यान या लेखा, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेजों का परीक्षण कर सकेगा और बेड़ा स्वामी ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।]

9. टोकन -- (1) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन यथास्थिति, कर का मासिक, तिमाही, छहमाही या वार्षिक संदाय करने के लिए यथा अपेक्षित प्रदान किया जाने वाला टोकन प्ररूप-झ में होगा और कराधान प्राधिकारी द्वारा या इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रदान किया गया टोकन ऋतुसह (वेदर प्रूफ) बनाए गए वृत्ताकार होल्डर में मोटरयान के पृष्ठभाग पर किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित किया जाएगा और उसे इस प्रकार लगाया जाएगा जिससे

कि वह दिन के प्रकाश में चालक की सीट के सामने से या उसके बराबर स्तर पर मोटरयान की बगल में खड़े किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिख सके।

(3) प्रथम अनुसूची की मद चार की उप मद (घ), (ङ) और (च) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी किसी लोक सेवायान के स्वामी को कराधान प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-अ में एक प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्रदान किया गया टोकन और उपनियम (3) के अधीन मंजूर किया गया प्रमाण-पत्र मोटरयान के साथ रखा जाएगा और मांग किये जाने पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को, जो सहायक परिवहन उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो और किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति इस नियम में उपबंधित की गई रीति में टोकन की किसी अनुकृति (इमीटेशन) का प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे टोकन की, जो अपठनीय हो गया हो, प्रयोग मोटरयान पर नहीं करेगा।

(6) (एक) यदि कोई टोकन गुम, नष्ट, विरूपित या अपठनीय हो जाए तो मोटरयान का स्वामी, उस कराधान प्राधिकारी को जिसने टोकन जारी किया था, तथ्य की तत्काल रिपोर्ट करेगा और टोकन की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(दो) यदि मूल टोकन विरूपित या अपठनीय हो गया हो तो वह टोकन की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन के साथ लौटा दिया जाएगा।

(तीन) यदि कराधान प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि उसके द्वारा जारी किया गया मूल टोकन गुम, नष्ट, विरूपित हो गया है या अपठनीय हो गया है, तो वह, फीस के पाँच रुपए का संदाय किये जाने पर, टोकन की द्वितीय प्रति जारी करेगा।

(चार) टोकन की द्वितीय प्रति इस नियम के उपनियम (2) में उपबंधित किए अनुसार प्रदर्शित की जाएगी।

(पाँच) यदि मूल टोकन, जिसके गुम हो जाने की रिपोर्ट की गई थी द्वितीय प्रति जारी होने के पश्चात् मिल जाता है तो यान का स्वामी उसे कराधान प्राधिकारी को समर्पित कर देगा।

(छह) प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद (घ), (ङ) और (च) के अधीन लोक सेवा यान के संबंध में संदत किए गए कर के प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए फीस दस रुपए होगी।

(7) किसी रसीद, चालान, टोकन, प्रमाण-पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की फोटो प्रति को अधिनियम के अधीन शोध्य रकम संदत की जा चुकने के समर्थन में सबूत नहीं माना जाएगा और यदि मोटरयान का स्वामी ऐसे किसी अभिलेख की फोटो प्रति प्रस्तुत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसका कोई सबूत प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।

10. शास्ति आदि का अधिरोपण और संदाय -- (1) अधिनियम की धारा 13 के अधीन देय शास्ति मोटरयान के स्वामी द्वारा शोध्य कर की रकम के साथ संदत की जाएगी और उसके ब्यौरे यथास्थिति, नियम 5 या 6 के अधीन विनिर्दिष्ट घोषणा में दिए जाएँगे।

(2) प्ररूप "क", "ख" या "ग" में घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी स्वामी द्वारा संदत की गई शास्ति की रकम की शुद्धता के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी रकम सही रूप से संदत की जा चुकी है, तदर्थक आदेश पारित करेगा।

(3) घोषणा का परीक्षण करने पर यदि कराधान प्राधिकारी का, स्वामी द्वारा संदत की गई शास्ति की रकम की शुद्धता के संबंध में समाधान नहीं होता है तो वह यान के स्वामी को या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् घोषणा के अंतर्गत आने वाली कालावधि के लिए शास्ति की रकम नियत करते हुए, आदेश पारित करेगा।

(4) अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन अधिकथित कालावधि के भीतर, यदि मोटरयान का स्वामी कर संदत करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र, किंतु ऐसी कालावधि का अवसान होने के

पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर स्वप्रेरणा से शास्ति की रकम नियत करने के लिए कार्यवाही करेगा और कर, शास्ति और ब्याज की रकम वसूल करने के लिए अविलंब कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

11. मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया -- (1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के प्रयोजन के लिए, स्वामी प्ररूप "ट" में, उपयोग न किए जाने की कालावधि प्रारंभ होने के पूर्व उपयोग न किए जाने की सूचना संबंधित कराधान प्राधिकारी को देगा।

¹[(2) वाहन के उपयोग न किये जाने की सूचना कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में नकद जमा की गई राशि की रसीद या चालान की प्रति जो कि किसी शासकीय कोषालय, उपकोषालय या शासकीय कार्य करने हेतु अधिकृत बैंक में जमा कराई गई हो, के साथ दी जावेगी। एक माह तक के लिए समर्पण पर रुपये 200.00, एक माह से दो माह के लिए समर्पण पर रुपये 800.00 तथा दो माह से अधिक के लिए समर्पण रुपये 1000.00 प्रति माह की दर से राशि का चालान/रसीद वाहन स्वामी या उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा कराधान प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।]

(3) स्वामी, उपयोग न किए जाने की सूचना के साथ, निम्नलिखित दस्तावेज जमा करेगा :-

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र,

(दो) कर टोकन,

(तीन) कर का प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो,

(चार) उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र,

(पाँच) बीमा प्रमाण-पत्र, और

(छह) यान का अनुज्ञापत्र, यदि कोई हो, और उसके साथ अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी का ²[प्ररूप ट-1 में आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र] :

परंतु उपरोक्त खण्ड (छः) में निर्दिष्ट आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र, निम्नलिखित के मामले में अपेक्षित नहीं होगा --

(क) ²[माल यान या प्राइवेट सेवा यान], और

(ख) लोक सेवा यान, यदि अनुज्ञापत्र किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित किया गया है।

(4) उपयोग न किए जाने की सूचना में उस स्थान का, जहाँ उपयोग न किए जाने की कालावधि के दौरान मोटरयान रखा जाएगा, प्ररूप "ट" में समुचित स्थान में, डाक का पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) कराधान प्राधिकारी, स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि उपयोग न किए जाने की सूचना सभी प्रकार से पूर्ण है तथा उसके साथ नकद रसीद और उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट दस्तावेज, यथाक्रम में लगे हैं, सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अभिस्वीकृति जारी करेगा :

³[परंतु यदि मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के साथ उपनियम (3) के खण्ड (6) में निर्दिष्ट "आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र" संलग्न नहीं किया जाता है तो कराधान प्राधिकारी अपना स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात् कि लोक यान का उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण है, आवेदित कालावधि से अनधिक कालावधि के लिए अभिस्वीकृति जारी कर सकेगा :

परंतु यह और कि कराधान प्राधिकारी स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदित कालावधि से कम कालावधि के लिए यान का उपयोग न किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा।]

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-280-03-आठ, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अंतःस्थापित।

1[पन्तु यह और कि किसी वाहन को एक कलेण्डर वर्ष में 45 दिवस से अधिक समय के समर्पण की अवधि नहीं दी जा सकेगी। उक्त अवधि से अधिक समय के लिये एक साथ या टुकड़ों में विशेष परिस्थितियों में केवल परिवहन आयुक्त द्वारा लिपिबद्ध कारणों सहित की अनुमति दी जा सकेगी। 2[***]]

(6) उपयोग न किए जाने की कोई सूचना, जो अपूर्ण हो या इस नियम के उपनियम (1) से (4) तक की अपेक्षाओं का समाधान न करती हो, उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटाई जा सकेगी और ऐसे मामले में यह समझा जाएगा कि कोई सूचना दी ही नहीं गई है।

(7) कराधान प्राधिकारी द्वारा उपनियम (5) के अधीन उपयोग न किए जाने की प्रत्येक ऐसी सूचना की, जिसकी अभिस्वीकृति दी गई है, प्रविष्टि कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में प्ररूप "ठ" में रखे गए एक रजिस्टर में क्रमानुसार की जाएगी और कराधान प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि पर आद्याक्षर किए जाएंगे, कराधान प्राधिकारी प्रत्येक मास के अंतिम दिन रजिस्टर की जांच स्वयं करेगा और उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के नीचे हस्ताक्षर करेगा।

(8) प्रत्येक मास की समाप्ति पर कराधान प्राधिकारी ऐसे समस्त मोटरयानों की, जिनके संबंध में उपयोग न किए जाने की सूचना की अभिस्वीकृति दी गई है और मास के दौरान रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है, एक सूची तैयार करवाएगा और उसकी प्रतियाँ परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों को प्रदाय करेगा जिन्हें परिवहन आयुक्त लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(9) कराधान प्राधिकारी उपयोग न किए जाने के लिए रखे गए किसी मोटरयान का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे समस्त मोटरयानों का निरीक्षण ऐसे अधीनस्थ अधिकारी से, जो सहायक उप परिवहन निरीक्षक की पद श्रेणी से नीचे का न हो, कराएगा और जब भी ऐसे निरीक्षण किए जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट की प्रविष्टि उपनियम (7) में निर्दिष्ट रजिस्टर में की जाएगी।

(10) स्वामी मोटरयान को विनिर्दिष्ट स्थान से किसी अन्य स्थान पर संबंधित कराधान प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के सिवाय नहीं हटाएगा और यदि मोटरयान को इस उपनियम के उल्लंघन में हटाया जाता है तो स्वामी कर की किसी वापसी का हकदार नहीं होगा।

(11) यदि स्वामी पहले से अनुज्ञात उपयोग न किए जाने की कालावधि को बढ़ाने का इच्छुक है तो वह उपयोग न किए जाने की नई सूचना प्रस्तुत करेगा और कराधान प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना पर यह मानकर कार्यवाही की जाएगी कि नई सूचना दी गई है और इस नियम के उपनियम (1) से (9) तक के उपबंध उसे लागू होंगे।

(12) स्वामी उस कालावधि के जिसके लिए उपयोग न किए जाने की सूचना की अभिस्वीकृति दी गई थी, अंतिम दिन के पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए कर संदाय करने का दायी होगा, इस बात के होते हुए भी कि चाहे उसने कराधान प्राधिकारी के पास से जमा किए गए दस्तावेजों का कब्जा ऐसी कालावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

टिप्पणी

इस नियम से संबंधित निर्णयज विधि के लिये देखें - राजकुमार गुप्ता और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2010 (I) A.C.T. 111 (CG) = 2009 (2) CGLJ 448 (DB).

12. अनुज्ञापत्र का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया -- 3[(1) नियम 11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72, 74 या 88 (9) के अधीन

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-280-03-आठ, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ-22-158-2005-आठ, दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा शब्दों "यदि कोई वाहन बिना इस प्रकार की पूर्व अनुमति लिये एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिये समर्पित रहता है तो उसका पंजीयन और अनुज्ञा-पत्र स्वमेव समाप्त माना जावेगा तथा उसे पुनः वाहन का पंजीयन कराना होगा या अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा।" को विलोपित किया गया। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 पृष्ठ 1158 (1) पर प्रकाशित।

3. अधिसूचना क्रमांक एफ-8-6-98-आठ, दिनांक 23-7-1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

मंजूर किए गए क्रमशः मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का धारक अपना अनुज्ञा पत्र प्ररूप "5" में आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से कराधान प्राधिकारी के पास जमा कर सकेगा :-

- (क) यानों की यांत्रिकी का (दुर्घटना या अन्य कारण से) ठप्प हो जाना या उसकी मरम्मत और अनुरक्षण;
- (ख) भारी वर्षा या अन्य कारण से मार्ग का मोटर चलाए जाने योग्य नहीं होना;
- (ग) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के आदेश के कारण प्रचालन न होना;
- (घ) होली के त्यौहार के कारण प्रचालन न होना;
- (ङ) निर्वाचन कार्य या विधि और व्यवस्था संबंधी कर्तव्य की दृष्टि से यान के अधिग्रहण के कारण प्रचालन न हो :

परन्तु एक या एक से अधिक आरक्षित यान रखने वाले मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा पत्र के धारक को ऊपर खण्ड (क) में वर्णित आधार पर ऐसा अनुज्ञा-पत्र जमा करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञा-पत्र धारक अनुज्ञा-पत्र का उपयोग नहीं किए जाने की सूचना, यदि वह ऐसा चाहता है तो, तीन मास के लिए मोटरयान कर अग्रिम में चुकाने के पश्चात्, तीन मास में एक बार प्ररूप "5" में दे सकेगा ।]

¹[(1- क) अनुज्ञा-पत्र धारक, अनुज्ञा-पत्र का उपयोग न किए जाने की प्ररूप "ङ" में घोषणा के साथ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद-चार की उप-मद (ङ) के अनुसार मोटरयान कर अग्रिम में चुकाएगा ।]

²[(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में जमा की गई राशि की नगद रसीद या चालान की प्रति जो कि किसी शासकीय कोषालय, उपकोषालय या बैंक जो कि शासकीय कार्य करने के लिये प्राधिकृत हो, में जमा की गई हो, एक माह तक के लिये समर्पण के लिये रुपये 200.00 एक माह से 2 माह के समर्पण के लिये रुपये 800.00 तथा 2 माह से अधिक के समर्पण के लिये रुपये 1000.00 प्रतिमाह की रसीद/चालान परमिटधारी या उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा कराधान प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी ।]

(3) अनुज्ञापत्र धारक, अनुज्ञापत्र का उपयोग न किए जाने ³[के आवेदन] के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें जमा करेगा :-

(एक) कर का प्रमाण पत्र; और

(दो) उपनियम (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की दशा में अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी से प्ररूप ³[ङ-1] में आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र; या

(तीन) उपनियम (1) में खण्ड (ग) की दशा में आदेश की प्रमाणित प्रति ।

(4) कराधान प्राधिकारी, स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि अनुज्ञापत्र का उपयोग न किए जाने के लिए आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है और उपनियम (2) और (3) की अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी गई है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अभिस्वीकृति जारी करेगा :

³[परंतु यदि अनुज्ञापत्र को जमा करने के लिए आवेदन के साथ उपनियम (3) के खण्ड (दो) में निर्दिष्ट "आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र" संलग्न नहीं किया जाता है और यदि जाँच के पश्चात् कराधान अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञापत्र को जमा करने के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कारणों में से कोई कारण विद्यमान है तो वह आवेदित कालावधि से अनधिक कालावधि के लिए अभिस्वीकृति जारी कर सकेगा :

परन्तु यह और कि कराधान प्राधिकारी धारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदित कालावधि से कम कालावधि के लिए अनुज्ञापत्र को जमा करना अनुज्ञात नहीं करेगा ।]

(5) कोई आवेदन पत्र जो अपूर्ण है या इस नियम के उपनियम (1) से (3) तक की अपेक्षाओं का समाधान नहीं करता है, उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटाया जा सकेगा और उस मामले में यह समझा जाएगा कि ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है ।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-8-6-98-आठ, दिनांक 23-7-1999 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-280-03-आठ, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) कराधान प्राधिकारी द्वारा उपनियम (4) के अधीन अभिस्वीकृति प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में प्ररूप "उ" में रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार की जाएगी और उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि की कराधान प्राधिकारी द्वारा उस दिन जांच पड़ताल की जाएगी और आद्याक्षरित की जाएगी।

(7) प्रत्येक मास की समाप्ति के पश्चात्, कराधान प्राधिकारी इस नियम के अधीन जमा किए गए समस्त अनुज्ञापत्रों की सूची तैयार कराएगा और मास के दौरान रजिस्टर में प्रविष्टि कराएगा और उसकी प्रतियाँ परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों को प्रदाय की जाएगी जिन्हें कि परिवहन आयुक्त लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(8) यदि अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र के जमा करने की पूर्व से अनुज्ञात कालावधि को बढ़ाने का इच्छुक है तो वह नवीन आवेदन पत्र देगा और कराधान प्राधिकारी ऐसे आवेदन पत्र पर यह मानकर कार्यवाही करेगा कि नया आवेदन पत्र दिया गया है और उसे इस नियम के उपनियम (1) से (7) तक के उपबंध इस संबंध में लागू होंगे।

(9) अनुज्ञा पत्र धारक उस कालावधि के जिसके लिए अनुज्ञा पत्र के उपयोग न किए जाने की सूचना की अभिस्वीकृति दी गई थी, अंतिम दिन के पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए मूल दर से कर का संदाय करने का दायी होगा, इस बात के होते हुए भी कि चाहे उसने कराधान प्राधिकारी के पास से जमा किए गए अनुज्ञा पत्र का कब्जा ऐसी कालावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

(10) इस नियम में की कोई भी बात मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मंजूर किए गए किसी अस्थाई अनुज्ञा पत्र या धारा 89 की उपधारा (8) के अधीन मंजूर किए गए किसी विशेष अनुज्ञा पत्र को लागू नहीं होगी।

(11) जहाँ कोई अनुज्ञा पत्र इस नियम के अधीन जमा किए जाएँ वहाँ अनुज्ञा पत्र धारक अनुज्ञा पत्र के मार्ग पर, इस कालावधि के दौरान जिसके लिए अनुज्ञा पत्र जमा किया गया है, सेवा का प्रचालन नहीं करेगा।

(12) जहाँ कराधान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जमा किया जाना अनुज्ञात किया जाए वहाँ अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन कर की वापसी की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कर की निचली दर ही प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद (ड) में अतिरिक्त बस के लिए विनिर्दिष्ट कर की दर होगी।

टिप्पणी

इस नियम से संबंधित निर्णयज विधि के लिये देखें - राजकुमार गुप्ता और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2010 (1) A.C.T. 111 (CG) = 2009 (2) CGLJ 448 (DB).

13. अकल्पित परिस्थितियों में मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया आदि --

(1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कर की वापसी का दावा करने के प्रयोजन के लिए, मोटरयान के स्वामी द्वारा या सम्यक् रूपेण प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा कराधान प्राधिकारी को मोटरयान के मार्ग पर न चलाए जाने के संबंध में एक सूचना, प्ररूप "ण" में दी जाएगी।

(2) ऐसी वापसी केवल तभी अनुज्ञेय होगी जबकि निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण से मार्ग पर मोटरयान का चलाया जाना संभव नहीं रहा हो :-

(एक) बाढ़, भूकम्प या कोई अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण के परिणामस्वरूप मार्ग पर बाधा उत्पन्न हो गई हो;

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 144 के अधीन किसी प्रतिबंधात्मक आदेश या अन्य विधि और व्यवस्था की स्थिति के कारण; या

(तीन) जहाँ मोटरयान (किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया) किसी दुर्घटना के कारण चलाए जाने योग्य नहीं रह गया हो।

(3) मार्ग पर मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना यथासंभव शीघ्र दी जाएगी किन्तु ऐसी सूचना उसके न चलाए जाने की कालावधि प्रारंभ होने की तारीख से, दस दिन के पश्चात् नहीं दी जाएगी और ऐसी सूचना के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे :-

(एक) दस रुपए की नगद रसीद;

(दो) उपनियम (2) के खण्ड (एक) की दशा में, लोक निर्माण विभाग सड़क के प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी से मार्ग, यान के चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त होने संबंधी ¹[प्ररूप ण-1 में प्रमाण पत्र]; या

(तीन) यथास्थिति, उपनियम (2) के खण्ड (दो) की दशा में, आदेश की एक प्रति अथवा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश की उद्घोषणा को अथवा विधि और व्यवस्था की उस स्थिति को, अभिप्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र जिसके कि परिणामस्वरूप मार्ग पर यान न चलाया जा सकता हो; या

(चार) उपनियम (2) के खण्ड (तीन) की दशा में, पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए किए गए दावे की सूचना की एक प्रति के साथ :

²[परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में तथा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, साधारण आदेश द्वारा, मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना प्रस्तुत करने के लिए पूर्वोक्त कालावधि को बढ़ा सकेगी।]

(4) कराधान प्राधिकारी स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि मार्ग पर मोटरयान न चलाए जाने की सूचना सभी प्रकार से पूर्ण है और उपनियम (3) की अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी गई है, सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(5) कोई सूचना जो अपूर्ण है या उपनियम (1) से (3) तक की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती है, प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को वापस की जा सकेगी और उस दशा में यह समझा जाएगा मानो कि ऐसी सूचना प्रस्तुत ही नहीं की गई।

(6) उपनियम (4) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा अभिस्वीकृत की गई प्रत्येक सूचना की कराधान प्राधिकारी कार्यालय में प्ररूप "त" में रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार प्रविष्टि की जाएगी और उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि की कराधान प्राधिकारी द्वारा उसी दिन जांच पड़ताल की जाएगी और वह आद्याक्षरित की जाएगी।

(7) इस नियम में की गई कोई भी बात मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मंजूर किए गए किसी अस्थाई अनुज्ञा पत्र या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन मंजूर किए गए किसी विशेष अनुज्ञा पत्र को लागू नहीं होगी।

(8) जहाँ मार्ग पर मोटरयान न चलाए जाने की सूचना उपनियम (4) के अधीन अभिस्वीकृत की जाए, वहाँ धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कर की वापसी नियम 14 में निर्धारित रीति में की जा सकेगी।

(9) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कर की वापसी एक वर्ष में तीस दिन तक सीमित रहेगी :

परन्तु उक्त परंतुक के अधीन किसी अनुज्ञा पत्र धारक को जो मार्ग पर आरक्षित मंजिली गाड़ी चलाता हो, उपधारा (2) के खण्ड (तीन) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में कोई वापसी ग्राह्य नहीं होगी :

³[परन्तु यह और कि नियम 13-क के उपनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में यदि जांच के पश्चात् कराधान प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आंशिक मार्ग पर मोटर चलाए जाने के लिए अनुपयुक्तता तीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए जारी रही है तो वह ऐसी संपूर्ण कालावधि के लिए जिसके दौरान आंशिक मार्ग मोटर चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त रहा, कर की वापसी अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि नियम 13-क के उपनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में 120 दिन से अधिक की कालावधि के लिए कर की वापसी उप परिवहन आयुक्त/परिवहन आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात की जाएगी।]

⁴[13-क. मार्ग के भाग पर अनुज्ञा पत्र आदि का उपयोग न किए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया -- (1) यदि किसी ऐसे मार्ग की बाबत, जो वर्षाकाल में आंशिक रूप से यान चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त रहता है और उस मार्ग के संबंध में स्वीकृत मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र में, इस आशय की शर्त अंतर्विष्ट है

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 22-5-93-आठ, दिनांक 19-3-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

4. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा अन्तःस्थापित।

कि अनुज्ञा पत्र उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, मार्ग के केवल विनिर्दिष्ट भाग के लिए वैध रहेगा तो ऐसे अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले यान की बाबत ऐसे विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान देय कर की गणना यान चलाए जाने के अनुपयुक्त भाग को छोड़कर निकाले गए स्लेब के अनुसार की जाएगी।

(2) यदि किसी मंजिली गाड़ी का अनुज्ञा पत्र किसी ऐसे मार्ग की बाबत मंजूर किया गया है जिसका कि एक भाग वर्षा ऋतु में यान चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त रहता है और अनुज्ञा पत्र में आंशिक मार्ग पर चलाए जाने को विनियमित करने वाली कोई शर्त अंतर्विष्ट नहीं है तो नियम 13 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया जहाँ तक लागू हो सकती हो, मोटर चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त आंशिक मार्ग पर यान का प्रचालन न किए जाने की प्रज्ञापना देने के लिए लागू होगी।]

14. वापसी के लिए प्रक्रिया -- (1) कर की वापसी की स्वीकृति कराधान प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे।

(2) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कर की वापसी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप "ध" में एक आवेदन पत्र उस कराधान प्राधिकारी को जिसे कर का मूलतः संदाय किया गया था, निम्नलिखित संलग्न कर प्रस्तुत करेगा :-

(क) कर के संदाय का सबूत मूल रूप में या उसकी प्रमाणित प्रति; और

(ख) कराधान प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति नियम 11 के उपनियम (5) या नियम 12 के उपनियम (4) या नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन जारी की गई अभिस्वीकृति; या

(ग) जीवन काल कर की वापसी के मामले में धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में यथा अपेक्षित सबूत;

1[(घ) नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन सूचना के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र या आदेश की प्रति, यदि उसे सूचना के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था।]

(3) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी आवेदन-पत्र में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों पर उसके संलग्नकों को सत्यापित करेगा और यदि यह समाधान हो जाता है कि :-

(क) आवेदन पत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियाँ सही हैं,

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन व दावा किए जाने के मामले में उपयोग न किए जाने की कालावधि के दौरान मोटरयान का उपयोग नहीं किया था, और

(ग) इन नियमों में अधिकथित कर की वापसी के लिए समस्त शर्तें पूरी हो गई हैं तो वह अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, यदि वह ऐसा करने के लिए सक्षम है, उपनियम (5) में अधिकथित सीमा तक वापसी स्वीकृत करेगा और स्वामी को प्ररूप "द" में एक वापसी वाउचर जारी करेगा।

(4) यदि कराधान प्राधिकारी कर की वापसी स्वीकृत करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है तो कराधान प्राधिकारी द्वारा वापसी का आवेदन-पत्र, अपनी रिपोर्ट के साथ ऐसी वापसी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा और ऐसे अधिकारी से आवेदन पत्र पर आदेश प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी ऐसे आदेश के अनुसार स्वामी को वापसी वाउचर प्ररूप "द" में जारी करेगा।

(5) कर की वापसी निम्नलिखित दर से देय होगी :-

(क) तिमाही, छःमाही या वर्ष या उसके भाग के दौरान मोटरयान का उपयोग न किए जाने के मामले में -

(एक) जहाँ यान का, उस संपूर्ण तिमाही, 100 प्रतिशत

छःमाही या वर्ष के दौरान, जिसके लिए

कर का संदाय किया गया है, उपयोग

नहीं किया जाता है।

- (दो) जहाँ यान का उस सम्पूर्ण तिमाही, छमाही या वर्ष के दौरान, जिसके लिए कर का संदाय किया गया है, किसी सम्पूर्ण मास या मासों में उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग न किए जाने वाले भागों की संख्या X 100 प्रतिशत मासों की संख्या जिनके लिये कर का संदाय किया गया था।
- (ख) उस मामले में जहाँ यान, तिमाही के लिए कर का संदाय किए जाने के पश्चात्, परिवर्तन आदि के कारण निचली दर पर कर का संदाय करने के लिए बाद में दायित्व आकर्षित करता है :-
- (एक) एक मास की कालावधि के लिए (संदत्त की गई कर की रकम में से शोध्य कर की तिमाही दरों को घटाकर यदि यान तिमाही के प्रारंभ से ही कर को निचली दर से संदाय करने का दायी हुआ होता) X 1/3
- (दो) दो मासों की कालावधि के लिए (संदत्त की गई कर की रकम में से शोध्य कर की तिमाही दर को घटाकर यदि यान तिमाही के प्रारंभ से ही कर को निचली दर से संदाय करने का दायी हुआ होता) X 2/3
- (ग) उस मामले में, जहाँ जीवन काल कर का संदाय किया गया है धारा 14 की उपधारा (2) में अधिकथित किए अनुसार,
- 1[(घ-1) नियम 12 के अनुसार अनुज्ञा पत्र का उपयोग न किए जाने के मामले में (मास के लिये संदत्त की गई कर की रकम में से अनुज्ञा पत्र के उपयोग न किए जाने के कारण यान को लागू निचली स्लेब या कर को घटाकर) गुणित (X) मास के दौरान अनुज्ञा पत्र के उपयोग न किए जाने के ग्राह्य दिन भागित (+) मास के कुल दिनों की संख्या। (मास के लिये संदत्त की गई कर की रकम में से मार्ग का प्रचालन न किये जाने के कारण यान को लागू निचली स्लेब या कर को घटाकर) गुणित (X) मास के दौरान प्रचालन न किये जाने के ग्राह्य दिन भागित (+) मास के कुल दिनों की संख्या।]
- (घ-2) नियम 13 के अनुसार मार्ग का प्रचलन न किए जाने के मामले में भूल से या आधिक्य में संदाय की गई संपूर्ण रकम जो देय नहीं थी :
- (ङ) भूल से या आधिक्य में संदाय की गई रकम के मामले में

परन्तु कोई वापसी उस दशा में स्वीकृत नहीं की जाएगी :-

- (क) यदि वापसी के लिए आवेदन-पत्र, ऐसी कालावधि के जिसके कि संबंध में यान का उपयोग नहीं किए जाने के कारण वापसी के लिए दावा किया गया हो, अवसान होने के दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो।
- (ख) यदि वापसी के लिए आवेदन पत्र उस तारीख के, जिस पर कि स्वामी कर की निचली दर का हकदार हो गया था, दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
- (ग) यदि जीवन काल कर की वापसी के लिए आवेदन पत्र उस तारीख से जिसको कि मोटरयान राज्य से स्थाई रूप से हटाया गया हो, विनिर्दिष्ट हो गया हो या परिवर्तित हो गया हो या परिवहन यान के रूप में उपयोग किया जाने लगा हो, दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;

- (घ) यदि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन वापसी के लिए आवेदन-पत्र मार्ग पर मोटरयान के प्रचालन न किए जाने के प्रारंभ से दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
- (ङ) यदि भूल से या आधिक्य में संदाय किए गए कर की वापसी के लिए आवेदन पत्र ऐसे संदाय से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
- (च) परिवहन यान से भिन्न मोटरयान की दशा में यदि ऐसी कालावधि, जिसके दौरान मोटरयान उपयोग में नहीं रहा है, एक तिमाही से कम हो;
- ¹[(छ) परिवहन यान की दशा में यदि ऐसी कालावधि जिसके दौरान नियम 11 के अनुसार मोटरयान उपयोग में नहीं रहा है, एक माह से कम हो;]
- (ज) उस दशा में जहाँ कर संदाय, उसका संदाय न किए जाने का पता चलने के पश्चात् या उसकी वसूली के लिए कारण बताओ सूचना या मांग की सूचना जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात् किया गया हो;
- (झ) किसी मोटरयान के संबंध में किसी ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान उसे माल या यात्रियों या व्यक्तियों के परिवहन को प्रतिषेध करने वाली या विनियमित करने वाली किसी विधि, आदेश या विनियम का उल्लंघन करने के लिए निरूद्ध किया गया था;
- (ञ) उस दशा में जबकि स्वामी अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में अधिकथित शर्तों के अनुसार कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा हो;
- (ट) उस दशा में जबकि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन जारी किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्र या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन जारी किए गए विशेष अनुज्ञापत्र के लिए कर का संदाय किया गया हो, सिवाय जबकि किसी प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा अनुज्ञापत्र को ही निरस्त या निलंबित कर दिया गया हो।

¹[(6) यदि कराधान प्राधिकारी या कर की वापसी स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवेदित वापसी स्वीकृति योग्य नहीं है तो ऐसा प्राधिकारी अथवा अधिकारी, स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश पारित करेगा और उसे स्वामी को संसूचित करेगा।]

(7) कोई व्यक्ति, जिसे इस नियम के उपनियम (3) या (4) के अधीन वापसी वाउचर जारी किया गया हो, संबंधित कोषालय में उसके प्रस्तुत करने पर उसमें वर्णित राशि के संदाय के लिये हकदार होगा।

(8) सभी वापसी वाउचरों को उनके जारी किए जाने के पूर्व प्रतिपण सहित पचास-पचास वाउचरों के गुणन में जिल्दबद्ध किया जाएगा और उन्हें मशीन द्वारा क्रम अनुसार संख्यांकित किया जाएगा, वाउचर जारी करने वाला कराधान प्राधिकारी उसका प्रतिपण प्रतिधारित करेगा और उसे अपने कार्यालय में अभिलेख के लिए परिरक्षित करेगा।

(9) कराधान प्राधिकारी उस रकम को जिसके लिए कि इस नियम के उपनियम (3) या (4) के अधीन वापसी का दावा अनुज्ञात किया गया है, स्वामी के लिखित अनुरोध पर ²[स्वामी द्वारा कर की बकाया शास्ति या शोध्य ब्याज या उसके द्वारा आगामी संदेय कर के प्रति समायोजित किया जा सकेगा]।

(10) कराधान प्राधिकारी प्ररूप "घ" में कर की वापसी का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और ऐसी प्रत्येक रकम की, जिसके लिए उपनियम (3) या (4) के अधीन कोई वापसी वाउचर जारी किया है या उपनियम (9) के अधीन आगामी संदाय के प्रति समायोजन अनुज्ञात किया है, मांग और वसूली के रजिस्टर में प्रविष्टि करने के अतिरिक्त ऐसे रजिस्टर में भी प्रविष्टि अंकित की जाएगी।

15. कर आदि की वसूली -- (1) यदि कोई स्वामी इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन शोध्य कर, शास्ति या ब्याज का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी, जिसे ऐसी रकम देय हो, देय राशि के लिए स्वामी पर ¹[प्ररूप ड-2] में एक सूचना तामील करेगा।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध उपनियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना की तामीली के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) यदि सूचना की तामीली के सात दिन के भीतर सूचना में अंतर्विष्ट राशि का संदाय नहीं किया गया हो और उसका संदाय न किए जाने का युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया हो, तो कराधान प्राधिकारी रकम वसूल करने के लिए भू-राजस्व की बकाया की भांति कार्यवाही कर सकेगा।

(4) पूर्वोक्त उपनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कराधान प्राधिकारी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

16. प्रवेश और तलाशी के संबंध में प्रक्रिया -- (1) परिवहन विभाग का कोई अधिकारी जो परिवहन उप निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो पुलिस उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन ली गई समस्त तलाशियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंधों के अनुसार ली जाएंगी।

17. कर का संदाय न किए जाने की दशा में मोटरयान के अभिग्रहण और निरोध के लिए प्रक्रिया -- (1) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन मोटरयान के अभिग्रहण का ज्ञापन और अभिग्रहण तथा निरोध का आदेश क्रमशः प्ररूप "प-1" तथा "प-2" में किया जावेगा और उसकी प्रतियाँ उस व्यक्ति पर तामीली की जाएंगी जिसके कब्जे या नियंत्रण से ऐसा मोटरयान अभिग्रहीत किया गया है तथा निरुद्ध रखा गया है।

²[(2) अभिग्रहीत और निरुद्ध किया गया मोटरयान निकटतम पुलिस धाने पर अथवा कराधान प्राधिकारी या मोटरयान का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी के विवेक पर किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।]

(3) निरुद्ध किए गए यान को उसका अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या कराधान प्राधिकारी द्वारा शोध्य कर, शास्ति और ब्याज का संदाय कर दिए जाने पर छोड़ दिया जाएगा।

(4) यदि कराधान प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई हो तो निरुद्ध किया गया यान उस अधिकारी या कराधान प्राधिकारी द्वारा, जिसने यान को अभिग्रहीत किया है, छोड़ा नहीं जाएगा।

(5) कराधान प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन यान के अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सूचना प्ररूप "भ" में, अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

18. अपील -- (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से, जिसके विरुद्ध अपील होती है, व्यथित है, आदेश का ज्ञान होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश म्वालय को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) प्रत्येक अपील में :-

(क) प्रत्येक अपील लिखित में होगी; और

(ख) अपीलार्थी का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ग) उस यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, यान की बैठक क्षमता, अनुज्ञापत्र का प्रकार और मार्ग जिसके लिए अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) उस आदेश की तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके विरुद्ध यह (अपील) की गई है;

(ङ) वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसको कि अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया था;

(च) तथ्यों का स्पष्ट कथन अंतर्विष्ट किया जाएगा;

(छ) अपीलार्थी द्वारा शोध्य या वापसी योग्य स्वीकृत की गई रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ज) उस कर के संदाय का सबूत दिया जाएगा, जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है;

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ-8-6-99-आठ, दिनांक 28-1-2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

(इ) वे आधार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिस पर अपील प्रस्तुत की गई है;

(ज) प्रार्थना किए गए अनुतोषों का कथन यथावत किया जाएगा;

(ट) अपीलार्थी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और निम्नलिखित प्ररूप में सत्यापित किया जाएगा, अर्थात् :-

मेंउपरोक्त अपील के ज्ञापन में नामित अपीलार्थी एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि उसमें कथित किए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

हस्ताक्षर

(3) अपील के ज्ञापन के साथ-

(एक) ज्ञापन की एक अतिरिक्त प्रति लगाई जाएगी;

(दो) उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की मूल या प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी; और

(तीन) फीस का संदाय किए जाने के प्रतीक स्वरूप पच्चीस रुपए की नकद रसीद या कोषालय चालान लगाया जाएगा।

(4) अपील का ज्ञापन अपीलार्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। जब कोई अपील किसी, अपीलार्थी के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाए तो उसके साथ ऐसे अभिकर्ता के रूप में उसकी नियुक्ति करने का सम्यक् रूप से स्टाम्पित किया हुआ प्राधिकार पत्र होगा।

(5) यदि अपील के ज्ञापन में इस उपनियम (2) की सभी या किसी अपेक्षा का अनुपालन न किया गया हो तो अपील संक्षेपतया अस्वीकृत की जा सकेगी :

परंतु इस उपनियम के अधीन कोई अपील संक्षेपतया तब तक अस्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को अपील का ऐसा ज्ञापन उक्त उपनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप लाए जाने के लिए संशोधित करने हेतु ऐसा अवसर न दे दिया गया हो जैसा कि अपील प्राधिकारी उचित समझे।

(6) कोई अपील किसी ऐसे अन्य आधार पर भी, जो अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाए संक्षेपतया अस्वीकृत की जा सकेगी :

परंतु इस उपनियम के अधीन किसी अपील को संक्षेपतया अस्वीकृत करने का आदेश पारित करने के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(7) यदि अपील प्राधिकारी अपील को संक्षेपतया अस्वीकृत नहीं करता है तो वह अपीलार्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा।

(8) अपील प्राधिकारी किसी भी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई किसी दूसरी तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा।

(9) यदि सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या किसी अन्य ऐसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, अपीलार्थी उक्त प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो उक्त प्राधिकारी जैसा उचित समझे अपील खारिज कर सकेगा या उस पर एक पक्षीय विनिश्चय कर सकेगा।

(10) जब कोई अपील उपनियम (9) के अधीन खारिज या एक-पक्षीय विनिश्चित की गई हो तो अपीलार्थी ऐसे आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील की पुनर्ग्राह्यता या पुनः सुनवाई के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता किसी पर्याप्त हेतुक से अपील की सुनवाई के समय उपसंजात होने से निवारित हो गया था, तो वह अपील को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिनमें व्यय सम्मिलित हैं, जिन्हें कि वह उचित समझे पुनः ग्राह्य कर सकेगा तथा उसकी पुनः सुनवाई कर सकेगा।

(11) अपील में पारित किए गए आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी और दूसरी प्रति उस अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश से अपील की विषय-वस्तु बनी हो।

1[18-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील -- (1) धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील का ज्ञापन :-

- (क) लिखित में होगा;
- (ख) उसमें अपीलार्थी का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (ग) उसमें उस आदेश की तारीख को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है;
- (घ) उसमें उस तारीख को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया था;
- (ङ) उसमें तथ्यों का स्पष्ट विवरण अंतर्विष्ट होगा;
- (च) उसमें किसी तर्क या वर्णन के बिना उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर अपील प्रस्तुत की गई है और उन्हें क्रम से संख्यांकित किया जाएगा;
- (छ) उसमें वह अनुतोष, जिसके लिए प्रार्थना की गई है, संक्षेप में कथित किया जाएगा; और
- (ज) उसमें अपीलार्थी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे सत्यापित किया जाएगा, अर्थात् :-

में अपीलार्थी अपील के ज्ञापन में एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जो इसमें कथित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से सत्य है।

.....
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

(2) अपील का ज्ञापन, अपील प्राधिकारी को स्वयं अपीलार्थी द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अपील के ज्ञापन के साथ, फीस का संदाय किए जाने के प्रमाण स्वरूप रुपये 50/- की नगद रसीद या कोषालय चालान होगा।]

19. पूर्णांकन करना -- अधिनियम या इन नियमों के अधीन देय अथवा वापसी योग्य रकम की गणना करने के प्रयोजनों के लिए एक रुपए के अंश वाले सभी व्यवहार निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किए जाकर लेखे में लिए जाएंगे जिसमें पचास पैसे ज अधिक के अंश को अगले रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा तथा पचास पैसे से कम के अंश को छोड़ दिया जाएगा।

20. मांग और वसूली का रजिस्टर -- (1) कराधान प्राधिकारी कर की प्राप्ति का एक रजिस्टर प्ररूप "फ" में बनाए रखेगा।

(2) कराधान प्राधिकारी करों की मांग और वसूली का रजिस्टर भी नीचे विनिर्दिष्ट किए गए प्ररूपों में रखेगा :-

- (एक) जीवन-काल कर का संदाय करने वाले मोटरयानों के संबंध में प्ररूप "ब-1" में;
- (दो) मोटर केबल तथा शहर बस से भिन्न लोक सेवा यानों के संबंध में प्ररूप "ब-2" में;
- (तीन) छूट प्राप्त मोटर यानों के संबंध में प्ररूप "ब-3" में;
- (चार) अन्य मोटरयानों के संबंध में प्ररूप "ब-4" में।

(3) परिवहन आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, के द्वारा रखे जाने वाले किन्हीं अन्य रजिस्ट्रों को विहित कर सकेगा।

21. अभिलेखों आदि का परिरक्षण और नष्टकरण -- परिवहन आयुक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से (इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन विहित किए गए विभिन्न दस्तावेजों और अभिलेखों की समुचित अभिरक्षा, परिरक्षण और नष्टकरण के लिए अनुदेश जारी करेगा और समस्त ऐसे दस्तावेज और अभिलेख ऐसे अनुदेशों के अनुसार परिरक्षित किए जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे।

1[प्ररूप-क

[नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

गैर-परिवहन यानों के संबंध में घोषणा

कराधान प्राधिकारीके समक्ष

1. स्वामी का नाम
2. यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (रजिस्ट्रीकरण दिनांक के साथ)
3. यान का वर्ग
4. रजिस्ट्रीकृत लदान रहित भार/बैठने की क्षमताकिन्तोग्राम/संख्या.....
5. देय तिमाही/जीवन काल कर की रकमअवधि
6. संदत्त की गई रकम --
 - (क) कर रुपये
 - (ख) शास्ति रुपये
 - (ग) ब्याज रुपये
- योग रुपये
7. बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नगद रसीद क्रमांक एवं दिनांक
8. (1) मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि टोकन अभिप्राप्त करने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट मोटरयान के लिए कर का संदाय आपके कार्यालय में नियमित रूप से किया जाएगा और आपको पूर्व सूचना दिए बिना कर का संदाय किसी अन्य कार्यालय में नहीं किया जाएगा।
(2) मैं, एतद्वारा यह और घोषित करता हूँ कि मेरे कब्जे और उपयोग के मोटरयान के संबंध में ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।

.....
स्वामी के हस्ताक्षर

कार्यालय कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश

क्रमांक

तारीख

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन श्री(स्वामी का नाम) से मोटरयान, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..... है, के संबंध में.....मास/तिमाही जो दिनांक.....से प्रारंभ होता है/जीवनकाल कर के संबंध में घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नगदी रसीद क्रमांक.....दिनांक रुपए.....(शब्दों में रुपए.....केवल) के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक.....को उपस्थित रहे।

तारीख.....

कराधान प्राधिकारी

..... मध्यप्रदेश]

1[प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र से आवृत्त मोटरयान से चिन्न परिवहन यानों के संबंध में घोषणा

कराधान प्राधिकारी के समक्ष

1. स्वामी का नाम
2. अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ
- (क) अनुज्ञापत्र क्रमांक और उसका प्रकार
- (ख) मार्ग, ट्रिप
तथा किलोमीटरों में दूरी
मार्ग.....
ट्रिप.....
मार्ग की दूरी.....
प्रतिदिन.....
प्रचालित दूरी
3. मोटर यान की विशिष्टियाँ --
- (क) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
- (ख) रजिस्ट्रीकृत बैटने की क्षमता
- (ग) सकल यान का भार
- (घ) बीमा प्रमाण-पत्र क्रमांक तथा विधिमान्यता की दिनांक
- (ङ) उपयुक्तता कब तक विधिमान्य रहेगी
4. देय कर आदि --
- (क) वह कालावधि जिसके लिए कर का संदाय किया है
- (ख) देय मासिक/तिमाही कर (स्लेब दूरी/
सकल यान भार के अनुसार) (एक) कर रुपये.....
(दो) शास्ति रुपये
- (ग) संदत्त किया गया कर रुपये
- (घ) बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक और दिनांक
5. मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे कब्जे और उपयोग के मोटरयान के संबंध में ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।
6. मैं, एतद्वारा यह और घोषणा करता हूँ कि ऊपर विनिर्दिष्ट मोटरयान के लिए कर का संदाय आपके कार्यालय
..... में टोकन अभिप्राप्त करने के लिए नियमित रूप से किया जाएगा और आपको
पूर्व सूचना दिए बिना कर का संदाय किसी अन्य कार्यालय में नहीं किया जाएगा।
दिनांक.....

स्वामी के हस्ताक्षर

कार्यालय कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश

क्रमांक

तारीख

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन श्री.....
(स्वामी का नाम) से मोटरयान जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..... है, के संबंध में.....
मास/तिमाही जो दिनांक..... से प्रारंभ होता है के संबंध में घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/
नगदी रसौद क्रमांक..... दिनांक..... रुपए..... (शब्दों में रुपए
..... केवल) के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष
कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक..... को उपस्थित रहे।
तारीख.....

कराधान प्राधिकारी, मध्यप्रदेश]

1|प्ररूप-ख-1

[नियम 5 का उपनियम (1) का खण्ड (तीन) देखिए]

मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले परिवहन यान के बाबत घोषणा कराधान प्राधिकारी.....के समक्ष, मास.....के लिए

1. स्वामी का नाम
2. अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों के अधीन उपयोग किए जाने वाले मोटरयानों की विशिष्टियाँ --

अ.क्र.	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	मॉडल	रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता	बीमा प्रमाण-पत्र क्रमांक तथा विधिमान्यता	उपयुक्तता कब तक विधिमान्य रहेगी
1	2	3	4	5	6

1.

2.

3. धारित मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियाँ --

अ.क्र.	अनुज्ञापत्र क्रमांक तथा प्राधिकार जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया	अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता का दिनांक (कब तक)	मॉडल की शर्त सहित, यदि कोई हो, अनुज्ञापत्र पर परिचालन हेतु अपेक्षित यानों की संख्या
1	2	3	4

1.

2.

अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाला मार्ग दूरी सहित	प्रतिदिन फेरों की संख्या	मॉडल की शर्त आदि के अनुसार अनुज्ञापत्र के अधीन उपयोग में लाए जाने के अधिकृत यानों की औसत बैठने की क्षमता	अनुज्ञापत्र के अधीन सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
5	6	7	8

1.

2.

यदि अनुज्ञापत्र उपयोग में नहीं लाया गया है तो अभिस्वीकृति क्रमांक एवं तारीख	किसी एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली दूरी	मद चार की उप मद (घ)/(ङ) के अधीन लागू की गई दर	प्रतिमास देय कर की रकम	टिप्पणियाँ
9	10	11	12	13

4. आरक्षित/स्पेयर बसों की विशिष्टियाँ --

क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	औसत बैठने की क्षमता	उप मद (ङ) के अधीन देय कर की रकम
1	2	3	4

5. स्वामी द्वारा कर के संदाय के ब्यौरे (संलग्न सबूत के अनुसार)--

यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	ऊपर पैरा 3 या 4 के अनुसार देय कर की रकम	संदाय के ब्यौरे बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4

5. मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।

6. मैं, एतद्वारा यह और भी घोषणा करता हूँ कि टोकन/कर का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट कर का संदाय आपके कार्यालय में नियमित रूप से किया जाएगा और अस्थायी अनुज्ञापत्रों की बाबत कर के सिवाय आपको पूर्व सूचना दिए बिना कर का संदाय किसी अन्य कार्यालय में नहीं किया जाएगा।

दिनांक स्वामी के हस्ताक्षर

टीप :- 1. किसी प्रचालक द्वारा एक से अधिक मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र धारित हों तो ऐसे अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आने वाले समस्त यानों के संबंध में एक ही घोषणा फाइल की जाएगी।

2. किसी प्रचालक के स्वामित्व के यानों जिनका कि उपयोग किया जाना किसी मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अधीन प्राधिकृत न हो, को इस घोषणा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

3. यदि अनुज्ञापत्रों की शर्तों के साथ दो यानों की अनुज्ञापत्र के मार्ग पर प्रचालित किया जाना हो तो इस अनुज्ञापत्र के सामने पैरा 3 के कॉलम (8) में दोनों यानों को वर्णित किया जाना चाहिए।
4. केवल उन्हीं यानों को पैरा 3 के कॉलम (8) में दर्शाया जाना चाहिए जो मॉडल तथा बैठने की क्षमता के बारे में अनुज्ञापत्रों की शर्तों को पूरा करते हों।
5. यदि घोषणा के अधीन आने वाली कालावधि के लिए नियम 12 के अनुसार अनुज्ञापत्र का उपयोग न किया गया हो तो इस अनुज्ञापत्र के अधीन आने वाले मार्ग पर सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले यान के संबंध में देय कर की संगणना निचली स्लैब में की जाएगी।
6. इस घोषणा के पैरा-2 में वर्णित यान जो पैरा 3 के कॉलम (8) में सम्मिलित न हो तो पैरा 4 के कॉलम (2) में प्रविष्ट किए जाएंगे।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश

क्रमांक

तारीख

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन श्री(स्वामी का नाम) से उसके स्वामित्व के मोटरयान के संबंध में मास के संबंध में घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक को उपस्थित रहे।

यान क्रमांक	कोषालय चालान/बैंक ड्राफ्ट		
	क्रमांक	दिनांक	रकम
1	2	3	4

दिनांक.....

कराधान प्राधिकारी

..... मध्यप्रदेश

1[प्ररूप-ग

[नियम 5-क का उपनियम (1) देखिए]

मोटरयान के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा घोषणा

कराधान प्राधिकारीके समक्ष

1. विनिर्माता या व्यापारी का पूरा नाम
2. पूर्ण डाक पता
3. दिए गए व्यापार प्रमाण-पत्रों की संख्या
क्रमांक
दिनांक
4. व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह

5. वह कालावधि जिसके लिए कर का संदाय किया जाना है
6. कर की रकम आदि --
- (क) कर की रकम रुपए
- (ख) शास्ति रुपए
- (ग) ब्याज रुपए
- योग रुपए
7. संदाय की गई रकम
8. बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान और दिनांक
- में, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य है।
- दिनांक

हस्ताक्षर

कार्यालय कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश

क्रमांक

तारीख

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन श्री (विनिर्माता/व्यापारी का नाम) से मोटरयान, जिसका व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह है, के संबंध में वर्ष जो दिनांक से प्रारंभ होता है के संबंध में घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक दिनांक को रुपए (शब्दों में रुपए केवल) के साथ प्राप्त हुई। विनिर्माता/व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरक त्ता के समक्ष कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक को उपस्थित रहे।

तारीख

कराधान प्राधिकारी, मध्यप्रदेश]

प्ररूप-घ

दो प्रतियों में

[नियम 5 का उपनियम (4) देखिए]

(यदि स्वामी स्थायी रूप से टोकन अभिप्राप्त करने के लिए स्थान परिवर्तन करना चाहता है, तो इसका उपयोग किया जाए)

प्रति,

कराधान प्राधिकारी

.....

द्वारा : कराधान प्राधिकारी

.....

(जिससे टोकन, अभिप्राप्त किया जा रहा था)

यान क्रमांक के लिए कर का सदाय से

तक कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में कर दिया गया है।

में कराधान प्राधिकारी के कार्यालय से उक्त यान हटाना चाहता हूँ और एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि इसके पश्चात् टोकन अभिप्राप्त करने के लिए उक्त यान के कर का संदाय आपके कार्यालय में नियमित रूप से किया जाएगा। आपको पूर्व सूचना दिए बिना किसी अन्य कार्यालय से टोकन अभिप्राप्त नहीं किया जाएगा।

स्थान.....

दिनांक.....

स्वामी के हस्ताक्षर

कराधान प्राधिकारी का पृष्ठानक

(जिससे टोकन अभिप्राप्त किया जा रहा था)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त यान के संबंध में से तक इस कार्यालय में कर का संदाय कर दिया गया है और पते में परिवर्तन को हमारे अभिलेखों में सम्यक् रूप से समाविष्ट कर लिया गया है।

दिनांक.....

कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर

1 प्ररूप-ड

[नियम 6 का उपनियम (1) देखिए]

मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले यानों से भिन्न मोटरयान के परिवर्तन के संबंध में अतिरिक्त घोषणा कराधान प्राधिकारी के समक्ष

में..... (स्वामी का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे मोटरयान क्रमांक..... श्रेणी..... जो अनुज्ञापत्र क्रमांक मार्ग/क्षेत्र..... के लिए द्वारा मंजूर किया गया और जो तक विधिमाम्य है, मैं नीचे दिये गए ब्यौरे के अनुसार परिवर्तन किया गया है, जिससे वह कर की उच्चतर दर के संदाय का दायी हो गया है --

1. परिवर्तन का विवरण --

(एक) रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों में परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करें)

(दो) अनुज्ञापन का समर्पण*/अर्जन/उपयोग में आना*

(क) अनुज्ञापन क्रमांक

(ख) द्वारा मंजूर किया गया

(ग) अनुज्ञापत्र का मार्ग क्षेत्र

(घ) प्रतिदिन के फेरों की संख्या

(ङ) प्रतिदिन प्रचालित दूरी कि.मी.

(च) अनुज्ञापत्र की विधिमाम्यता की तारीख

(छ) अनुज्ञापत्र के अर्जन/समर्पण/उपयोग न आने के प्रारंभ की तारीख

(तीन) अनुज्ञापत्र की विशिष्टियों में परिवर्तन (मार्ग आदि का विस्तारण) (विनिर्दिष्ट करें)

2. (एक) दिनांक से तक की कालावधि के लिए पूर्व में संदत्त कर रुपए

(दो) परिवर्तन के पश्चात् दिनांक से तक की कालावधि के लिए दर कर रुपए

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

(तीन) देय कर का अंतर रूप

3. कर के अन्तर के मद्दे संदत्त रकम कर बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नकद रसीद क्रमांक
दिनांक इसके साथ संलग्न है।

4. मैं अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर रहा हूँ।

दिनांक

स्वामी के हस्ताक्षर

कार्यालय कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश

क्रमांक

तारीख

1. जो लागू न हो उसे काट दें।

2. नगर मार्गों पर चलाई जानेवाली मंजिली गाड़ियों के मामले में ही भरा जाए।

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन श्री निवासी से मोटरयान, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह है, के संबंध में मास/तिमाही जो दिनांक से प्रारंभ होता है के संबंध में अतिरिक्त घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नकदी रसीद क्रमांक दिनांक रूप (शब्दों में रूप केवल) के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक को उपस्थित रहे।

तारीख

कराधान प्राधिकारी, मध्यप्रदेश]

1[प्ररूप ड-1

[नियम 6 का उपनियम (1) देखिए]

अतिरिक्त घोषणा जबकि मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के

अन्तर्गत आने वाले यान को परिवर्तित किया जाए

कराधान प्राधिकारी के समक्ष

मैं (स्वामी का नाम) घोषणा करता हूँ कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा

(1) के अधीन घोषणा फाइल किए जाने के पश्चात् नीचे वर्णित यान में मेरे द्वारा इस घोषणा में प्रस्तुत विशिष्टियों के अनुसार परिवर्तन किया गया है/किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण वह उच्चतर दर पर कर का संदाय करने के लिए दायी हो गया है --

परिवर्तन के ब्यौरे

अनुक्रमांक	यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	पूर्व में संदत्त कर बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक तथा तारीख	रकम	परिवर्तन की तारीख
1	2	3	4	5

उस अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पूर्व सामान्यतः चलाया जाता था

अनुज्ञापत्र क्रमांक	मार्ग	दैनिक फेरे	मार्ग की दूरी
6	7	8	9

परिवर्तन के पूर्व लागू कर की दर
(प्रति सीट)

उस अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पश्चात् सामान्यतः चलाया जाएगा

अनुज्ञापत्र क्रमांक	मार्ग	दैनिक फेरे	मार्ग की दूरी
10	11	12	13
			14

परिवर्तन के पश्चात् लागू कर की दर
(प्रति सीट)

कर की दर का अंतर कॉलम 15 - कॉलम 10

बैठने की औसत क्षमता

मास के लिये देय कर की रकम का अंतर

टिप्पणियाँ

15

16

17

18

19

2. मैं इसके साथ बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक दिनांक रकम रुपए मास के मद्दे कर के अन्तर का संदाय किए जाने बाबत् संलग्न करता हूँ।

3. मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर परिदत्त की गई जानकारी सही है।

दिनांक.....

.....

स्वामी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- यदि परिवर्तित यान परिवर्तन के पूर्व आरक्षित/स्पेयर बस था तो उसे ऊपर कॉलम 6 से कॉलम 9 में वर्णित किया जाना चाहिए।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी **मध्यप्रदेश**

क्रमांक

दिनांक

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन अतिरिक्त घोषणा श्री से उनके स्वामित्व के यान क्रमांक की बाबत् बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक दिनांक राशि रुपए (शब्दों में रुपए..... केवल) के साथ प्राप्त

हुई। स्वामी से अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक को उपस्थित रहे।

दिनांक.....

कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश]

1[प्ररूप ड-2

[नियम 6 का उपनियम (3) तथा नियम 15 का उपनियम (1) देखिए]

अवधारित कर की प्रज्ञापना/मांग की सूचना

कार्यालय कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश

क्रमांक

दिनांक

प्रति,

.....

.....

..... (स्वामी)

आपको एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आपके स्वामित्व के नीचे वर्णित यान/यानों के संबंध में देय कर का अवधारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 8 की उपधारा (3)/(4) के अधीन आदेश दिनांक द्वारा निम्नानुसार किया गया है --

यान/यानों का क्रमांक	कालावधि जिसके लिये कर अवधारित किया गया	देय रकम	
		कर रुपये	शास्ति रुपये
1	2	3	4

पूर्व में संदत्त रकम		रकम का अंतर	
कर रुपये	शास्ति रुपये	संदत्त किया जाने वाला कर/वापस की जाने वाली रकम रुपये	शास्ति रुपये
5	6	7	8

*2. आपको सूचना दी जाती है कि यदि आपसे उक्त अधिनियम के अधीन वसूलीय ऊपर अवधारित रकम का संदाय इस प्रज्ञापना तथा सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो उक्त अधिनियम की धारा 15/धारा 16(3) के अधीन ऊपर वर्णित रकम की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

या

*3. आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आपको, आधिक्य में संदत्त की गई रकम जो ऊपर कॉलम-7 में दर्शाई गई है, की वापसी की पात्रता है, जो आपके द्वारा नियम 14 के अनुसार प्राप्त की जा सकती है या भविष्य के संदाय के पेटे समायोजित की जा सकती है।

दिनांक

कराधान प्राधिकारी

..... मध्यप्रदेश

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।]

प्ररूप-च

तीन प्रतियों में

[नियम 7 का उपनियम (4) देखिए]

जीवन-काल-कर की रसीद

क्रमांक

पुस्तक क्रमांक

दिनांक

श्री..... से यान क्रमांक..... वर्ग..... के संबंध में जीवन-काल-कर के मदे रुपए (रकम मुद्रित की जाए) प्राप्त किए।

कराधान प्राधिकारी
की मुद्रा

रोकड़ लिपिक के हस्ताक्षर

प्ररूप-छ

तीन प्रतियों में

[नियम 7 का उप नियम (4) देखिए]

मोटरयान कर की रसीद

क्रमांक.....

पुस्तक क्रमांक

दिनांक

श्री..... से यान क्रमांक..... वर्ग..... के संबंध में मोटरयान कर/शास्ति/ब्याज के मदे रुपए..... (शब्दों में) दिनांक..... को प्रारंभ होने वाली तिमाही/छहमाही वर्ष के लिए प्राप्त किए।

कराधान प्राधिकारी की मुद्रा

रुपए

रोकड़ लिपिक के हस्ताक्षर

प्ररूप-ज

[नियम 8 का उपनियम (7) का खण्ड (तीन) देखिए]

मध्यप्रदेश राज्य में अस्थायी रूप से लाए गए मोटरयान के संबंध में घोषणा

प्रति,

.....
.....
.....

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं अधोलिखित मोटरयान को मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक को लाया हूँ और मैं दिनांक तक मध्यप्रदेश में इसे उपयोग करने का या इसे उपयोग करने हेतु रखने का आशय रखता हूँ,

1. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
2. यान की श्रेणी
3. इंजन क्रमांक
4. चैसिस क्रमांक
5. सकल यान वजन/लदान रहित वजनकि.ग्रा.
6. बैठने की क्षमता
7. संदत्त कर के ब्यौरे रूपए

बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नकद रसीद क्रमांक द्वारा संदत्त किए गए।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा लाए गए मोटरयान के संबंध में ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम और पता

मेरे द्वारा, रसीद तथा टोकन क्रमांक

शोध्य कर के रूप में रूपए अभिलिखित करने के पश्चात्, स्वीकृत किया गया।

दिनांक

कराधान लिपिक/परिवहन प्रधान

आरक्षक के हस्ताक्षर

कराधान प्राधिकारी या प्राधिकृत

अधिकारी

1[प्ररूप ज-1

[नियम 8 का उपनियम (1) देखिए]

बेड़ा स्वामी द्वारा उसके स्वामित्व की और मासिक आधार पर कर का संदाय

करने वाली मंजिली गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के

संबंध में फाइल की जाने वाली घोषणा

मास 200के लिए

(दो प्रतियों में दी जाए)

भाग-एक

मैं/हम(बेड़ा स्वामी का नाम) एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि (मास) 200के प्रथम दिन को नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मेरे/हमारे स्वामित्व की मंजिली गाड़ियाँ/आरक्षित मंजिली गाड़ियाँ शहर मार्गों के भिन्न मार्गों पर प्रचलित थी।

2. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मास के प्रथम दिन को मेरे/हमारे स्वामित्व के तथा मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के रूप में उपयोग किए गए यान, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय 5 तथा 6 के अधीन प्राप्त किए गए अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियाँ; जैसी कि इस घोषणा में नीचे दी गई हैं, सही है।

3. मैं/हम शहर मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के नियमित प्रचालन और आरक्षित मंजिली गाड़ियों के बाबद् मास 200 के लिए देय अग्रिम कर का संदाय करने के लिए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वांछा करता हूँ/करते हैं --

- (1) नियमित मंजिली गाड़ियों के लिए अग्रिम कर (भाग तीन के कॉलम 11 का योग) रुपए
- (2) आरक्षित मंजिली गाड़ियों के लिए अग्रिम कर (भाग चार के कॉलम 6 का योग) रुपए
- (3) [देय शुल्क रकम (1) + (2)] रुपए
- (4) संदाय के ब्यौरे रुपए

बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान

क्रमांक.....दिनांक

भाग-दो

मास के प्रथम दिन को बेड़ा स्वामी के स्वामित्व की, मासिक आधार पर कर का संदाय करने वाली मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित गाड़ियों की विशिष्टियाँ :-

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मॉडल	यान की श्रेणी (डीलक्स/ एक्सप्रेस/साधारण)	रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता	उपयुक्तता कब तक विधिमान्य रहेगी
1	2	3	4	5	6

भाग-तीन

शहर मार्गों से भिन्न के संबंध में धारित मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्रों/ विशिष्ट मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियाँ :-

अनुक्रमांक	अनुज्ञापन क्रमांक तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया	अनुज्ञापन की विधिमान्यता का दिनांक (कब तक)	अनुज्ञापन के अंतर्गत आने वाले मार्ग, दूरी सहित	प्रतिदिन के फेरों की संख्या
1	2	3	4	5

मॉडल शर्त सहित, यदि कोई हो, मार्ग पर परिचालन हेतु अपेक्षित यानों की संख्या	मॉडल शर्त आदि के अनुसार मार्ग पर उपयोग किए जाने के लिये प्राधिकृत यानों की औसत बैठक क्षमता	मास के दौरान मार्ग पर सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मार्ग पर चलाए जाने वाले यान द्वारा मध्यप्रदेश में किसी एक दिन में तय की जाने वाली दूरी (किलोमीटर)
6	7	8	9

मद चार की उप-मद (घ) के अधीन यान को लागू कर की दर (रुपये प्रतिसीट प्रतिमास)	यान के संबंध में देय कर की रकम (कॉलम 7 X कॉलम 10) (रुपये प्रतिमास)	टिप्पणियाँ
10	11	12

भाग-चार

उपयोग न किए गए रखे हुए यानों को सम्मिलित करते हुए
आरक्षित/स्पेयर बसों की विशिष्टियाँ :-

अनु- क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	यान का वर्ग (डीलक्स/एक्सप्रेस/ साधारण)	यानों की औसत बैठक क्षमता (वर्ग चार)	मद चार की उप-मद (ड) के अधीन यान को लागू कर की दर (रु. प्रतिसीट प्रतिमास)	यान के संबंध में देय कर की रकम कॉलम 4 X कॉलम 5
1	2	3	4	5	6

दिनांक

स्वामी के हस्ताक्षर

टीप -- (1) बेड़ा स्वामी की प्रत्येक प्रचालित शाखा (संभाग/डिपो आदि) द्वारा प्रचालित समस्त अनुज्ञापत्रों के संबंध में एक ही घोषणा फाइल की जाएगी।

(2) बेड़ा स्वामी के स्वामित्व की बसों को जिनका उपयोग ठेका गाड़ियों के रूप में तथा अनन्यतः शहर मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के रूप में किया जाता है, इस घोषणा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(3) अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार यदि अनुज्ञापत्र का मार्ग एक से अधिक यान द्वारा प्रचालित होता है तो अपेक्षित यानों की संख्या तथा मार्ग अनुज्ञापत्र के भाग-तीन में कॉलम 6 के समक्ष विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) केवल ऐसे यानों को भाग-तीन के कॉलम 6 में दर्शाया जाए जो यान के मॉडल, बैठक क्षमता तथा वर्ग संबंधी अनुज्ञापत्रों की शर्तों को पूरा करता हो।

(5) यदि घोषणा के अधीन आने वाली संपूर्ण कालावधि के लिए नियम 12 के अनुसार अनुज्ञापत्र को उपयोग में नहीं रखा गया है, तो घोषणा के भाग-तीन के कॉलम 8 से 11 रिक्त छोड़े जाएंगे और कॉलम 12 में शब्द "अनुज्ञापत्र उपयोग में नहीं रखा गया" लिखे जाएंगे।

(6) इस घोषणा के भाग-दो में वर्णित तथा भाग-तीन के कॉलम 8 में सम्मिलित नहीं किए गए समस्त यान भाग-चार के कॉलम 2 में प्रविष्ट किए जाएंगे।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी

मध्यप्रदेश

क्रमांक

दिनांक

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8-क के उपनियम (1) के अधीन बेड़ा स्वामी से मासिक आधार पर कर का संदाय करने वाली मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में मास के लिए घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक दिनांक रकम रुपए.....

(शब्दों में रुपए) के साथ प्राप्त हुई। बेड़ा स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक..... को उपस्थित रहे।

दिनांक.....

.....

कराधान प्राधिकारी]

1] प्ररूप ज-2

[नियम 8-क का उप नियम (2) देखिए]

बेड़ा स्वामी द्वारा उसके स्वाभित्व की मासिक आधार पर कर का संदाय करने वाली मंजिली गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में दी जाने वाली अतिरिक्त घोषणा :-

मास 200..... के लिए

(दो प्रतिवों में दी जाए)

समक्ष कराधान प्राधिकारी (मध्यप्रदेश)

में/हम (बेड़ा स्वामी का नाम) यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन मास 200 के लिए घोषणा फाइल करने के पश्चात् इस घोषणा में दी गई विशिष्टियों के अनुसार नीचे वर्णित मंजिली गाड़ियाँ/आरक्षित मंजिली गाड़ियाँ मेरे/हमारे द्वारा अभिग्रहीत/परिवर्तित की गई है जिससे वे उच्चतर दर पर कर का संदाय करने को दायी हो गई हैं--

2. परिवर्तन के ब्यौरे :

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मॉडल	यान का वर्ग (डीलक्स/एक्सप्रेस/साधारण)	रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता	पूर्व में संदत्त कर (रकम रुपयों में)
1	2	3	4	5	6

परिवर्तन का दिनांक उस अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पूर्व सामान्यतः चलाया जाता था परिवर्तन के पूर्व लागू कर की दर

अनुज्ञापत्र क्रमांक	मार्ग	मध्यप्रदेश में मार्ग की दूरी	दैनिक फेरे		
7	8	9	10	11	12

उस अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पश्चात् सामान्यतः चलाया जाएगा परिवर्तन के पश्चात् लागू कर की दर में अंतर की दर (रुपये प्रति सीट प्रति मास) (कॉलम 17 - कॉलम 12)

अनुज्ञापत्र क्रमांक	मार्ग	मध्यप्रदेश में मार्ग की दूरी	दैनिक फेरे		
13	14	15	16	17	18

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

औसत बैठक क्षमता	मास के लिये देय कर के रकम का अंतर (रुपये)	टिप्पणियाँ
19	20	21

3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 101 के अधीन अतिरिक्त सेवाओं के लिए देय कर (केवल राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में)

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मॉडल	यान का वर्ग (डीलक्स/ एक्सप्रेस/साधारण)	रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता
1	2	3	4	5

मास के दौरान तय की गई अतिरिक्त दूरी (किलोमीटर में)	खंड (च) के अधीन लागू कर की दर (पैसे प्रति 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिये प्रति सीट)	कर की देय रकम	टिप्पणियाँ
6	7	8	9

4. मास के लिए देय कर का अन्तर (पैरा 2 के कॉलम 20 का योग + पैरा 3 के कॉलम 8 का योग) रुपए

5. मैं इसके साथ बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांकदिनांक
रकम रुपएमास..... 200..... के लिए कर के अन्तर का संदाय किए जाने बाबत संलग्न करता हूँ।

6. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सही है।
दिनांक

पदनाम सहित बेड़ा स्वामी
के हस्ताक्षर

टिप्पणी - (1) बेड़ा स्वामी की प्रत्येक प्रचालित शाखा (संभाग/डिपो आदि) द्वारा मास के दौरान प्रचालित अभिग्रहीत/परिवर्तित समस्त मंजिली गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में एक ही घोषणा फाइल की जाएगी।

यदि मास के दौरान परिवर्तित किया गया यान परिवर्तन के पूर्व आरक्षित/स्पेयर बस थी तो इस रूप में उसे पैरा-2 के कॉलम 8 से 11 में वर्णित किया जाना चाहिए।

(3) मास के दौरान रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में रजिस्ट्रीकरण का दिनांक पैरा-2 के कॉलम 7 में दर्शाया जाना चाहिये और कॉलम 8 से 12 रिक्त छोड़ दिए जाने चाहिए। यदि ऐसे यान को मास के दौरान आरक्षित मंजिली गाड़ी के रूप में रखा जाता है तो इस घोषणा के पैरा-2 के कॉलम 13 से 16 के अधीन इस रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी मध्यप्रदेश

क्रमांक

दिनांक

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 नियम 8-क के उप नियम (2) के अधीन (बेड़ा स्वामी का नाम)से मास के अभिग्रहीत/परिवर्तित मंजिली गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में अतिरिक्त घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक दिनांक.....रकम रुपए.....(शब्दों में रुपए.....) के साथ प्राप्त हुई। बेड़ा स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक.....को उपस्थित रहे।

दिनांक.....

.....

कराधान प्राधिकारी]

1[प्ररूप-ज-3

[नियम 8-क का उपनियम (4) देखिए]

कार्यालय कराधान प्राधिकारी..... (मध्यप्रदेश)

क्रमांक

दिनांक

मास.....200..... लिए मासिक आधार पर कर संदाय करने वाली मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के लिए देय मासिक कर के अवधारण की सूचना। प्रति,

.....

.....

..... (बेड़ा स्वामी)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि (बेड़ा स्वामी का नाम) के द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8-क के उपनियम (1) तथा (2) के अधीन फाइल की गई घोषणा और अतिरिक्त घोषणा के आधार पर आपके स्वामित्व तथा शहर मार्गों से भिन्न मार्गों पर चलान के लिए प्राधिकृत मंजिली गाड़ियों और आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर मास 200..... के लिए मासिक कर नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार अवधारित किया जाता है :-

- (1) नियमित मंजिली गाड़ी तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञापत्रों रुपए..... के अधीन प्रचालन के संबंध में देय कर की रकम
- (2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 101 के अधीन प्रचालन रुपए..... के लिए देय कर की रकम (केवल राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में लागू)

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

- (3) मास के दौरान मंजिली गाड़ियों में परिवर्तन के कारण देय कर की रकम रुपए.....
- (4) मास के लिए संदेय कर की कुल रकम (1+2+3) रुपए.....
- (5) नियम 8-क (1) के अधीन घोषणा के साथ संदत्त की गई रकम रुपए.....
- (6) नियम 8-क (2) के अधीन अंतिम घोषण के साथ संदत्त की गई रकम रुपए.....
- (7) संदेय कर के अन्तर की रकम (4-5-6) रुपए.....

2. *आपको एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यदि आपसे उक्त अधिनियम के अधीन वसूलीय ऊपर अवधारित रकम का संदाय इस प्रज्ञापना तथा सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो ऊपर वर्णित रकम की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15/धारा 16 (3) के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

3. आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आधिक्य में संदत्त की गई रकम जो ऊपर कॉलम-7 में दर्शायी गई है, की वापसी की पात्रता है, जो आपके द्वारा प्राप्त की जा सकती या नियम 14 के अनुसार भविष्य के संदाय के पेटे समायोजित की जा सकती है।

दिनांक.....

कराधान प्राधिकारी

..... मध्यप्रदेश

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।]

प्ररूप-झ

[नियम 9 का उपनियम (1) देखिए]

प्रतिपर्ण और टोकन

क्रमांक.....

दिनांक.....

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग.....के अधीन यान क्रमांक.....

संदत्त कर रुपए.....(शब्दों में.....) के संबंध में टोकन

वह कालावधि, जिसके लिए कर संदत्त किया गया है..... कर के संदाय का दिनांक.....

कराधान लिपिक

कराधान प्राधिकारी

(प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर दर्शाया जाए)

(1) टोकन पुड़े या स्काउट विवरण पेपर के 6 से.मी. व्यास के गोलाकार टुकड़े का होगा।

(2) विभिन्न मासों/तिमाहियों के लिए जारी किया गया टोकन वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए यथास्थिति मास की क्रम संख्या के द्वारा/एक लाल उर्ध्व रेखा के द्वारा सुभिन्न किया जाएगा।

(आकृति में गोलाकार)

..... क्षेत्र

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991

टोकन क्रमांक.....

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.....

यान का वर्ग.....

संदत किया गया कर रूप
 वह कालावधि, जिसके लिए कर संदत किया गया
 दिनांक से तक
 दिनांक

कराधान लिपिक

कराधान प्राधिकारी

प्ररूप-अ

[नियम 9 का उप नियम (3) देखिए]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अधीन कर के संदाय से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि मोटरयान क्रमांक के संबंध में कर का संदाय नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार के कार्यालय में किया गया है :-

- (1) स्वामी का नाम
- (2) यान का वर्ग
- (3) अनुज्ञापत्र क्रमांक
- (4) एक दिन में तय की गई कुल दूरी किलोमीटर
- (5) क्या अतिरिक्त यान (स्पेयर) है
- (6) वह मासिक दर, जिसके अनुसार कर संदत किया गया
- (7) वह कालावधि, जिसके लिए कर का संदाय किया गया दिनांक से तक
- (8) संदाय के ब्यौरे रकम रूप बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक और दिनांक

दिनांक

हस्ताक्षर
 कराधान प्राधिकारी

प्ररूप-ट

[नियम 11 का उप नियम (1) देखिए]

मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए आवेदन-पत्र
भाग-एक
 (स्वामी द्वारा पूर्ण किया जाए)

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,

- (1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
- (2) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का डाक का पता
- (3) उपयोग से हटाए जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा वह दिनांक जिस तक कर का संदाय किया गया

(4) उपयोग न किए जाने की कालावधि
(दिनांक दिए जाएँ) दिनांक.....से.....तक

(5) उस स्थान का डाक का पता जहाँ कालावधि के दौरान मोटरयान
रखा जाएगा

(6) मोटरयान का उपयोग न किए जाने के कारण
मैं, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 11 के उपनियम (2) तथा (3) के अधीन यथा
अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख इसके साथ संलग्न करता हूँ :-

- (1) दस रुपए की नकद रसीद का क्रमांक
- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र
- (3) कर टोकन का क्रमांक
- (4) उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र
- (5) बीमा का प्रमाण-पत्र
- (6) अनुज्ञा पत्र क्रमांक
- (7) कर का प्रमाण-पत्र
- (8) अनापत्ति प्रमाण-पत्र/न्यायालय का आदेश

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त यान को कराधान प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना विनिर्दिष्ट स्थान से नहीं
हटाऊंगा। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य हैं।

स्थान

दिनांक

स्वामी के हस्ताक्षर

भाग-दो अधिस्वीकृति

श्री.....से मोटरयान, जिसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक है,
के से तक उपयोग न किए जाने संबंधी सूचना
प्ररूप-"ट" में को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुई --

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

दिनांक

कराधान प्राधिकारी

1[प्ररूप-“ट-1”

[नियम 11 का उपनियम (3) का खण्ड (छह) देखिए]

कार्यालय राज्य/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.....(मध्यप्रदेश)

क्रमांक

दिनांक

आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के स्वामित्व का लोक सेवा यान जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह है, जो इस प्राधिकारी द्वारा मार्ग से के लिए जारी किए गए अनुज्ञापत्र क्रमांक के अन्तर्गत आता है, को (मास) 200..... के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली मास की कालावधि के लिए उपयोग न किए जाने में, इस प्राधिकारी को कोई आक्षेप नहीं है।

.....
सचिव/सहायक सचिव

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

.....मध्यप्रदेश]

प्ररूप-ठ

[नियम 11 का उप नियम (7) देखिए]

उपयोग में न रखे गए यानों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	सूचना प्राप्त होने का दिनांक	यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	यान का वर्ग	स्वामी का नाम एवं पता		
1	2	3	4	5		
उपयोग में रखे जाने की कालावधि से	तक	वह स्थान जहाँ उपयोग में न रखे जाने की कालावधि के दौरान यान रखा जाएगा	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र	कर टोकन		
6	7	8	9	10		
उपयोग में रखे जाने की सूचना के साथ जमा किए गए दस्तावेज	उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	बीमा प्रमाण-पत्र	कर प्रमाण-पत्र	अनुज्ञापत्र क्रमांक	अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ आदेश की प्रति	कराधान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन दिनांक सहित
11	12	13	14	15	16	

क्षे.प. अधि./सहा. क्षे.प. अधि./प.नि./प.उ.नि. की निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त सार	स्थान परिवर्तन के लिये दी गई अनुज्ञा, यदि कोई हो	कागजपत्र वापस करने का दिनांक	क्षे.प. अधि./स.क्षे. परि. अधि. द्वारा अंतिम सत्यापन	टिप्पणियाँ
17	18	19	20	21

प्ररूप-ड

[नियम 12 का उप नियम (1) देखिए]

अनुज्ञा-पत्र जमा करने के लिए आवेदन-पत्र

भाग-एक

(अनुज्ञा के पत्र के धारक द्वारा भरा जाए)

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,

.....
.....

- (1) अनुज्ञापत्र धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
- (2) अनुज्ञापत्र धारक का डाक का पता
- (3) यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा वह दिनांक जिस तक कर का संदाय किया गया
- (4) अनुज्ञापत्र क्रमांक और वैधता का दिनांक
- (5) अनुज्ञापत्र के जमा करने की प्रस्तावित कालावधि दिनांक.....से..... तक
- (6) अनुज्ञापत्र जमा करने के लिए कारण :-
 1. यांत्रिक खराबी
 2. मार्ग का मोटर योग्य न होना
 3. न्यायालय का आदेश
 4. होली के त्यौहार के कारण प्रचालन न होना
 5. निर्वाचन कार्य या विधि और व्यवस्था संबंधी कर्तव्य की दृष्टि से यान के अधिग्रहण के कारण प्रचालन न होना।]

में, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 12 के उपनियम 2 तथा 3 के अधीन यथा अपेक्षित निम्न दस्तावेजों के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करता हूँ :-

- (1) दस रुपए की नकद रसीद का क्रमांक तथा दिनांक.....
- (2) अनुज्ञा पत्र क्रमांक
- (3) कर प्रमाण-पत्र
- (4) अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आदेश की प्रमाणित प्रति

मैं घोषित करता हूँ कि ऊपर मद क्रमांक 5 के सामने उल्लेखित की गई कालावधि के दौरान अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले मार्ग पर सेवा का प्रचालन नहीं करूँगा, मैं, यह भी घोषित करता हूँ कि उक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य है।

स्थान

दिनांक

अनुज्ञा पत्र धारक के हस्ताक्षर

भाग-दो
अधिस्वीकृति

श्री से यान क्रमांक के लिए
..... (प्राधिकारी) द्वारा स्वीकृत ¹[अनुज्ञापत्र क्रमांक के बाबत
दिनांक से दिनांक..... तक की कालावधि के लिए] अनुज्ञापत्र का
उपयोग न किए जाने की सूचना प्ररूप-ड में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुई --

1. अनुज्ञापत्र क्रमांक
2. कर प्रमाण-पत्र
3. द्वारा स्वीकृत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
4. न्यायालय आदेश दिनांक

दिनांक.....

कराधान प्राधिकारी

²[प्ररूप-“ड-1”

[नियम 12 के उपनियम (3) का खण्ड (दो) देखिए]

कार्यालय राज्य/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (मध्यप्रदेश)

क्रमांक

दिनांक

आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्राधिकारी द्वारा श्री..... को मार्ग
..... से..... के लिए जारी किए गए अनुज्ञापत्र
क्रमांक..... को नीचे दिए गए कारणों से दिनांक से
200 तक की कालावधि के लिए उपयोग न किए जाने में, इस प्राधिकारी को कोई आक्षेप नहीं है।

कारण :-

1. यान की यांत्रिकी का ठप्प हो जाना/उसकी मरम्मत, अनुरक्षण
2. मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग का न होना

.....
सचिव/सहायक सचिव

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,

..... मध्यप्रदेश

टिप्पणी :- जो लागू न हो उसे काट दीजिए।]

प्ररूप-ड

[नियम 12 का उप नियम (6) देखिए]

उपयोग में न रखे गए अनुज्ञापत्रों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	आवेदन प्राप्त करने का दिनांक	अनुज्ञापत्र धारक का नाम	अनुज्ञापत्र क्रमांक	अनुज्ञापत्र की वैधता कब तक है	अनुज्ञापत्र का मार्ग
1	2	3	4	5	6

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	जमा करने की कालावधि		अनुज्ञापत्र को जमा करने के कारण		
	से	तक	यांत्रिक खराबी	मार्ग का मोटर योग्य न होना	न्यायालय का आदेश
7	8	9	10	11	12

किस दिनांक तक कर का संदाय किया गया	अनुज्ञापत्र वापस लेने का दिनांक	कराधान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और दिनांकित आद्याक्षर	टिप्पणियाँ
13	14	15	16

प्ररूप-ण

[नियम 13 का उप नियम (1) देखिए]

किसी मार्ग पर मोटरयान के प्रचालित न किए जाने की सूचना

भाग-एक

(अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा भरा जाए)

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,

.....
.....

- (1) अनुज्ञापत्र धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
- (2) अनुज्ञापत्र धारक का डाक का पता
- (3) यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा वह दिनांक जिस तक कर का संदाय किया गया
- (4) अनुज्ञापत्र क्रमांक और वैधता का दिनांक
- (5) मार्ग पर यान के प्रचालित न किए जाने की कालावधि.....से तक
- (6) मार्ग पर यान के प्रचालित न किए जाने के कारण :-
 1. प्राकृतिक विपत्ति
 2. विधि और व्यवस्था
 3. किसी दुर्घटना में नुकसानग्रस्त यान

मैं, इसके साथ मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1991 के नियम 13 "क" के उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित निम्न दस्तावेज संलग्न करता हूँ :-

1. दस रुपए की नकद रसीद क्रमांक.....तथा दिनांक
- *2. (1) अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. का प्रमाण-पत्र
- (2) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस या उपखण्ड मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश या प्रमाण-पत्र की प्रति
- (3) प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति
- (4) प्रतिकर के दावे हेतु बीमा कंपनी को दी गई सूचना की प्रति
- (5) कोई अन्य प्रमाण-पत्र

में घोषणा करता हूँ कि मैंने ऊपर मद क्रमांक 5 के सामने उल्लिखित कालावधि के दौरान अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले मार्ग पर सेवा का प्रचालन नहीं किया है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य हैं।

स्थान

.....

दिनांक

अनुज्ञापत्र धारक के

हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

भाग-दो

अभिस्वीकृति

श्री से प्ररूप "ण" में यान क्रमांक के लिए (प्राधिकारी) द्वारा प्रदत्त अनुज्ञापत्र क्रमांक जो दिनांक तक विधिमान्य है, के अन्तर्गत आने वाले मार्ग पर ¹[दिनांक से दिनांक तक की कालावधि के दौरान यान का प्रचालन नहीं किए जाने की सूचना] निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुई --

1.

2.

कराधान प्राधिकारी

²[प्ररूप-"ण-1"]

[नियम 13 का उपनियम (3) का खण्ड (दो) देखिए]

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग

अनुविभाग क्रमांक खण्ड

क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि इस.....से..... तक बस मार्ग पर पड़ने वाली.....कि.मी.लम्बी.....से.....तक की सड़क निम्नलिखित कारणों से मोटर चलाए जाने के योग्य नहीं है/मोटर चलाए जाने के योग्य नहीं थी --

कारण :-

1. भारी वर्षा/बाढ़ के कारण,
2. पुल/पुलिया के ध्वस्त हो जाने के कारण,
3. अन्य कारण (विनिर्दिष्ट करें).....

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

.....
 अनुभाग अधिकारी,
 लोक निर्माण विभाग अनु.क्र.....
 निर्माण/संघारण
 खण्ड क्रमांक

टिप्पणी - जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
 ए.के. मंडलेकर, उप सचिव]

प्ररूप-त

[नियम 13 का उपनियम (6) देखिए]

अकल्पित परिस्थितियों के अधीन मोटरयानों का प्रचालन न किए जाने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का रजिस्टर

अनुक्रमांक	सूचना की प्राप्ति की तारीख	अनुज्ञापत्र धारक का नाम	अनुज्ञापत्र क्रमांक	अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता कब तक है
1	2	3	4	5

अनुज्ञापत्र का मार्ग	यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	किस दिनांक तक कर का संदाय किया गया है	प्रचालित न किए जाने से	कालावधि तक
6	7	8	9	10

प्रचालित न किए जाने के कारण प्राकृतिक विपत्ति	विधि और व्यवस्था	दुर्घटना	कराधान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और दिनांक सहित आद्याक्षर	टिप्पणियाँ
11	12	13	14	15

प्ररूप-थ

[नियम 14 का उपनियम (2) देखिए]

कर की वापसी के लिए आवेदन-पत्र

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,

.....

में निवासी मोटरयान रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
 का स्वामी एतद्द्वारा नीचे दिए गए ब्यौतों और कारणों के आधार पर कर
 वापसी का दावा करता हूँ --

- (1) वह कालावधि, जिसके लिए कर का संदाय किया गया है --
 दिनांक से तक
- (2) वह कालावधि जिसके लिए वापसी का दावा किया है --
 से तक
- (3) संदत्त की गई कर की रकम रुपए
 बैंक ड्राफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक से तक उपयोग न किया जाना ।
- (4) दावा की गई रसीद की रकम रुपए
- (5) वापसी के लिए कारण--
 (एक) दिनांक से यान का उपयोग न किया जाना
 (दो) अनुज्ञापत्र का दिनांक से तक
 उपयोग न किया जाना
 (तीन) यान का प्रचालन न किया जाना दिनांक से तक
 (चार) यान में परिवर्तन का दिनांक
- (पाँच) भूलवश अधिक किए गए संदाय का दिनांक
2. इस आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें संलग्न हैं --
 (1) कर के संदाय का सबूत (मूल या प्रमाणित प्रति)
 (2) उपयोग न किए जाने की सूचना/अनुज्ञापत्र को जमा करने के लिए आवेदन-पत्र/यान का प्रचालन न किए
 जाने की सूचना/या यान में परिवर्तन संबंधी घोषणा के संबंध में कराधान प्राधिकारी के द्वारा जारी की गई अभिस्वीकृति ।
 (3) अन्य दस्तावेजें (विनिर्दिष्ट करें)
3. मैं, एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि इस आवेदन-पत्र में दावा की गई वापसी के संबंध में पूर्व में कोई
 आवेदन नहीं दिया गया है ।
 दिनांक

आवेदक

.....

प्ररूप-द

[नियम 14 का उपनियम (2) तथा (4) देखिए]

वापसी व्हाउचर

प्रतिपत्र

(1) क्रमांक

अनुक्रमांक पुस्तक क्रमांक

प्रति,

कोषाधिकारी,

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने

- (2) स्वामी का नाम रजिस्ट्रीकरण चिन्ह वाले मोटर यान के मामले में दिनांक से तक की कालावधि के लिए मोटर यान कर की रकम रुपए का संदाय कर दिया है और वह मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 14 के अधीन रुपए की वापसी का हकदार है,
- (3) वाहन का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
- (4) संदत्त कर रुपए
- (5) स्वीकृत वापसी रुपए
- (6) कालावधि जिसके लिए वापसी स्वीकृत की गई है
- (7) दिनांक

(2) वह कर, जिसके संबंध में वापसी का दावा किया है, कोषालय में पूर्व में ही जमा किया जा चुका है,

(3) वापसी का टिप्पण मूल अभिलेख में मेरे द्वारा दिनांकित आद्याक्षरों से लगा दिया गया है, और

(4) मोटरयानों के संबंध में वापसी का कोई आदेश पूर्व में जारी नहीं किया है।

कृपया श्री को उपरोक्त वापसी के मद्दे रुपये..... (शब्दों में रुपए) की राशि का संदाय करें।

कराधान प्राधिकारी

दिनांक

कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-घ

[नियम 14 का उपनियम (10) देखिए]

कर की वापसी का रजिस्टर

अनुक्रमांक	वापसी के आवेदन का दिनांक	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वापसी की गई	यान क्रमांक	संदत्त की गई कर की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कोषालय का नाम जिसमें रकम जमा की गई थी (यदि चालान से संदत्त की गई हो)	बैंक ड्राफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक तथा दिनांक	वापसी का स्वरूप जिसके लिये दावा किया है	पारित किए गए वापसी आदेश दिनांक	स्वीकृत की गई वापसी की रकम
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

क्या वापसी की रकम का समायोजन किया गया है	वापसी वाउचर का क्रमांक तथा दिनांक	कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप-न

[..... विलोपित]

1[प्ररूप-प-1

[नियम 17 का उपनियम (1) देखिए]

**मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 16 की उपधारा (3) के
अधीन कर वसूली के लिए मोटरयान के अभिग्रहण का ज्ञापन**

1. दिनांक स्थान
2. यान का अभिग्रहण करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम
3. यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम
4. उस व्यक्ति का नाम आदि जिसके कब्जे से यान अभिग्रहीत
5. साक्षियों के नाम (1)
(2)
6. अभिग्रहीत किए गए यान की विशिष्टियाँ --
(1) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (2) यान की श्रेणी.....
(3) चेसिस क्रमांक (4) इंजन क्रमांक
5. यान अभिग्रहीत किए जाने के कारण --

(1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुसूची की मदके अधीन मास.....200..... के लिए देय कर की रकम रुपये.....
(शब्दों में रुपये.....) का संदाय न किया जाना।

(2) कराधान प्राधिकारी..... के आदेश क्रमांक दिनांक
.....के अनुसार रुपए..... (शब्दों में रुपए.....)
की बकाया कर की शोध्य रकम का संदाय न किया जाना।

(3) कराधान प्राधिकारी..... के आदेश क्रमांक दिनांक
.....के अनुसार रुपए..... (शब्दों में रुपए.....)
की शोध्य शास्ति की रकम का संदाय न किया जाना।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा अन्तःस्थापित।

(4) कराधान प्राधिकारी के आदेश क्रमांक
दिनांक के अनुसार रूपए (शब्दों में रूपए
.....) की शोध्य शास्ति की रकम का संदाय न किया जाना।

1.

2.

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसके
कब्जे से यान अभिग्रहीत किया
गया।

प्रति प्राप्त की

(हस्ताक्षर)

टीप - प्ररूप प-2 में अभिग्रहण तथा निरोध के आदेश की प्रति के साथ इस ज्ञापन की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके कब्जे से यान अभिग्रहीत किया गया है।

प्ररूप-प-2

[नियम 17 का उपनियम (2) देखिए]

कर/शास्ति/ब्याज की वसूली के लिए मोटरयान के अभिग्रहण तथा निरोध का आदेश

चूंकि श्री (स्वामी का नाम) के मोटरयान जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
..... है, की बाबत मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अधीन देय कर, शास्ति
तथा ब्याज की शोध्य रकम रूपए (शब्दों में रूपए) का संदाय
नहीं किया गया है।

अतएव अब मैं (पदनाम) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3)
के अधीन एक प्राधिकृत अधिकारी के नाते उपरोक्त यान को जब तक कि यान की बाबत देय रकम का संदाय किया
जाकर रकम के संदाय के साक्ष्य स्वरूप सबूत प्राप्त नहीं किया जाता है। एतद्वारा अभिग्रहीत करता हूँ और निरुद्ध
करता हूँ।

सील

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

प्रतिलिपि :-

(1) थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन..... को अपोहस्ताक्षरी या कराधान प्राधिकारी
.....या अपील प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त म्वाल्थियर) के आगे और किए जाने
वाले आदेश तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निवेदन के साथ।

(2) कराधान प्राधिकारी की जानकारी हेतु।

(3) श्री पुत्र श्री निवासी
..... (स्वामी/चालक) को अनुपालन के लिए प्रति प्राप्त की।

हस्ताक्षर

..... (हस्ताक्षर)

पदनाम

टीप :- प्ररूप प-1 में अभिग्रहण के ज्ञापन के साथ इस आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके कब्जे से यान अभिग्रहीत किया गया है।]

प्ररूप-फ

[नियम 20 का उप नियम (1) देखिए]

कर की प्राप्ति का रजिस्टर

अनुक्रमांक	प्राप्ति का दिनांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	यान का वर्ग	यान के स्वामी का नाम
1	2	3	4	5

जमा की गई रकम	संदाय का विवरण	कालावधि जिसके लिये कर जमा किया गया है	टिप्पणियाँ
6	7	8	9

टिप्पण :- (1) यह रजिस्टर कराधान लिपिक के द्वारा बनाए रखा जाएगा।

(2) प्राप्त की गई घोषणाओं के समस्त प्ररूप और एक दिन के सबूतों को रजिस्ट्रों में अभिलिखित किया जाएगा।

प्ररूप-ब-1

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]

जीवन-काल-कर की मांग और वसूली का रजिस्टर

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	यान का वर्ग	स्वामी का नाम	लदान रहित भार (कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5

जीवन काल कर के संदाय का दिनांक	संदत की गई रकम	संदाय का विवरण (बैंक ड्राफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक तथा दिनांक)	संदत की गई शास्ति तथा ब्याज	प्रमाण-पत्र का क्रमांक तथा दिनांक
6	7	8	9	10

कराधान लिपिक के हस्ताक्षर	कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर	शोध्य यदि कोई हो	की गई वापसी यदि कोई हो	टिप्पणियाँ
11	12	13	14	15

प्ररूप-ब-2

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]

**मासिक आधार पर कर का संदाय करने वाले लोक सेवा
यानों का मांग और वसूली का रजिस्टर**
(मोटर केब एवं शहरी बसों से भिन्न लोक सेवा यानों के लिए)

1. यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
2. प्रथम रजिस्ट्रीकरण/मध्यप्रदेश में आने का दिनांक
3. स्वामी/अनुज्ञा पत्र धारक का नाम तथा पता
4. बैठने की क्षमता

वित्तीय वर्ष	अनुज्ञापत्र क्रमांक प्रवर्ग और विधिमान्यता	मार्ग और प्रतिदिन की अनुज्ञात दूरी	मासिक मांग
1	2	3	4

संदाय के ब्यौरे

अप्रैल

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
5	6	7

संदाय के ब्यौरे

मई

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
8	9	10

संदाय के ब्यौरे

जून

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
11	12	13

संदाय के ब्यौरे

जुलाई

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
14	15	16

संदाय के ब्यौरे

अगस्त

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
17	18	10

संदाय के ब्यौरे

सितम्बर

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
20	21	22

संदाय के ब्यौरे

अक्टूबर

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
23	24	25

संदाय के ब्यौरे

नवम्बर

संदत की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
26	27	28

संदाय के ब्यौरे

दिसम्बर

संदत की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
29	30	31

संदाय के ब्यौरे

जनवरी

संदत की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
32	33	34

संदाय के ब्यौरे

फरवरी

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
35	36	37

संदाय के ब्यौरे

मार्च

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
38	39	40

वर्ष के अंत में कर
का अतिरोष

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.)
के ब्यौरे यदि अभिप्राप्त
किया हो

टिप्पणियाँ

41

42

43

प्ररूप-ब-3

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]

कर से छूट प्राप्त मोटरयानों के संबंध में कर का मांग और वसूली का रजिस्टर

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण का दिनांक	स्वामी का नाम और पता	यान का वर्ग
1	2	3	4	5
उस अधिसूचना का क्रमांक तथा दिनांक जिसके अधीन कर से छूट स्वीकृत की गई	यदि कर से छूट प्राप्त कर ली गई हो तो उस अधिसूचना का क्रमांक तथा दिनांक	कर लिपिक के हस्ताक्षर	कर प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
6	7	8	9	10

प्ररूप-ब-4

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]

जीवन-काल-कर यानों, मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों, और कर से छूट प्राप्त यानों से भिन्न मोटरयानों के संबंध में कर की मांग और वसूली का रजिस्टर

- (1) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
- (2) प्रथम रजिस्ट्रीकरण का मध्यप्रदेश में आगमन का दिनांक
- (3) स्वामी का नाम और पता
- (4) सकल यान भार/लदान रहित भार/ बैठने की क्षमता
- (5) तिमाही कर की दर

प्रथम तिमाही

वित्तीय वर्ष	पूर्व की बकाया यदि कोई हो	संदत की गई रकम (एक) कर (दो) शास्त (तीन) ब्याज	संदाय के ब्यौरे बैंक ड्राफ्ट/ चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

द्वितीय तिमाही

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	संदाय के ब्यौरे बैंक ड्राफ्ट/ चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
8	9	10	11	12

तृतीय तिमाही

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	संदाय के ब्यौरे बैंक ड्राफ्ट/ चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
13	14	15	16	17

चतुर्थ तिमाही

संदत्त की गई रकम -- (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	संदाय के ब्यौरे बैंक ड्राफ्ट/ चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
18	19	20	21	22

प्ररूप-भ

[नियम 17 का उपनियम (5) देखिए]

अभिग्रहीत यान के अधिहरण के लिए कार्यवाही के
प्रारंभ के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना

..... द्वारा

तारीख

(अधिकारी का नाम तथा इसका पदाभिधान)

प्रति,

न्यायिक मजिस्ट्रेट

1. अधिहरित किए जाने के लिए प्रस्तावित मोटरयान का विवरण ।
2. उन परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण जिनके अधीन यान अभिग्रहीत किया गया था ।
3. उस यान के जिसका अधिहरित किया जाना प्रस्तावित है स्वामी का नाम तथा पता ।
4. उस व्यक्ति का नाम, जिसके कब्जे से यान अभिग्रहीत किया गया था
5. अभिग्रहण की तारीख, समय तथा स्थान ।
6. उस अधिकारी का नाम, जिसे यान का अभिग्रहण किया ।
7. अभिग्रहीत यान का अनुमानित मूल्य ।
8. उस अपराध की विशिष्टियाँ, जिनके कारण अभिग्रहण किया गया था ।
9. अभिग्रहीत यान के अधिहरण की कार्यवाहियों के प्रारंभ की तारीख ।

.....
प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा सहित

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

धारा 2 :

अधिसूचना क्र. एफ. 8-4-93-आठ, दिनांक 27 अक्टूबर, 1993 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8 और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 87 के साथ पठित मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के समस्त ऐसे परिवहन प्राधिकारियों को, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नेशनल परमिट मंजूर करने के लिए प्राधिकृत हैं, उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत तथा नेशनल परमिट के अंतर्गत आने वाले और विशिष्टतः किसी प्राधिकार से मध्यप्रदेश में चलने वाले मालयानों के बाबत् उनकी अधिकारिता के भीतर कराधान प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-10-1993 पृष्ठ 73 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 8-1-92-आठ, दिनांक 9 जनवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर कराधान प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-

अनुसूची

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1. सहायक परिवहन आयुक्त (कर)
मध्यप्रदेश ग्वालियर | : | सम्पूर्ण राज्य के लिए। |
| 2. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी | : | उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर। |
| 3. समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी | : | उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर। |
| 4. समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी | : | उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर। |

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 9-1-1992 पृष्ठ 21 पर प्रकाशित]

धारा 13 :

अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-301-2001-आठ, दिनांक 28 फरवरी, 2003 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त धारा के प्रथम परंतुक के उपबंधों के अधीन रहते हुए शास्ति की निम्नलिखित दरें नियत करती हैं, अर्थात् :-

- | | |
|----------------------|---|
| (1) 3 मास तक | कर की असदंत रकम पर 2 प्रतिशत प्रतिमास की दर से शास्ति |
| (2) 3 मास के पश्चात् | कर की असदंत रकम पर 4 प्रतिशत प्रतिमास की दर से शास्ति |
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 2003 से प्रवृत्त होगी।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-2-2003 में प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 8-4-92-आठ, दिनांक 20 फरवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कथित उपधारा के प्रयोजन के लिये ब्याज की निम्नलिखित दरें विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- (1) जीवनकाल का भुगतान करने वाले यानों से भिन्न यानों के बाबत् -
- (क) कर के भुगतान हेतु विहित दिनांक के बाद प्रथम छः मास तक कोई ब्याज नहीं, तथा
- (ख) उसके बाद प्रत्येक मास के लिये देय कर की राशि का बीस प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(2) जीवन काल कर भुगतान करने वाले यानों के बाबत कर के भुगतान के लिए विहित दिनांक के बाद, देय कर की रशि का दस प्रतिशत प्रतिवर्ष।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20-2-1992 पृष्ठ 151 पर प्रकाशित]

धारा 16 :

अधिसूचना क्र. एफ. 8-1-92-आठ, दिनांक 9 जनवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 16 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा परिवहन विभाग के उन समस्त अधिकारियों को उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करती है, जो सहायक परिवहन उपनिरीक्षक की श्रेणी से, नीचे की श्रेणी के न हों।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 9-1-1992 पृष्ठ 4 पर प्रकाशित]

क्र. एफ. 22-211-2005-आठ, दिनांक 14 नवम्बर, 2005 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 16 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8-81-92-आठ, दिनांक 9 जनवरी, 1992 द्वारा परिवहन विभाग के सहायक परिवहन उप निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के समस्त अधिकारियों को उपधाराओं के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया था।

उपरोक्त क्रम में राज्य सरकार, एतद्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधीन राज्य के पुलिस थानों में कार्यरत उप-निरीक्षकों तथा निरीक्षकों के अनिम्न पदश्रेणी के समस्त अधिकारियों को, उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिए, इस शर्त पर प्राधिकृत करती है कि उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए शक्तियों का प्रयोग उक्त धारा के अधीन कराधान प्राधिकारी के आदेशों पर वैयक्तिक मामलों में किया जाएगा।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-11-2005 पृष्ठ 1089 पर प्रकाशित]

धारा 21 :

अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-301-2001-आठ, दिनांक 28 फरवरी, 2003 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, समस्त प्रवर्गों के लिये समस्त मोटरयानों को, 31 दिसम्बर, 2002 को या उसके पूर्व शोध्य शास्ति तथा ब्याज के भुगतान से निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन छूट देती है, अर्थात् :-

- (1) यह छूट केवल एक बार दी जाएगी।
- (2) यह छूट यान के स्वामी को तभी उपलब्ध होगी, जब यह शोध्य कर की पूर्ण रकम का भुगतान कर देता है।
- (3) यह छूट मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2003 तक प्रभावी रहेगी।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-2-2003 में प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 22-100-91-आठ, दिनांक 4 फरवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वास्तविक कृषकों को ऐसे ट्रेक्टर अनुयान संयोजनों को जो कृषक प्रयोजनों के लिये हों और मेलों, हाट-बाजारों, धार्मिक सम्मेलनों, विवाहों तथा अन्य समारोह के अवसरों पर व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता हो, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय कर के संदाय से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए पूर्णतः छूट देती है, अर्थात्, ऐसे यान, जिसके लिए छूट मंजूरी की गई हो :

- (1) वास्तविक कृषक के स्वामित्व का हो तथा वह उसके द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहिए।
- (2) वास्तविक कृषक के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।
- (3) भाड़े या पारिश्रमिक पर उपयोग नहीं लाया जाना चाहिए।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-2-1992 पृष्ठ 97 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 8-7-92-आठ, दिनांक 10 जनवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले और नीचे विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनन्यतः प्रचालित किये जाने वाले समस्त लोक सेवा यानों को उक्त अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने से इस सीमा तक आंशिक रूप से छूट प्रदान करती है कि ऐसे यानों पर उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद (ग) में विनिर्दिष्ट की गई दर पर कर इस अधिसूचना के "राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से देय होगा।

मार्ग

1. इन्दौर-पीथमपुर
2. इन्दौर-मह
3. भोपाल-मंडीडीप

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-2-1992 पृष्ठ 33 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 22-100-91-आठ, दिनांक 23 जनवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वास्तविक कृषकों के ऐसे ट्रैक्टर अनुयान संयोजनों को, जो कृषक प्रयोजनों के लिए हों और मेलों, हाट-बाजारों, धार्मिक सम्मेलनों, विवाहों तथा अन्य समारोह के अवसरों पर व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता हो, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय कर के संदाय से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, पूर्णतः छूट देती है, अर्थात् :-

ऐसा यान, जिसके लिए छूट मंजूर की गई हो :-

- (1) वास्तविक कृषक के स्वामित्व का हो तथा वह उसके द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहिए।
- (2) वास्तविक कृषक के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।
- (3) भाड़े या पारिश्रमिक पर उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-1-1992 पृष्ठ 73 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. 4-2-92-आठ, दिनांक 25 जनवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, केन्द्र शासन के समस्त मोटरयानों को उपरोक्त अधिनियम के अधीन शोध्य कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-1-1992 पृष्ठ 7 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 22-10-93-आठ, दिनांक 21 सितम्बर, 1993 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट मोटरयानों के निम्नलिखित वर्गों को, अर्थात् :-

(एक) किसी व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया प्रतिरक्षा-विभाग का कर से छूट प्राप्त मोटरयान;

- (दो) किसी व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया केन्द्र/राज्य सरकार का कर से छूट प्राप्त मोटरयान; तथा
(तीन) चुराया गया, अभिगृहीत किया गया तथा/या अदावाकृत सम्पत्ति के रूप में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा नीलाम या विक्रय किया गया मोटरयान,

को उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में जीवनकाल कर की उद्ग्रहणीय रकम के संदाय से कर की रकम को उस सीमा तक, जो उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ऐसे यान का कब्जा अर्जित करने की तारीख तक संदत्त किया जाता या पचास प्रतिशत जीवनकाल कर की रकम, जो भी कम हो, से निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :-

- (क) स्वामी द्वारा कराधान प्राधिकारी के समक्ष संबंधित विभाग से विक्रय वहाउचर अथवा विक्रय या नीलामी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा;
(ख) वह यान जिसे छूट दी गई है, मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, और
(ग) ऐसे यान का मेक तथा मॉडल उसी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत यानों के मेक तथा मॉडल के आधार पर अभिनिश्चित किया जाएगा।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21-9-1993 पृष्ठ 569 पर प्रकाशित]

Notification No. F. 22-118-93-VIII, dated the 8th June, 1994 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the **Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991** (No. 25 of 1991), the State Government hereby exempts in part from payment of tax leviable under Section 3 of the said Act, for the period of two years w.e.f. 1st June, 1994, to all service vehicles covered by and operating under the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 and fixes the rates of tax payable by such vehicles as specified in table below :-

TABLE

S. No.	Class of Vehicles	Tax Leviable
1.	For Motor cabs permitted to carry not more than 6 persons.	Rs. 300.00 per Quarter per State (Other than Home State).
2.	For Maxi cabs permitted to carry not more than 13 persons.	Rs. 3000.00 per Quarter per State (Other than Home State).
3.	For Omni buses permitted to carry not more than 35 persons.	Rs. 12,000.00 per Quarter per State (Other than Home State).

[Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 8-6-1994 page 530]

अधिसूचना क्र. 2338-2915-94-आठ, दिनांक 9 जून, 1994 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 66 की उपधारा (3) (एन) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, दिनांक 24 जून, 1994 से 13 जुलाई, 1994 तक, की अवधि के लिए श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महास्वामीजी की विजय यात्रा में सम्मिलित श्री श्रृंगेरी पीठ के वाहनों को मोटरयान कर देने तथा परमिट देने की आवश्यकता से छूट प्रदान करती है।

2. उपरोक्त गाड़ियाँ बिना किराये के यात्रियों को लोकोपकारी कार्य हेतु ले जाएंगी तथा परमिट से मुक्त रहेंगी।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 9-8-1994 पृष्ठ 541 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 22-1-89-आठ, दिनांक 6-8-1994 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4-14-80-दो-ए (2) दिनांक 3 दिसम्बर, 1980 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लेखित मोटर गाड़ियों को दिनांक 1 जून, 1994 से, नूतन समझौता स्वीकृत होने या प्रचलित समझौता निरस्त होने तक, उपयुक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित सीमा तक मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 के अधीन मोटरयान कर के भुगतान से छूट देता है, अर्थात् :-

अनुसूची	छूट की सीमा
1. उत्तरप्रदेश के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के टेक्सीकेब (ठेका गाड़ी) जो मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश शासन के बीच हुए, पारस्परिक समझौते के निर्बन्धनों अनुसार चल रही हो, उत्तरप्रदेश राज्य में पंजीकृत हो और जिसके संबंध में कर का भुगतान उत्तरप्रदेश में किया जा चुका हो।	पूर्ण छूट
2. उत्तरप्रदेश राज्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की स्टेज कैरिज जो मध्यप्रदेश में स्वीकृत अन्तर राज्यीय मार्गों पर मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश राज्यों के बीच पारस्परिक परिवहन समझौते के परिशिष्ट 'क' के अनुसार चल रही हो और जिनके संबंध में कर का भुगतान उत्तरप्रदेश राज्य में किया जा चुका है।	पारस्परिक परिवहन/ समझौते के उपबंध के अनुसार आंशिक छूट।
3. उत्तरप्रदेश राज्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की माल वाहनों जिनके कर का भुगतान उत्तरप्रदेश में किया हो और जो नीचे लिखे मुक्त क्षेत्र केन्द्रों से 10 कि.मी. की परिधि में चलती है : (1) चाक घाट (2) हनुमना (3) हरपालपुर रेलवे स्टेशन (4) मध्यप्रदेश में चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र (5) कर्वा की ओर से आने वाले उत्तर प्रदेश के मालयानों के लिए	पूर्ण छूट
4. मूल अनुज्ञापत्रों या अस्थायी अनुज्ञापत्रों अथवा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी विशेष परमिट से आच्छादित उत्तर प्रदेश की मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी जो कर्वा की ओर से प्रविष्ट होती हो, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र के मुक्त क्षेत्र जैसा कि पारस्परिक परिवहन समझौते में परिभाषित है चल रही हो एवं से वाहन ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिये अनन्यतः परमिट रखते हैं।	पारस्परिक परिवहन/ समझौते के उपबंध के अनुसार आंशिक छूट।
5. पारस्परिक परिवहन समझौते की कंडिका (तीन) की उपधारा (बी) के खंड 12 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य की ऐसी मंजिली गाड़ियाँ/निजी सेवायानों/शिक्षा संस्थानों की बसें एवं समस्त प्रकार की ठेका गाड़ियों के लिये मुक्त क्षेत्र होंगे जो मध्यप्रदेश में अनन्यतः प्रचालन के लिये या तो शक्तिनगर की ओर से या ओड़ीमोड़ (खनाना पुल) की ओर से प्रवेश करती हों।	पारस्परिक परिवहन/ समझौते के उपबंध के अनुसार आंशिक छूट।
6. मूल अनुज्ञा-पत्र या अस्थायी अनुज्ञा पत्रों से आच्छादित उत्तरप्रदेश राज्य की ऐसी मंजिली गाड़ियाँ, ठेका गाड़ियाँ जो झांसी की ओर से मध्यप्रदेश के ओरछा नगर के मार्गों तक आती हैं।	पूर्णतः छूट
7. मूल अनुज्ञा-पत्रों या अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों से आच्छादित उत्तरप्रदेश के तिपहिया वाहन (टेम्पो) मोटर कैब, टैक्सी कैब जो झांसी की ओर से आने वाले मार्ग से मध्यप्रदेश के बालाजी उन्नाव तक आते हों।	पारस्परिक परिवहन/ समझौते के उपबंधों के अनुसार आंशिक छूट।

अनुसूची	छूट की सीमा
8. उत्तरप्रदेश राज्य में नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की मंजिली गाड़ियाँ, ठेका गाड़ियाँ तथा माल वाहन जिनके कर का भुगतान उत्तरप्रदेश में किया गया हो मध्यप्रदेश के छोटे सीमा क्षेत्र अर्थात् मुक्त कारीडोर से होकर उत्तरप्रदेश में पहुँचने के लिए यात्रा पूर्ण करती हो और 16 किलोमीटर की सीमा से किसी भी रूप में अधिक वृद्धि नहीं हो।	पारस्परिक परिवहन/ समझौते के उपबंध के अनुसार आंशिक छूट।
9. सभी प्रकार की मोटर वाहनों जो उत्तरप्रदेश शासन के अनन्यतः स्वामित्व की एवं उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हों।	पूर्णतः छूट।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6-8-1994 पृष्ठ 729-730 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ-22-39-2000-आठ, दिनांक 6 जून, 2002 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-39-2000-आठ, भोपाल दिनांक 18 सितम्बर, 2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के तथा ऐसे पर्यटक ऑपरैटर्स के यानों को, जो मध्यप्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित तथा मान्यता-प्राप्त हों, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय कर के भुगतान से निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बन्धनों पर छूट देती है, अर्थात् :-

(1) ऐसे यान, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध में विनिर्दिष्ट टूरिस्ट सर्किट मार्गों पर अनन्य रूप से चलाए जाएंगे।

(2) ऐसे यान, उक्त उपाबंध में विनिर्दिष्ट टूरिस्ट सर्किट मार्गों के कम से कम ऐसे दो मध्यवर्ती स्टेशनों से होकर चलाए जाएंगे जिसके अंतर्गत दूसरा टूरिस्ट सर्किट या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या राज्य से निर्गम मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग आता हो।

(3) ऐसे यान :-

(क) मोटर वेहिकल्स (ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट फार टूरिस्ट ट्रांसफर आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के अधीन प्रदत्त अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा-पत्र; या

(ख) मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन पर्यटक प्रयोजनों के लिए प्रदत्त विशेष अनुज्ञापत्र, के आधार पर चलाए जाएंगे।

(4) ऐसे चार्टर्ड टूर के संबंध में, उपरोक्त खंड (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञापत्र (परमिट), सचिव, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य के अथवा किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किये जा सकेंगे।

(5) ऐसे यानों को उपरोक्त अनुज्ञापत्रों के संबंध में कर के तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991, की प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद (ड) के अधीन उद्ग्रहणीय कर के भी भुगतान से दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णतः छूट प्राप्त होगी। तथापि, कर के भुगतान से छूट के संबंध में यदि खंड (3) और (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त किया जाता है तो ऐसे यानों को ऐसे समय तक यह छूट उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कि उसे मध्यप्रदेश के पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा अनुमोदन नहीं दे दिया जाता है।

(6) ऐसे यानों के स्वामी एक लाख रुपये की प्रतिभूति रकम, उक्त छूट का लाभ उठाने के लिए कराधान प्राधिकारी के पास जमा करेंगे।

(7) ऐसे यान, यदि अनुज्ञापत्र के अतिक्रमण में या उस प्रयोजन से, जिसके लिए अनुज्ञापत्र दिया गया है, भिन्न प्रयोजन के लिए चलाते हुए पाये जाते हैं या इस अधिसूचना के खंड (1) तथा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो एक लाख रुपये की प्रतिभूति रकम समपहत हो जाएगी।

(8) यदि ऐसे यान, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 192-ए के साथ पठित धारा 66 तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध करते हुए पाए जाते हैं तो वे यान इस निमित्त विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन विहित कर की उच्चतर दर से वसूली के लिए भी दायी होंगे।

(9) ऐसे यान, बॉडी के बाह्य भाग के केन्द्र में 5 सेंटीमीटर चौड़ाई के नीले रिबन के साथ सफेद रंग से पेंट किये जाएंगे और बॉडी तथा यान के दोनों ओर 18 से.मी. व्यास (डायमीटर) के वृत्त में शब्द "पर्यटक" मुद्रित किया जाएगा। वृत्त के भीतर "पर्यटक अनुज्ञापत्र" और मध्यप्रदेश का मानचित्र महारूप रंग में अंकित किया जाएगा। सामने की विंड स्क्रीन बायीं ओर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर ऊँचाई वाले अक्षरों में लाल रंग से "मध्यप्रदेश पर्यटक वाहन" अंकित किया जाएगा।

(10) यानों के संबंध में कर के भुगतान से छूट, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

उपाबंध

विनिर्दिष्ट टूरिस्ट सर्किट

भोपाल :

1. भोपाल दर्शन
2. भोपाल-इस्लामनगर-साँची-उदयगिरी-ग्यारसपुर-भोपाल
3. भोपाल-भोजपुर-भीमबैठिका-पचमढ़ी-भोपाल
4. भोपाल-उज्जैन-इन्दौर-ओंकारेश्वर-महेश्वर-माण्डू-भोपाल
5. भोपाल-खजुराहो-सतना-भोपाल (व्हाया सागर)
6. भोपाल-पचमढ़ी-भेड़ाघाट-जबलपुर-कान्हा-बान्धवगढ़-भोपाल
7. भोपाल-भेड़ाघाट-जबलपुर-भोपाल
8. भोपाल-शिवपुरी-ग्वालियर-भोपाल
9. उज्जैन दर्शन
10. पचमढ़ी दर्शन

ग्वालियर :

1. ग्वालियर दर्शन-तिथरा किला-म्यूजियम
2. ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी-ओरछा-खजुराहो-पन्ना-चित्रकूट-सतना-बांधवगढ़-अमरकंटक-जबलपुर-ग्वालियर
3. ग्वालियर-मुरैना-चम्बल-घड़ियाल सेक्चुअरि-ग्वालियर
4. ग्वालियर-शिवपुरी-उज्जैन-इन्दौर-माण्डू-ओंकारेश्वर-महेश्वर-इन्दौर-उज्जैन-ग्वालियर

जबलपुर :

1. जबलपुर-भेड़ाघाट-जबलपुर
2. जबलपुर-भेड़ाघाट-किसली-अमरकंटक-बांधवगढ़-जबलपुर
3. जबलपुर-सिवनी-छिंदवाड़ा-पचमढ़ी-जबलपुर
4. जबलपुर-सिवनी-पेंच नेशनल पार्क-जबलपुर

सतना :

1. सतना-चित्रकूट-सतना-पन्ना-खजुराहो-धुवेल-ओरछा-ग्वालियर
2. सतना-चित्रकूट-बांधवगढ़-अमरकंटक-कान्हा-पचमढ़ी-जबलपुर
3. सतना-खजुराहो-स्नेह फाल्स-पन्ना-सतना
4. खजुराहो दर्शन।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6-6-2002 पृष्ठ 483-484(1) पर प्रकाशित]

Notification No. F-22-45-2005-VIII, dated the 8th August, 2005 -- In exercise of the powers conferred by Section 21 of the **Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991** (No. 25 of 1991), the State Government hereby exempt vehicles under the provisions of the "Eco and Adventure Tourism Policy 2001-2002" of the Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh, as applied by such private sector applicants, who have been selected and whose project reports have been approved by that department, from the payment of motor vehicles tax payable under section 3 of the said Adhiniyam, for a period of five years, subject to the following conditions and restrictions, namely :-

1. The Vehicles mentioned in the project report for transporting tourists to visit the identified locations, will enjoy exemption from payment of motor vehicles tax for a period of 5 years. This facility will expire automatically after 5 years.

2. This exemption shall be available for five years from the date of commencement of the project.

[Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 8-8-2005]

क्र. एफ 22-45-2005-आठ -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के तथा ऐसे पर्यटक आपरेटरों के यानों को भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित तथा मान्यता प्राप्त हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय कर के भुगतान से दो वर्ष की कालावधि के लिए निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बन्धनों पर छूट देती है, अर्थात् :-

- (1) यह छूट केवल मध्यप्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत यानों को ही प्राप्त होगी और ऐसे यानों के आपरेटरों को, ऐसे यानों के संबंध में विहित की गयी रजिस्ट्रीकरण फीस तथा अन्य अनुज्ञेय फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा।
- (2) ऐसे यान केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 82 में यथाविहित पर्यटक यानों की आयु से संबंधित शर्तों तथा अन्य लागू विधि का अनुपालन करेंगे। यह छूट पर्यटक आपरेटर द्वारा अर्जित नये तथा पुराने दोनों यानों को अनुज्ञेय होगी।
- (3) ऐसे यान, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट टूरिस्ट सर्किट मार्गों पर अनन्य रूप से चलाए जाएंगे।
- (4) ऐसे यान, उक्त उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट टूरिस्ट सर्किट मार्गों के एक से कम से कम ऐसे दो मध्यवर्ती स्टेशनों से होकर चलाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत दूसरा टूरिस्ट सर्किट या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या राज्य से निर्गम मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग आता हो।
- (5) ऐसे पर्यटक आपरेटर, इन यानों को --
 - (क) मोटर वेहिकल्स (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट फॉर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स) रूल्स, 1993 के अधीन दिये गए अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा-पत्र; या
 - (ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन पर्यटन प्रयोजन के लिए दिये गए विशेष अनुज्ञापत्र, के आधार पर चलाएंगे।
- (6) किसी चार्टर्ड टूर के संबंध में, उपरोक्त खण्ड (5) में निर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र (परमिट), प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य के अथवा किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दिये जा सकेंगे।
- (7) ऐसे यानों को, उक्त अनुज्ञापत्रों के संबंध में कर के तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची की मद-चार की उपमद (ड) के अधीन उद्ग्रहणीय कर के भी भुगतान से दो वर्ष

- की कालावधि के लिए छूट प्राप्त होगी। तथापि यदि खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त किया जाता है, तो ऐसे यानों को कर के भुगतान से छूट तब तक उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कि उसे मध्यप्रदेश शासन के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नया अनुमोदन नहीं दे दिया जाता।
- (8) ऐसे यान का स्वामी एक लाख रुपये की प्रतिभूति रकम, उपरोक्त छूट का लाभ उठाने के लिए कराधान प्राधिकारी के पास जमा करेगा।
- (9) ऐसे यान, यदि अनुज्ञापत्र की शर्तों के अतिक्रमण में या उस प्रयोजन से, जिसके लिए यह छूट दी गई, भिन्न प्रयोजन के लिए चलाते हुए पाये जाते हैं या इस अधिसूचना के खण्ड (1), (2) तथा (4) के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, तो
- (10) यदि ऐसे यान, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 192-ए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध करते हुए पाये जाते हैं तो आपरेटर इस निमित्त बनाई गई विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध के दण्ड के लिए दायी होगी और मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के समुचित उपबंधों के अधीन विहित कर की उच्चतर दर से वसूली के लिए भी दायी होगी।
- (11) ऐसे यान, बाँडी के बाह्य भाग के दोनों ओर तथा पीछे केन्द्र में 15 सेंटीमीटर चौड़ाई के नीले रिबन के साथ सफेद रंग से पेंट किये जाएंगे और बाँडी तथा यान की दोनों ओर 18 से.मी. व्यास (डायमीटर) के वृत्त में शब्द "मध्यप्रदेश पर्यटक" मुद्रित किये जाएंगे। सामने की विंड स्क्रीन की बायी ओर न्यूनतम 5 से.मी. ऊँचाई वाले अक्षरों में लाल रंग से हिन्दी में शब्द "मध्यप्रदेश पर्यटक वाहन" अंकित किये जाएंगे।
- (12) कर के भुगतान से छूट, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश के राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा समस्त पात्र यानों को मध्यप्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए प्राप्त होगी।

उपाबंध

विनिर्दिष्ट ट्रिस्ट सर्किट

भोपाल :

1. भोपाल दर्शन
2. भोपाल-इस्लामनगर-साँची-उदयगिरी-न्यारसपुर-भोपाल
3. भोपाल-भोजपुर-भीमवैठिका-पचमढ़ी-भोपाल
4. भोपाल-उज्जैन-इन्दौर-ओंकारेश्वर-महेश्वर-माण्डू-भोपाल
5. भोपाल-खजुराहो-सतना-भोपाल (व्हाया सागर)
6. भोपाल-पचमढ़ी-भेड़ाघाट-जबलपुर-कान्हा-बान्धवगढ़-भोपाल
7. भोपाल-भेड़ाघाट-जबलपुर-भोपाल
8. भोपाल-शिवपुरी-म्वालियर-भोपाल
9. उज्जैन दर्शन
10. पचमढ़ी दर्शन

म्वालियर :

1. म्वालियर दर्शन-तिघरा किला-म्यूजियम
2. म्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी-ओरछा-खजुराहो-पन्ना-चित्रकूट-सतना-बांधवगढ़-अमरकंटक-जबलपुर-म्वालियर

3. ग्वालियर-मुरैना-चम्बल-घड़ियाल सेंकुअरि-ग्वालियर
4. ग्वालियर-शिवपुरी-उज्जैन-इन्दौर-मांडू-ओंकारेश्वर-महेश्वर-इन्दौर-उज्जैन-ग्वालियर

जबलपुर :

1. जबलपुर-भेड़ाघाट-जबलपुर
2. जबलपुर-भेड़ाघाट-किसली-अमरकंटक-बांधवगढ़-जबलपुर
3. जबलपुर-सिवनी-छिंदवाड़ा-पचमढ़ी-जबलपुर
4. जबलपुर-सिवनी-पेंच नेशनल पार्क-जबलपुर
5. जबलपुर-कान्हा किसली-मुक्की-बालाघाट-सिवनी-पेंच उद्यान-जबलपुर

सतना :

1. सतना-चित्रकूट-सतना-पन्ना-खजुराहो-धुबला-ओरछा-ग्वालियर
2. सतना-चित्रकूट-बांधवगढ़-अमरकंटक-कान्हा-पचमढ़ी-जबलपुर
3. सतना-खजुराहो-स्नेह फाल्स-पन्ना-सतना
4. खजुराहो दर्शन

इन्दौर :

1. इन्दौर दर्शन
2. इन्दौर-माण्डू-इन्दौर
3. इन्दौर-ओंकारेश्वर-बुरहानपुर-इन्दौर
4. इन्दौर-ओंकारेश्वर-महेश्वर-इन्दौर
5. इन्दौर-धार-बाघ की गुफाएँ-बावनगजा-खलघाट-महेश्वर-इन्दौर

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-11-2005 पृष्ठ 1115-1116(1) पर प्रकाशित]

Notification No. F-22-57-2007-VIII, dated the 4th January, 2008 -- In exercise of powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (Act No. 25 of 1991), the State Government, hereby, give exemption of 2% on rate of life time tax payable on such non-transport vehicles, which are liable to pay life time tax and are sold in the Gwalior Vyapar Mela within the period from 1st January, 2008 to 7th February, 2008. The exemption will be given only on such vehicles which are sold in Gwalior Vyapar Mela and are registered in Madhya Pradesh.

2% exemption means that where the tax rate is 7% it will be 5% and where it is 5% it will be 3%.

[Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 4-1-2008 Page 23]

क्र. एफ-22-57-2007-आठ, दिनांक 8 फरवरी, 2008 -- राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-57-2007-आठ, दिनांक 4 जनवरी, 2008 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :-

“राज्य सरकार, एतद्वारा, ऐसे गैर-परिवहन यानों को जो जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और ग्वालियर व्यापार मेला में दिनांक 1 जनवरी, 2008 से 14 फरवरी, 2008 तक की कालावधि में क्रय किये जावेगे, को संदेय जीवनकाल कर की दर पर दो प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्न शर्तों व निर्बंधों के साथ उन वाहनों को प्रदान करती है जो ग्वालियर व्यापार मेला में ही बिक्रीत हो तथा जिनका पंजीयन मध्यप्रदेश

में किया जावे, दो प्रतिशत छूट का अर्थ यह है कि जहाँ पर कर 7 प्रतिशत है, वहाँ 5 प्रतिशत होगा तथा जहाँ पर 5 प्रतिशत है, वहाँ 3 प्रतिशत होगा।”

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8-2-2008 पृष्ठ 123 पर प्रकाशित]

धारा 25 :

अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-2-92-आठ, दिनांक 8 जनवरी, 1992 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार :

- (1) मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1974 के नियम /8 के अधीन विहित किये गए प्रारूप पी.एस.टी.एस. पर जारी किये गए मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले लोक सेवा यानों पर कर के उद्धरण; तथा
- (2) किसी मोटरयान पर 31 दिसम्बर, 1991 के पूर्व की कालावधि के लिए कर के उद्ग्रहण और वापसी के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-
 - (एक) मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र का धारक ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन उपयोग किये जाने हेतु प्राधिकृत किये गए यानों के संबंध में कराधान प्राधिकारी को इस आदेश से संलग्न प्रारूप में एक घोषणा परिदत्त करेगा;
 - (दो) मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र के अधीन उपयोग किये जाने हेतु प्राधिकृत किये गए यानों पर देय कर की संगणना बैठने की औसत क्षमता के आधार पर निम्नलिखित यानों की बाबत निम्नलिखित रीति से की जाएगी :-
 - (क) ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन सामान्यतः उपयोग किये जाने वाले यान के संबंध में यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली दूरी के अनुसार निश्चित स्लेब के लिए प्रथम अनुसूची में अधिकथित दर पर; और
 - (ख) अन्य यानों पर आरक्षित बस के लिए प्रथम अनुसूची में अधिकथित दर पर,
 - (तीन) यदि मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र का धारक कर के संदाय के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख के पूर्व ऊपर निर्दिष्ट घोषणा परिदत्त करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले यानों पर उद्ग्रहणीय कर का अवधारण उपरोक्त (2) के अनुसार करेगा।

(2) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने के पूर्व किसी कालावधि से सम्बन्धित कर का उद्ग्रहण और उसकी वापसी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1947, मध्यप्रदेश मोटरयान (माल कराधान) अधिनियम, 1962 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होगी।

परिशिष्ट

मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा फाइल की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं,.....(अनुज्ञापत्र-धारक), एतद्द्वारा, उन यानों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करता हूँ जो मेरे द्वारा धारित मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों के अधीन उपयोग हेतु प्राधिकृत है :

अनुक्रमांक	अनुज्ञापत्र क्रमांक तथा अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाला प्राधिकारी	अनुज्ञापत्र के अधीन आने वाले मार्ग	अनुज्ञापत्र के अधीन उपयोग हेतु प्राधिकृत यानों का विवरण	यान क्रमांक	माडल	बैठने की क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा आदेश करती है कि यदि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक में वर्णित मोटरयानों के सम्बन्ध में शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए, मासिक कर के एक तिहाई की दर से किन्तु मासिक कर के दुगुने से अनधिक, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो कराधान प्राधिकारी द्वारा, लिखित आदेश द्वारा अधिरोपित की जाए।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-1-1992 पृष्ठ 57 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 8-9-92-आठ, दिनांक 22 जनवरी, 1992 -- यतः मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 5 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक में वर्णित मोटरयानों पर, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की दर के अवधारण के संबंध में कठिनाई उद्भूत हुई है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा आदेश करती है कि यदि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक में वर्णित मोटरयानों के संबंध में शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए मासिक कर के एक तिहाई की दर से किन्तु मासिक कर के दुगुने से अनधिक, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो कराधान प्राधिकारी द्वारा, लिखित आदेश द्वारा अधिरोपित की जाए।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21-1-1992 पृष्ठ 57 पर प्रकाशित]

द्वितीय अनुसूची :

अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-5-98-आठ, दिनांक 31 दिसम्बर, 1998 -- चूँकि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की द्वितीय अनुसूची के अनुसार जीवन-काल कर की संगणना के लिये ऐसी ओमनी बसेस, जिनकी बैठक क्षमता 6 से अधिक किन्तु 12 से अधिक नहीं है (चालक को छोड़कर) तथा जो 1 सितम्बर, 1998 के पूर्व अधिक किन्तु 12 से अधिक नहीं है (चालक को छोड़कर) तथा जो 1 सितम्बर, 1998 के पूर्व मध्यप्रदेश या अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत हों, का मूल्य अवधारित करने में कठिनाई उद्भूत हुई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निदेश देती है कि ऐसी ओमनी बसेस, जिनकी बैठक क्षमता 6 से अधिक किन्तु 12 से अधिक नहीं है (चालक को छोड़कर) तथा जो मध्यप्रदेश या अन्य राज्यों में 1 सितम्बर, 1998 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हों तथा उक्त तारीख से निजी उपयोग के लिये घोषित की गई हों, ऐसी ओमनी बस का मूल्य, उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के अधीन देय जीवनकाल कर की संगणना के प्रयोजन के लिये ऐसी श्रेणी के यानों का वर्तमान (चालू) मूल्य के समतुल्य माना जाएगा।

[मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 15-1-1999 पृष्ठ 78 पर प्रकाशित]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

नियम 8 :

अधिसूचना क्र. एफ. 8-4-93-आठ, दिनांक 27 अक्टूबर, 1993 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8 और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 87 के साथ पठित मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के समस्त ऐसे परिवहन प्राधिकारियों को, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नेशनल परमिट मंजूर करने के लिए प्राधिकृत हैं, उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत तथा नेशनल परमिट के अंतर्गत आने वाले और विशिष्टतः किसी प्राधिकार से मध्यप्रदेश में चलने वाले मालयानों के बाबत् उनकी अधिकारिता के भीतर कराधान प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-10-1993 पृष्ठ 73 पर प्रकाशित]

नियम 13 :

अधिसूचना क्र. एफ. 22-33-93-आठ, दिनांक 16 अप्रैल, 1993 -- चूंकि मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न कस्बों के मास दिसम्बर, 1992 के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये जाने के कारण मंजिली गाड़ियों के स्वामी अपनी बसें प्रचालित नहीं कर सके;

और चूंकि ऐसे स्वामियों द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 13 के अधीन कर की वापसी का दावा करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी;

अतएव, प्रभावित मार्गों पर यानों का प्रचालन न किये जाने की कालावधि के लिए मंजिली गाड़ियों के स्वामियों को कर की वापसी के दावे करने के लिये योग्य बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार, कथित नियमों के नियम 13 के उपनियम (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, कथित प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण यानों का प्रचालन न किये जाने की सूचना प्रस्तुत करने की अवधि को दिनांक 26 अप्रैल, 1993 तक बढ़ाती है।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16-4-1993 पृष्ठ 236 (1) पर प्रकाशित]

अनुज्ञापत्र के अधीन उपयोग हेतु प्राधिकृत यानों की औसत बैठने की क्षमता	अनुज्ञापत्र के अधीन सामान्यतया उपयोग किये जाने वाले यानों का विवरण	टिप्पणियाँ		
	यान क्रमांक	माडल	बैठने की क्षमता	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

टिप्पणी - (1) यदि किसी प्रचालक द्वारा एक से अधिक मंजिली गाड़ी सेवा, अनुज्ञापत्र धारण किये जाते हैं तो सभी अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में एक ही घोषणा-पत्र भरा जाना चाहिए।

(2) प्रचालक के स्वामित्व के ऐसे यानों को, जो किसी मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अधीन उपयोग हेतु प्राधिकृत नहीं हैं, इस घोषणा-पत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(3) यदि कोई अनुज्ञा-पत्र दो यानों से प्रचालित किया जाता है तो उस अनुज्ञापत्र के सामने कॉलम (8) से (10) में दोनों यानों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(4) कॉलम (4) से (6) में केवल ऐसे यानों को दर्शाया जाना चाहिए जो अनुज्ञापत्र की मॉडल तथा बैठने की क्षमता से संबंधित शर्तों को पूरा करते हों।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8-1-1992 पृष्ठ 17-18 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ. 22-42-93-आठ, दिनांक 4 सितम्बर, 1993 -- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, ऐसी मोटर सायकिलों, मोटर कारों तथा अशक्त यात्री गाड़ियों पर जो अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा मध्यप्रदेश राज्य में लायी गई हैं, **कर के उद्ग्रहण के संबंध में कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से** एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

(एक) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 48 के अधीन यथास्थिति नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने के लिए अथवा "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाण-पत्र के साथ स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए मध्यप्रदेश राज्य में लाई गई मोटर सायकिल/मोटरकार/अशक्त यात्री गाड़ी का स्वामी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर पर कर का संदाय करेगा;

(दो) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत तथा ऊपर खंड (एक) में यथा वर्णित रीति से भिन्न किसी रीति में मध्यप्रदेश में लाई गई किसी मोटर सायकिल/मोटरयान अशक्त यात्री गाड़ी का स्वामी प्रथम अनुसूची की यथास्थिति मद एक, दो अथवा तीन में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करेगा।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-9-1993 पृष्ठ 547 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. एफ 8-9-92-आठ, दिनांक 22 जनवरी, 1992 -- यतः मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 25 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक में वर्णित मोटरयानों पर, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की दर के अवधारण के संबंध में कठिनाई उद्भूत हुई है;

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 1 सन् 2017

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016

विषय-सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम.
2. धारा 3 का संशोधन.
3. धारा 5 का संशोधन.
4. धारा 13 का संशोधन.
5. प्रथम अनुसूची का संशोधन.
6. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 1 सन् 2017

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016

क्र. 604-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.-विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 10 जनवरी, 2017 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है.

धारा 3 का संशोधन.

2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"(3) मध्यप्रदेश राज्य में उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर, उपधारा (1) के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से "हरित कर" देय होगा.

(4) उपधारा (1) और (3) के अधीन देय कर के अतिरिक्त मोटरयान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से "अंतरण कर" देय होगा."

धारा 5 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) में, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा 13 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् -

"परन्तु ऐसा यान जो कि मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत है और जिसके जीवनकाल कर का संदाय द्वितीय सूची में विनिर्दिष्ट दर से किया गया है,

ऐसे यान का स्वामी जीवनकाल कर का २५ प्रतिशत शास्ति के रूप में जमा करने का दायी होगा."

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,-

(एक) मद पांच में,-

(क) उप-मद (1) में, अंक "5000" के स्थान पर, अंक "12000" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए अर्थात् :-

"(2) ऐसे मालयान पर, जो 1 अक्टूबर, 2014 से पूर्व. मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत था और जिसका पंजीकृत लदान भार 12000 किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा :-

(क) 12000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 13000 किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपये 3250 प्रति तिमाही

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक 1000 किलो ग्राम या उसके भाग के लिए. रुपये 250 प्रति तिमाही :

परन्तु यान के स्वामी को द्वितीय अनुसूची के मद 7 के अनुसार जीवनकाल कर भुगतान करने का विकल्प होगा."

(ग) उप मद (3) में, स्पष्टीकरण 3 एवं 4 का लोप किया जाए;

(दो) मद छह में, कालम (2) में, अंक " 480 " के स्थान पर, अंक "600" स्थापित किए जाएं;

(तीन) मद आठ के पश्चात निम्नलिखित नए मद अंतःस्थापित किए जाएं अर्थात् :-

"नौ. अंतरण कर

(एक) गैर परिवहन यान पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का 1 प्रतिशत.

(दो) परिवहन यान पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का 0.5 प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.- यान के स्वामी की मृत्यु होने पर स्वामित्व के अंतरण की दशा में अथवा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सरकार द्वारा लोक नीलामी द्वारा अंतरण पर इस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त मोटरयान कर देय नहीं होगा.

दस. हरित कर

(1) पंजीयन के नवीकरण के समय अथवा पंजीयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, गैर परिवहन यान पर निम्नलिखित हरित कर देय होगा-

(क) दो पहिया वाहन	पर रुपए 500 (पांच वर्ष के लिए)
(ख) दो पहिया वाहन से भिन्न अन्य यान पर	रुपए 1000 (पांच वर्ष के लिए)

(2) विनिर्माण वर्ष से आठ वर्ष पुराने परिवहन यान का फिटनेस प्रमाण-पत्र के समय, निम्नलिखित हरित कर देय होगा-

(क) दो पहिया वाहन, हल्के मोटरयान एवं मध्यम मोटरयान	रुपए 500
(ख) भारी मोटरयान	रुपए 1000 "

6. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,-

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

(एक) मद 1, 2 तथा 3 का लोप किया जाए;

(दो) मद 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई मदें स्थापित की जाएं अर्थात् -

" 4 क. मोटर साईकिल तथा 12+1 तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनका मानक मूल्य 10 लाख तक हो-

(क) डीजल द्वारा, चलित	यान के मानक मूल्य का 8 प्रतिशत
(ख) पेट्रोल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का 7 प्रतिशत
(ग) हाईब्रिड/सी एन् जी/ एल पी जी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का 6 प्रतिशत
(घ) बैटरी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का 5 प्रतिशत

4. ख. मोटर साईकिल तथा 12+1 तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जिनका मानक मूल्य रुपए 10 लाख से अधिक हो-

(क) डीजल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का 9 प्रतिशत
(ख) पेट्रोल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का 8 प्रतिशत

(ग) हाईब्रिडा/सी एन जी/एल पी जी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का 7 प्रतिशत

(घ) बैटरी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का 6 प्रतिशत

4.ग. ऐसे दुपहिया तथा 12+1 तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मध्यप्रदेश राज्य में लाए गए हो, उक्त यान का स्वामी मद 4 क तथा 4 ख में उल्लिखित दरों के निम्नलिखित प्रतिशत में कर का संदाय करेगा-

(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन 80 प्रतिशत की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने पंजीकृत यान.

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन 60 प्रतिशत की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान.

(तीन) मद 5 का लोप किया जाए;

(चार) मद 7 में, शब्द तथा अंक "रजिस्ट्रीकृत लदान भार 5000 किलोग्राम या कम है तथा" का लोप किया जाए तथा उप-मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत स्थापित किया जाए अर्थात् -

" परंतु ऐसे माल यान जिनका लदान भार 12000 किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची के मद पांच (2) के अनुसार कर के संदाय का विकल्प होगा."

(पांच) मद 7 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाए अर्थात् :-

"7क ऐसे माल यान अथवा ऐसे मोटरयान जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों की किसी श्रेणी के अंतर्गत न हों, जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन पर जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी -

(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की यान के मानक मूल्य का 5 प्रतिशत तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने माल यान/मोटर यान

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की यान के मानक मूल्य का 4 प्रतिशत तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने माल यानामोटर यान

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2019—भाद्र 2, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14051-233-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१९

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक २२ अगस्त, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा २० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्र. २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २० के परन्तुक में, शब्द "उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम" के स्थान पर, शब्द "उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम का पचास प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

प्रथम अनुसूची, का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(एक) मद चार में लोक सेवा यान,—

- (क) उप-मद (१) में, खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द "१५० प्रतिसीट प्रति तिमाही" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "१५० प्रतिसीट प्रतिमास" स्थापित किए जाएं;
- (ख) उप-मद (२) में, कॉलम (२) में, अंक "१८०" के स्थान पर, अंक "२००" स्थापित किया जाए;
- (ग) उप-मद (३) में, खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, अंक "१८०" के स्थान पर, अंक "२००" स्थापित किया जाए;

(दो) मद पांच माल यान में,—

- (क) उप-मद (१) में, अंक "१२०००" के स्थान पर, अंक तथा "२८०००" स्थापित किया जाए;
- (ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिसका पंजीयन लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा:—

- (क) २८००० किलोग्राम से अधिक किन्तु २९००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपए ९००० प्रति तिमाही
- (ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए, रुपए ३५० प्रति तिमाही

स्पष्टीकरण.—कर प्रति तिमाही/जीवन-काल मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारम्भ होने के पश्चात् आगामी तिमाही के प्रथम दिन से संदेय होगा.”;

(ग) उप-मद (३) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(३) अन्य राज्यों में पंजीकृत मालयान जिसका लदान भार—

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| (क) | ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. | रुपए ५०० प्रति मास |
| (ख) | ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. | रुपए ६०० प्रति मास |
| (ग) | तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए. | रुपए १०० प्रति मास”; |

(तीन) मद छह के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“छह. प्राइवेट सेवा यान :

- | | | |
|-----|--|--|
| (क) | बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो | रुपए २०० प्रति सीट प्रति मास. |
| (ख) | यदि निजी सेवा यान ने मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ८७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो. | उप मद (क) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन.”; |

(चार) मद सात के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“सात. शैक्षणिक संस्था बस :

- | | | |
|-----|---|--|
| (क) | बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो | रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष. |
| (ख) | शैक्षणिक संस्था बस (बैठक क्षमता १२+१ से अधिक) ने मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ८७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो. | उप मद (क) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन.”; |

(पांच) मद आठ अन्य यान में,—

(क) उप-मद (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) मद एक, दो तथा तीन के अतिरिक्त अन्य यान जो व्यावसायिक प्रमाण-पत्र या अस्थायी पंजीयन के अन्तर्गत आते हैं और जिसका लदान रहित भार ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपए ६०० प्रति मास”;

(ख) उप-मद (२) में, खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(क) ऐसे यान जिसका लदान रहित भार ३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है रुपए १००० प्रति मास

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए २०० प्रति मास.

टिप्पण : माल यान के कर की गणना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. ३८८१ (ए), दिनांक ६-८-२०१८ में सकल यान भार के लिये यथा अवधारित की जाएगी.”;

(छह) मद नौ अंतरण कर में,—

(क) उप-मद (एक) एवं (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(एक) गैरपरिवहन यान पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का २० प्रतिशत.

(दो) परिवहन यान

(१) मोटरसाइकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले यान पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का १० प्रतिशत.

(२) बैठक क्षमता १३+१ एवं ऊपर के सभी यात्री यान यान की पंजीकृत क्षमता पर रुपए २०० प्रति सीट.

(३) मालयान यान के सकलयान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ५००.

(४) ऐसे यान जो इस अनुसूची के किसी वर्ग में उल्लिखित न हों यान के लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५००.

स्पष्टीकरण.—स्वामी की मृत्यु के कारण यान के अंतरण की दशा में या मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन लोक नीलामी के माध्यम से सरकार द्वारा अंतरण या ऐसे यान जो धारा ११ एवं १२ के उपबंधों के अधीन कर से छूट प्राप्त हैं, इस अनुसूची में यथा उल्लिखित अतिरिक्त कर ऐसे यानों के लिये देय नहीं होगा.”;

(सात) मद दस हरित कर में,—

- (क) शीर्षक “हरित कर” के स्थान पर, शीर्षक “बैटरी द्वारा चलित यान से भिन्न यान पर हरित कर” स्थापित किया जाए.
- (ख) उप-मद (१) में, खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक “रुपए ५००” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपए २०००” स्थापित किए जाएं तथा खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द और अंक “रुपए १०००” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपए ५०००” स्थापित किए जाएं.
- (ग) उप-मद (२) में, खण्ड (क) में कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक “रुपए ५००” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपए १०००” स्थापित किए जाएं और खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक “रुपए १०००” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपए २०००” स्थापित किए जाएं.

४. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

द्वितीय अनुसूची, का संशोधन.

(एक) मद ४ क में,—

- (क) शब्द “रुपए १० लाख तक” के स्थान पर, शब्द “रुपए १० लाख से कम” स्थापित किए जाएं;
- (ख) खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(क) डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.
(ख) पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/एल पी जी द्वारा चलित.	यान के कुल मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.
(ग) बैटरी द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.”;

(दो) मद ४ ख में,—

- (क) शब्द तथा अंक “रुपए १० लाख से अधिक” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपए १० लाख से तथा रुपए २० लाख तक” स्थापित किए जाएं;
- (ख) खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(क) डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १२ प्रतिशत.
(ख) पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/एल पी जी द्वारा चलित.	यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.
(ग) बैटरी द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.”;

(तीन) मद ४ ख के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“४ख क. मोटरसाईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनकी मानक मूल्य २० लाख से अधिक है—

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (क) | डीजल द्वारा चलित | यान के कुल मानक मूल्य का १६ प्रतिशत. |
| (ख) | पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/एल पी जी द्वारा चलित. | यान के कुल मानक मूल्य का १४ प्रतिशत. |
| (ग) | बैटरी द्वारा चलित | यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत. |

स्पष्टीकरण.—लोक नीलामी में सरकार द्वारा बेचे गए यान पर कर की गणना, मद ४क, ४ख तथा ४खक के उपबंधों के अनुसार जीवन काल कर के लिये उस लागत पर जिस पर कि सरकार ने वाहन खरीदा था, की जाएगी.”;

(चार) मद ४ग के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“४घ. मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ४९ के उल्लंघन में चल रहे गैर परिवहन यान की दशा में देय जीवन काल कर और देय कुल कर का २० प्रतिशत अतिरिक्त, जो दि. १-९-२०१९ से प्रभावशील होगा.”;

(पांच) मद ७ में,—

- (क) उप-मद (क) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द “यान के मानक मूल्य का ४%” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ३५००” स्थापित किए जाएं;
- (ख) उप-मद (ख) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द “यान के मानक मूल्य का ३%” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २५००” स्थापित किए जाएं.”;
- (ग) उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“**टिप्पणी:** ऐसे माल यान जिनका लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची की मद पांच की उप-मद (२) में यथा विनिर्दिष्ट कर के भुगतान के लिये विकल्प होगा.”;

(छह) मद ७क के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“७क. ऐसे माल यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन यान के लिए जीवन काल कर निम्नानुसार होगा :—

- | | | |
|-----|---|--|
| (क) | अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान | यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ६०००. |
| (ख) | अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान | यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ४०००.”; |

(सात) मद ८ के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“८. माल यान—

माल यान का जीवनकाल कर मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.—माल यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है—

- (एक) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त मालयान का व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या परिवहन विभाग द्वारा निश्चित किया गया मानक मूल्य, जो भी उच्चतर हो.
- (दो) व्यापारी द्वारा चेसिस के रूप में यान बेचे जाने की दशा में, व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य और परिवहन विभाग से मान्यताप्राप्त बॉडी निर्माणकर्ता द्वारा निर्मित बॉडी का मानक मूल्य, उक्त यान का कुल मानक मूल्य होगा.”;

(आठ) मद ९ में, कॉलम (२) में, अंक “६%” के स्थान पर अंक “१०%” स्थापित किया जाए;

(नौ) मद १० के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“१०. ऐसे यानों के लिए जीवनकाल कर जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो

मध्यप्रदेश राज्य में १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व पंजीकृत थे, निम्नानुसार होगा :—

- | | | |
|-----|--|---|
| (क) | १ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष तक पुराना यान | लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १२०००. |
| (ख) | १ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष से अधिक पुराना यान | लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ९०००. |

(दस) मद १० के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“१०क. ऐसे यानों के जीवनकाल कर, जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् अन्य राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिये लाये गये हों, निम्नानुसार होगा :—

(क)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २००००.
(ख)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५०००.”

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14051-233-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 19 OF 2019

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2019; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 24th August, 2019]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

Amendment of section 20.

2. In the proviso to section 20 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words “the amount of tax and penalty levied”, the words “fifty percent of the amount of tax and penalty levied” shall be substituted.

Amendment of First Schedule.

3. In First Schedule to the principal Act,—

(i) in item IV PUBLIC SERVICE VEHICLE,—

(a) in sub-item (1), in clause (b), in column (2), for the figure and words “150 per seat per quarter”, the figure and words “150 per seat per month” shall be substituted;

- (b) in sub-item (2), in column (2), for the figure "180", the figure "200" shall be substituted;
- (c) in sub-item (3), in clause (a), in column (2), for the figure "180" the figure "200" shall be substituted;

(ii) in item V GOODS CARRIAGE,—

- (a) in sub-item (1) for the figure "12000" the figure "28000" shall be substituted;
- (b) for sub-item (2), the following sub-item shall be substituted, namely :—

"(2) Tax on such goods carriage which are registered in the State of Madhya Pradesh before 1st October, 2014, and which are having a capacity of more than 28000 kilogram shall be as follows :—

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| (a) | more than 28000 kilogram, but not exceeding 29000 kilogram. | Rs. 9000 per quarter |
| (b) | thereafter on every 1000 kilogram or part thereof. | Rs. 350 per quarter |

Explanation.—The tax per quarter/lifetime shall be payable from the first day of the forthcoming quarter after the commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhinyam, 2019.";

- (c) for sub-item (3) and entries relating thereto, the following sub-item and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

"(3) Goods carriage registered in other States whose laden weight is.—

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| (a) | not exceeding 5000 kilogram | Rs. 500 per month |
| (b) | exceeding 5000 kilogram, but not exceeding 6000 kilogram. | Rs. 600 per month |
| (c) | thereafter for every 1000 kilogram or part thereof. | Rs. 100 per month"; |

(iii) for item VI, the following item shall be substitute, namely :—

"VI. PRIVATE SERVICE VEHICLE:

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | Having seating capacity exceeding 12+1 | Rs. 200 per seat per month |
| (b) | If, Private Service Vehicle has obtained the permit as per the provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988). | Rs. 60 per seat per day in addition to tax as mentioned in sub-item (a)."; |

(iv) for item VII, the following item shall be substitute namely :—

"VII. EDUCATIONAL INSTITUTE BUS :

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | seating capacity is more than 12+1 | Rs. 12 per seat per annum. |
| (b) | Bus of educational institute (seating capacity more than 12+1) has obtained a permit as per clause (a) of sub-section (1) of Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988). | Rs. 60 per seat per day in addition to tax as mentioned in sub-item (a)."; |

(v) in item VIII OTHER VEHICLES,—

(a) in sub-item (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

- | | | |
|------|---|----------------------|
| "(a) | the vehciles excluding items I, II and III and covered under Trade certificate or temporary registration and having unladen weight which does not exceed 5000 kilogram. | Rs. 600 per month".; |
|------|---|----------------------|

(b) in sub-item (2), for clauses (a) and (b), the following clasues shall be substituted, namely :—

- | | | |
|------|---|--------------------|
| "(a) | vehicles which have unladen weight which does not exceed 3000 kilogram. | Rs. 1000 per month |
| (b) | thereafter for every 1000 kg and part thereof. | Rs. 200 per month |

Note.—The calculation of tax of goods carriage shall be done as determined for Gross Vehicle Weight in the Notification No. S. O. 3881(A), dated 6-8-2018 of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India.";

(vi) in item IX TRANSFER TAX,—

(a) for sub-items (i) and (ii), the following sub-items shall be substituted, namely :—

- | | | |
|------|--|--|
| "(i) | Non-transport vehicle | 20 percent of the total Lifetime Tax paid at the time of registration. |
| (ii) | Transport Vehicle— | |
| | (1) Motorcycle and vehicle having seating capacity upto 12+1 | 10 percent of the total Lifetime Tax paid at the time of registration. |

(2) All passenger vehicles having seating capacity of 13+1 and above.	Rs. 200 per seat on the registered capacity of the vehicle.
(3) Goods carriage	Rs. 500 for gross vehicle weight of vehicle per 1000 kgs or part thereof.
(4) Such vehicles which are not mentioned in any of the category of this Schedule	Rs. 1500 for unladen weight of vehicle per 1000 kilograms or part thereof.

Explanation.—In case of transfer of vehicle because of the death of owner or transfer by Government through public auction under the provisions of sub-section (2) of Section 50 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) or the vehicles which are exempted from tax under the provisions of Section 11 and 21, the additional tax as mentioned in this Schedule shall not be payable for such vehicles.";

(vii) in item X GREEN TAX,—

- (a) for the heading "Green Tax", the heading "GREEN TAX on the vehicles apart from the vehicles run by battery" shall be substituted;
- (b) in sub-item (1), in clause (a), in column (2), for the word and figure "Rs. 500", the word and figure, "Rs. 2000" shall be substituted and in clause (b), in column (2), for the word and figure "Rs. 1000", the word and figure "Rs. 500" shall be substituted;
- (c) in sub-item (2), in clause (a), in column (2), for the word and figure "Rs. 500", the word and figure, "Rs. 1000" shall be substituted and in clause (b), in column (2), for the word and figure "Rs. 1000", the word and figure "Rs. 2000" shall be substituted.

4. In the Second Schedule to the principal Act,—

**Amendment of
Second Schedule.**

(i) in item 4A,—

- (a) for the words "up to Rs. 10 Lakh", the words "less than Rs. 10 Lakh" shall be substituted;
- (b) for clauses (a), (b), (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely :—

(a) Driven by diesel	10 percent of the total standard price of the vehicle.
(b) Driven by petrol/ Hybrid/CNG/LPG	8 percent of the total standard price of the vehicle.
(c) Driven by battery	4 percent of the total standard price of the vehicle.";

(ii) in item 4B,—

- (a) for the words and figure "exceeding Rs. 10 Lakh", the words and figure "from Rs. 10 Lakh and upto Rs. 20 Lakh" shall be substituted;
- (b) for clauses (a), (b), (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely :—

(a) Driven by diesel	12 percent of the total standard price of the vehicle.
(b) Driven by petrol/ Hybrid/CNG/LPG	10 percent of the total standard price of the vehicle.
(c) Driven by Battery	4 percent of the total standard price of the vehicle.";

(iii) after item 4B, the following item shall be inserted, namely :—

"4BA. Motorcycle and non-transport/transport vehicle having seating capacity upto 12+1 whose standard cost is exceeding 20 Lakh.—

(a) Driven by diesel	16 percent of the total standard price of the vehicle.
(b) Driven by petrol/ Hybrid/CNG/LPG	14 percent of the total standard price of the vehicle.
(c) Driven by Battery	4 percent of the total standard price of the vehicle.

Explanation.—The vehicles sold by the Government in public auction, the tax shall be calculated for lifetime tax as per the provisions of item 4A, 4B and 4BA on the cost on which the Government had bought the vehicle.";

(iv) after item 4C, the following item shall be inserted, namely :—

"4D. In case of non-transport vehicles flying in contravention of section 49 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988).	Lifetime tax payable plus 20 percent extra of the total tax payable, which shall be effective from 01-09-2019.";
--	--

(v) in item 7,—

- (a) in sub-item (a), in column (2), for the figure and words "4% of the standard price of vehicle", the words and figure "Total load of Gross Vehicle Weight for every 1000 kgs or part thereof Rs. 3500" shall be substituted;

(b) in sub-item (b), in column (2), for the figure and words "3% of the standard price of vehicle", the words and figure "Total load of Gross Vehicle Weight for every 1000 kilograms or part thereof Rs. 2500";

(c) after sub-item (b), the following note shall be inserted, namely :—

"**Note.**—Such goods carriages whose laden weight is more than 28000 kilograms, the owner of the vehicle shall have an option for payment of tax as specified in sub-item (2) of item V of First Schedule.";

(vi) for item 7A, the following item shall be substituted, namely :—

"7A. Such goods carriages after receiving no objection certificate from other States has been brought for registration in the State of Madhya Pradesh, the lifetime tax for vehicles shall be as follows :—

(a)	Upto two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate.	The Gross Vehicle Weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 6000.
(b)	more than two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate.	The Gross Vehicle Weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 4000.";

(vii) for item 8, the following item shall be substituted, namely :—

"8. Goods Carriage—

Lifetime tax of goods carriage	8 percent of the standard price.
--------------------------------	----------------------------------

Explanation.—The standard price of the goods carriage means—

- (i) Such goods carriages with a body made by the manufacturer, the standard price recovered by the dealer or the standard price determined by the Transport Department, whichever is higher.
- (ii) In case the dealer has sold vehicle in the form of chassis, the standard price recovered by the dealer plus the standard price of the body made by the body builder authorised by the Transport Department, shall be the total standard price of said vehicle.";

(viii) in item 9, in column (2), for the figure "6%" the figure "10%" shall be substituted;

(ix) for item 10, the following item shall be substituted, namely :—

"10. The lifetime tax for the vehicles which do not fall in any of the category of this Schedule and which were registered before 1st October, 2014 in the State of Madhya Pradesh shall be as follows :—

(a)	Upto three years old vehicles on 1st October, 2014.	The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 12000.
-----	---	---

- (b) More than three years old vehicles on 1st October, 2014. The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 9000.";

(x) after item 10, the following item shall be inserted, namely :—

"10A. The lifetime tax for such vehicles which do not fall in any of the category of this Schedule and are brought from other States in the State of Madhya Pradesh for registration after obtaining no objection certificate shall be as follows :—

- (a) Upto two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate. The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 20000.
- (b) More than two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate. The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 15000.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 जनवरी 2020—पौष 24, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2020

क्र. 942-14-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०२०

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

[दिनांक १० जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की प्रथम अनुसूची में,—

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

(एक) मद पांच माल यान में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक "२८०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) ऐसे माल यान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिनकी क्षमता १२००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा:—

(क) १२००० किलोग्राम से अधिक किन्तु १३००० रुपए ३४०० प्रति तिमाही किलोग्राम से अधिक नहीं है.

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके रुपए ३५० प्रति तिमाही भाग के लिए.

स्पष्टीकरण.—कर की उपरोक्त दर १ अक्टूबर, २०१९ से प्रभावी समझी जाएगी.”;

(दो) उप-मद (३) में, स्पष्टीकरण २ का लोप किया जाए;

(तीन) मद नौ अंतरण कर में, उप-मद (दो) में, खण्ड (३) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(३) माल यान

(क) पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष तक के पुराने यान. सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ५००.

(ख) पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष से अधिक परन्तु ८ वर्ष से कम पुराने यान. सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ३००.

(ग) पंजीयन की तारीख से ८ वर्ष से अधिक पुराने यान. सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये २००.”.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, मद ७ में, टिप्पणी में, अंक "२८०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2020

क्र. 942-14-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2020

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN
(DWITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2019

[Received the assent of the Governor on the 10th January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th January, 2020.]

A Bill Further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. **Short title.**

2. In the First schedule to the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act),- **Amendment of First Schedule.**

(i) in item V GOODS CARRIAGE,-

(a) in sub-item (1), for the figure "28000", the figure "12000" shall be substituted;

(b) for sub-item (2), the following sub-item shall be substituted, namely :-

"(2) Tax on such goods carriage which are registered in the State of Madhya Pradesh before 1st October, 2014 and which are having a capacity of more than 12000 kilograms shall be as follows:-

(a) more than 12000 kilogram but not exceeding 13000 kilogram. Rs. 3400 per quarter

(b) thereafter on every 1000 kilogram or part thereof. Rs. 350 per quarter

Explanation.- The above rate of tax shall be deemed to be effective from 1st October, 2019.;"

(ii) in sub-item (3), explanation 2 shall be omitted;

(iii) in item IX TRANSFER TAX, in sub-item (ii), for clause (3), the following clause shall substituted, namely :—

“(3) Goods Carriage,-

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | up to 5 years old vehicles from the date of registration. | Rs. 500 for gross vehicle weight for every 1000 kilograms or part thereof. |
| (b) | more than 5 years but not more than 8 years old vehicles from the date of registration. | Rs. 300 for gross vehicle weight for every 1000 kilograms or part thereof. |
| (c) | more than 8 years old vehicles from the date of registration. | Rs. 200 for gross vehicle weight for every 1000 kilograms or part thereof.”. |

**Amendment of
Second Schedule.**

3. In the Second Schedule to the principal Act, in item 7, in the note, for the figure “28000”, the figure “12000” shall be substituted.